# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८ ] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का सातवां दिवस [ संख्या ७



बुधवार, दिनांक १ मार्च, १९६०

———

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ५ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**[शिक्षा, उद्योग, राजस्व, नियुक्ति विकास, समाज कल्याण, राजनैतिक, गृह, जनसम्पर्क, खनिज, सार्वजनिक निर्माण तथा देवस्थान-विभाग]**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

**भरतपुर जिले में स्कूल चलो अभियान**

९९. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** [ (डीग) डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर ) द्वारा पूछा गया ] ; क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष सरकार ने "स्कूल चलो अभियान" किस महीने में और कितने दिनों का चलाया था ?

(ख) उक्त अभियान के दौरान में भरतपुर जिले में कितने नये छात्र विभिन्न स्कूलों में प्रविष्ट हुए थे ?

(ग) क्या इन नये छात्रों की भर्ती के अनुपात से कुछ नये स्कूल भी खोले गये थे ? यदि हां, तो कहां २, और कितने २ ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(घ) क्या उक्त छात्रों के अनुपात के अनुसार नये अध्यापक भी बढ़ाये गये थे ? यदि हां, तो कहां २, और कितने २ सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

**उप मन्त्री, शिक्षा ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )** : (क) माह जुलाई में १५ दिन का चलाया गया था ।

(ख) १५०९४ छात्र ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां । सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या "स्कूल चलो अभियान" के पहले स्कूलों में छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं थी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जी हां, बहुत से स्कूलों में नहीं थी ।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या स्कूल चलो अभियान के बाद सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि कितनी संख्या में छात्रों का अनुपात बढ़ा है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैंने आपको बताया कि १५०६४ छात्रों की वृद्धि हुई ।

**डॉ० चन्द्रकला** : यह तो छात्रों की संख्या है ; लेकिन कितने प्रतिशत छात्र बढ़े ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : अनुपात तो निकाला नहीं गया है । लेकिन जो संख्या इस समय स्कूलों में छात्रों की है इस संख्या को और जोड़ कर अनुपात लगाया जा सकता है कि कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई ।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या उन छात्रों को स्कूलों में एडजस्ट कर दिया गया, अथवा कोई नये स्कूल नहीं खोले गये ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : १ जुलाई को ही ६८ नये स्कूल खोले गये थे इसलिये नये स्कूल फिर खोलने की आवश्यकता नहीं थी; ५० अध्यापक और बढ़ाये गये ।

**डॉ० चन्द्रकला** : "स्कूल चलो अभियान" के बाद ५० अध्यापकों की वृद्धि की गई तो स्कूल खोले गये थे उस समय अध्यापकों की संख्या पर्याप्त नहीं थी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ये अध्यापक उस समय लगाये गये जब कि यह अनुमान नहीं था कि इतने छात्रों की अभिवृद्धि और हो जायगी ।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : इनमें से किस जिले के अधिक हैं ?

**डॉ० चन्द्रकला** : ये तो भरतपुर जिले के ही हैं।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : भरतपुर जिले के लिए ही प्रश्न पूछा गया है।।

**श्री मुरलीधर व्यास** : तो बहुत संख्या छात्रों की राजस्थान में बढ़ गई है ।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १००

**श्री अध्यक्ष** : श्री उम्मेदीलाल

( अनुपस्थित )

रावराजा सरदारसिंह ।

**टौंक जिले के उद्योग धंधे**

**१०१ रावराजा श्री सरदारसिंह**, (उनियारा ) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) टौंक जिले में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ कहां कहां पर और किस किस की चल रही हैं ?

(२) क्या सरकार ने कभी जिले का सर्वेक्षण कराया है जिससे

( रावराजा श्री सरदारसिंह )

पता चल सके कि यहां किन किन इन्डस्ट्रीज़ का स्कोप हो सकता है ? अगर हां, तो कब और किसके द्वारा ?

**उद्योग मंत्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) तालिका जिसमें यह सूचना दी गई है सदन की मेज पर रख दी गई है। लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ कोई नहीं है।

(२) हां, जिले के उन क्षेत्रों में जो विकास खंडों के अन्तर्गत हैं, उद्योगों का सर्वेक्षण उद्योग प्रसार अधिकारी द्वारा व टोंक शहर का सर्वेक्षण जिला उद्योग अधिकारी द्वारा किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

**राव राजा श्री सरदारसिंह** : आपने फर्माया कि लार्ज इन्डस्ट्रीज़ कोई नहीं है, तो क्या वहां इसका कोई स्कोप भी नहीं है?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अभी तक तो स्कोप नहीं दिखता है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : किन आधारों पर यह वहां देखा है ? हमारे वहां पर आज कल बांध बन रहे हैं और वहां पर शुगर मिल बन सकती है; गन्ना काफी होता है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : शुगर मिल का वहां पर इतना एरिया नहीं है जिससे शुगर मिल वहां खड़ी कर सकें। अगर वहां कोई जगह होगी तो आगे इसकी जांच कराई जा सकती है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : बनास का प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत सी उसके नीचे ज़मीन होगी, करीब १४ हजार एकड़ के। गन्ना अभी भी मौजूद है और भी आगे बहुत होगा, तो इसको आप देखिये।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : अभी तो हुआ नहीं है। गन्ना होगा और क्या होगा आगे, कोई दूसरी फसल होगी, ये सारी बातें बाद में देखने की हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आयेगी तो सर्वेक्षण करने के बाद में उपयुक्त स्थान होगा तो प्रयत्न किया जावेगा।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : कब सर्वेक्षण करावेंगे, बांध के बाद या पहले ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ऑलरेडी हो चुका है। जितने विकास खंड के इन्डस्ट्रीज़ के एक्टेंशन ऑफिसर्स हैं वे वहां लगे हुए हैं; उन्होंने सर्वेक्षण किया, जिलाधिकारियों ने भी किया। जनरल सर्वेक्षण हो रहा है, उसमें भी इसको ले लिया जावेगा।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : पंचायत समितियों की ओर से प्रपोज़ल्स आवेंगे तो उनकी ओर ध्यान दिया जावेगा।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी हां, ज़रूर दिया जावेगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवचरणदास।

## श्री छोगाजी खटीक निम्बाहेड़ा (मांडल) द्वारा जमा कराई गई किश्त का गबन

२०१. **श्री शिवचरणदास** (माण्डल): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.4



( श्री शिवचरणदास )

(१) क्या यह सच है कि श्री छोगाजी खटीक, निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील मांडल ने सरकार से तकावी लोन लिया था ? यदि हां, तो कब और कितना ?

(२) क्या उक्त लोन की किश्तें सम्पूर्ण जमा करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो कितनी किश्तें बाकी हैं और इसका क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि श्री छोगाजी की ओर से जमा कराई गई किश्त का स्थानीय पटवारी श्री राधेश्याम द्वारा गबन कर लिया गया है और श्री छोगाजी ने इनकी शिकायत इन्स्पेक्टर व तहसीलदार के पास कर दी है ? यदि हां, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि शिकायत पर श्री छोगाजी से प्रमाण मांगा जाने पर प्रमाण में सम्बन्धित पटवारी का एक पत्र पेश किया है ? यदि हां, तो उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या यह सही है कि इतने पर भी उक्त रकम की वसूली श्री छोगाजी से दुबारा की जा रही है ?

(६) उक्त गबन पर सरकार ने पटवारी के विरुद्ध क्या कोई एक्शन लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**: जस्व मंत्री**(श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां। १००) रुपये बतौर साधारण तकावी के दिनांक २६-६-५६ को दिये गये।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। श्री छोगाजी ये स्वयं ने शिकायत नहीं की बल्कि इनका प्रार्थना पत्र मार्फत एम. एल. ए. साहब श्री शिवचरणदास जी के पृष्ठांकन दिनांक ११-६-५८ इन्स्पेक्टर माल को प्राप्त हुआ।

(४) जी हां, प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी नहीं।

(६) रकम मय ब्याज के जमा हो चुकी हैं तथा पटवारी द्वारा रकम समय से जमा न कराने के कारण उसको मुअत्तिल करके उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिये )

**श्री शिवचरणदास** : यह एम० एल० ए० साहब के जिये क्या कहा

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने कहा उनकी मार्फत यह शिकायत पेश हुई।

**श्री शिवचरणदास** : क्या लिखित शिकायत पेश हुई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने अर्ज किया उनकी मार्फत लैन्ड रेकॉर्ड्स में पेश हुई।

**श्री शिवचरणदास** : पटवारी ने उनसे रकम काट ली थी क्या ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जांच के ऑर्डर्स दे दिये गये हैं और पटवारी को सस्पेन्ड कर दिया गया है।

## टौंक जिले के मिडिल स्कूलों का हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तन

१०३. **रावराजा श्री सरदारसिंह**

( रावराजा श्री सरदारसिंह )

(उणियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सरकार का सन् १९६०–६१ में टोंक जिले के किन किन ग्रामों के मिडिल स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने का इरादा है ?

**उप–मंत्री शिक्षा** : (श्री पूनमचन्द विश्नोई):इसका अभी सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। यहां के मिडिल स्कूलों को हायर सेकन्ड्री स्कूल बनाने के प्रश्न पर, दूसरे ऐसे मिडिल स्कूलों के साथ जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते होंगे, विचार किया जावेगा।

**डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इस पर कब तक विचार कर लिया जायगा ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : जुलाई से पहले पहले विचार कर लिया जायगा।

**प्रश्न संख्या १०४**

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

( अनुपस्थित कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या १०५**

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

**ग्राम बगड़ी (लालसोट) के ठिकानेदार द्वारा चरागाह की भूमि को अपने पर्चे में दर्ज करवाया जाना**

१०६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार प्रति मवेशी कितना चरागाह निकालना उचित समझती है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम बगड़ तहसील लालसोट के ठिकानेदार ने २२८५/१७६ तथा २३२६/१४७/०२ कुल ३२३/७ जमीन जो कि चरागाह का रकबा था अपने पर्चे में लिखा लिया ?

(३) यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ़ अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

(४) क्या यह भी सच है कि उक्त रकबे में से तीस बीघा रकबे की ठिकानेदार ने गैर मुमकिन काश्त दर्ज करवा रखा है और लगान नहीं देता है ?

(५) क्या इस सम्बन्ध में बगड़ी की जनता की ओर से प्रार्थना पत्र संबन्धित अधिकारियों के पास आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास):
(१) राजस्थान टिनेन्सी गवर्नमेंन्ट रूल्स १९५५ की धारा ६ के अनुसार तकरीबन आधा बीघा भूमि की मवेशी के हिसाब से छोड़ी जाती है।

(२) आराजी खसरा नं० २२८५। १७६

( श्री दामोदरलाल व्यास )

व २३२६।६७।३ कुल २७३।३ बीघा चरागाह की दर्ज थी, किन्तु श्री एस० एन० चटर्जी, कामदार ठिकाना बगड़ी, की उज्रदारी पर सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक १–८–५३ के अनुसार बा० दिलीप कुमार व बा० बिजली कुमार के नाम उनको खातेदारी में दर्ज की गई और उसके बजाय सिवाय चक से इतना ही रकबा लेकर चरागाह में दर्ज किया गया।

(३) उपरोक्त समस्त कार्यवाही नियमानुसार हुई है, तो उनके खिलाफ किसी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) खसरा नं० २२८५ में से १४७/२ बारानी सोयम दर्ज है और इस पर लगान आयद होता है पर २८।। ३ गैर मुमकिन होने की वजह से इस पर लगान नहीं लगता। इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(५) इस के विषय में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होना विदित नहीं होता है।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : बगड़ी गांव की मवेशी कितनीहै ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मवेशी की संख्या इस वक्त मेरे पास नहीं है।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : चरागाह की भूमि कितनी है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने बताया २७३।३ बीघा चरागाह में दर्ज थी।

## विकास अधिकारी सांगानेर के विरुद्ध शिकायतें

**१०७. श्री जयचन्द्र मोहिल** ( कपासिन सु० ) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जिला जयपुर में सांगानेर के विकास अधिकारी और उसके स्टाफ में काफी अर्से से तनातनी चल रही है ?

(ख) क्या इस संबन्ध में राज्य सरकार के पास उक्त विकास अधिकारी के बारे में किसी तरह की शिकायतें भी आई हैं ? यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

**मुख्य एवं विकास मंत्री** ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया ) : (क) जी हां। कुछ अर्से से विकास अधिकारी सांगानेर व वहां के स्टाफ में मन–मुटाव चला था।

(ख) जी हां। जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं वे विकास अधिकारी के स्टाफ के साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में थीं।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : यह किस प्रकार से पता लगाया गया कि कितने अर्से से अनबन हो रही है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : वहां जिला पंचायत से पूछा गया, उसके प्रधान से पूछा गया; उसके बाद कलेक्टर द्वारा इस स्थिति का पता लगाया गया।

**श्री दलपतसिंह** ( आबू ) : तो वास्तव में क्या प्रधान की गलती है या जिला अधिकारी की गलती है ?

# Page No.7



**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** अन्तिम रूप से प्रधान से पूछा गया है, उनका जवाब आने के बाद ही निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है ?

(प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्न १०८ के लिये कृपया आगे देखिये)

## गंगानगर जिले में सहायता प्राप्त राजनैतिक पीड़ित

**१०६. श्री रामकिशन ( नौहर ) :** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

गंगानगर जिले में किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी सहायता राजनैतिक पीड़ितों के नाम पर दी गई है और कितने मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**मुख्य मत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): १. गंगानगर जिले में निम्नलिखित नौ व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ितों के नाम पर सहायता दी गई है। इनमें से आठ व्यक्तियों को जमीन अलॉटमेंट के रूप में सहायता दी गई व एक को मासिक पैन्शन के रूप में दी गई :

| | |
|---|---|
| मार्शल सन्तसिंह | ५० बीघा |
| श्री गज्जनसिंह | २५ बीघा |
| श्री सूरजाराम | ३७॥ बीघा |
| श्रीमती भूलाबाई | २५ बीघा |
| श्री हरनाथ | १५ बीघा |
| श्री शिवकंवरसिंह | ५० बीघा |
| श्री शालचन्द | २५ बीघा |
| श्री मेगाराम | २५ बीघा |
| श्री मोहनसिंह | ४० रुपया मासिक पेन्शन। |

निम्नलिखित दो व्यक्तियों के मामले सरकार के विचाराधीन हैं :

श्री सोमदत्त वैद।

श्री मानसिंह।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या इस प्रकार के राजनैतिक पीड़ितों के लिये कि वास्तव में ये राजनैतिक पीड़ित हैं या नहीं कोई कमेटी थी या क्या किस आधार पर इन्हें राजनीतिक पीड़ित मानकर सहायता दी गई ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** वैसे जिनको पिछले अर्से में जो कुछ दिया गया है उस वक्त के नियमों के आधार पर दिया गया है। उनमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको इस प्रकार के नियम बनने से पहले भी सहायता दे दी गई हो।

**डा० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : जिन व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया :** मैं ठीक प्रकार से तो कह नहीं सकता किन्तु ज्योंही उचित जानकारी आ जायगी निर्णय हो जायगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** ये राजनीतिक पीड़ित हैं क्या ? इन्होंने किसी आन्दोलन में भाग लिया है क्या ? यह तो किसी भी

# Page No.8



( श्री मुरलीधर व्यास )

आदमी के लिए कहा जा सकता है कि इसको सहायता दी जाय।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह बात नहीं है, यह जानकारी करके ही कि इन्होंने राजनैतिक आन्दोलन में भाग लिया है उसी के आधार पर सहायता दी गई है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : तो ये श्री बालचन्द जिनका नाम आपने बताया है वे किस प्रकार के आन्दोलन में शरीक थे और उन्होंने कब हिस्सा लिया ?

**एक माननीय सदस्य** : बाद में लिया होगा।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : डिटेल्स तो इसकी मेरे पास नहीं है कि किस किस व्यक्ति ने किस किस आन्दोलन में भाग लिया, सदन यदि चाहे तो इन्डिविजुअल्स के बारे में पृथक से जानकारी करके बताया जा सकता है।

**श्री मदनसिंह** ( दांता रामगढ़ ) : क्या जरूरी है कि किसी आन्दोलन में भाग लिया जाय, ऐसे ही मिल सकता है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसके लिये निश्चित रूल्स बन चुके हैं, माननीय सदस्य उनको देख सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसमें जिनके नाम आये हैं उनका नाम राजनैतिक इतिहास में भी है क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं कह नहीं सकता कि किन किन के नाम उसमें लिखे जा रहे हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आखिर जांच तो की गई होगी।

**श्री मदनसिंह** : यहां राजस्थान में आन्दोलन जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुई थी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं समझता हूं माननीय सदस्य को उस समय के आन्दोलन दिखते ही नहीं थे।

(हंसी)

## उदयपुर में सूती कपड़े की मील

**११०. श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Revenue be pleased to state:—

1. Whether the the full amount of Rs. 30 lakhs, sanctioned to be advanced to the Jaipurias of Swadeshi Cotton Mills, Kanpur for starting a cotton textile mill at Udaipur, as a loan have been paid to the party concerned : If so, when and from which account ?

2. Is it correct that only Rs. 8 lakhs have been advanced from the Devasthan fund and the remainder of the amount has been advanced after raising a loan from a Bank, against security of National Savings Certificates ? If so, at what rate of interest the amount has been borrowed from the bank and at what rate of interest; the amount has been borrowed from the bank and at what rate the amount has been advanced to the Jaipurias ;

( श्री पी. के. चौधरी )

3. Is it correct that the Postal Department has raised objection against this unusual procedure adopted by the Government ?

राजस्व मन्त्री(श्री दामोदरलाल व्यास): 1. A sum of Rs. 30 lacs was sanctioned to the Swadeshi Cotton Mills, Kanpur for the establishment of a Cotton Mill at Udaipur by the Industries Deptt. The said amount was to be advanced in two instalment of Rs. 15 lacs each. So far a loan of Rs. 15 lacs has since been paid as first instalment from Devasthan funds through the Secretary, Industries & Commerce Department. Another sum of Rs. 15 lacs will be advanced when the party fulfils the conditions as per terms of the agreement.

The payment of first instalment of Rs. 15 lacs was made to the party on the following dates:—

| | |
|---|---|
| Rs. 8,00,000/- | 11.10.58 |
| Rs. 4,59,600/- | 28.1.59 |
| Rs. 1,50,500/- | 4.7.59 |
| Rs. 63,800/- | 3.8.59 |
| Rs. 26,100/- | 26.9.59 |
| Rs. 15,00,000/- | |

Out of the above a sum of Rs. 8 lacs was advanced from fixed deposit and the balance of Rs. 7 lacs from the N. S. Cs. and T. S, Cs. belonging to the self supporting court of Wards temples and other charitable institutions.

The amount has been advanced from the funds of Self supporting and Court of Wards temples. A sum of Rs. 8 lacs was given out of the deposits available in the Banks and the remaining amount of first instalment has been borrowed from the Bank of Rajasthan Ltd , Udaipur, by pledging N. S. Cs. and T. S. Sc. which also belong to the funds of the above temples.

The amount has been borrowed from the Bank at 5½% P. A. interest while the money has been advanced to M/s Swadeshi Cotton Mills Kanpur at 6% P. A.

3. No.

### गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के लिये "दी कॉलेज टाइम्स" का प्रकाशन

१११. डॉ० बहादुरसिंह( धौलपुर ) : Will the Education Minister be pleased to state:—

1. Is the Govt. aware of the existence of a Journal called 'The College Times' published by Principal, Shri Bhim Sen for Govt. College, Ajmer ?

2. Whether the observations contained in 'The College Times' dated August 1, 1959, under the heading 'Transfers' are made by the Principal, Shri Bhim Sen ? If not, by whom ?

उपमंत्री, शिक्षा(श्री पूनमचन्द बिश्नोई): 1. Yes.

( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )

2. The observations under the heading 'Transfers' are a part of the Editorial Notes which are prepared by an Editorial Board under the general supervision of the Principal.

## लालसोट में कन्या माध्यमिक शाला की स्थापना

**११२. श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) लालसोट कन्या पाठशाला की वर्तमान छात्रा संख्या क्या है ?

(ख) क्या छात्राओं की संख्या, जनता की निरन्तर मांग तथा कस्बे की आबादी को देखते हुए सरकार वहां माध्यमिक शाला खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसके कार्यान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा यह माध्यमिक शाला अब कब तक खोल दी जावेगी ?

**उप-मंत्री, शिक्षा**(श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) ११४ छात्र संख्या है।

(ख) इस कन्या पाठशाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव जिला विकास समिति व सम्बन्धित पंचायत समिति से प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इस स्कूल को इस वर्ष माध्यमिक शाला में परिवर्तित किये जाने की सम्भावना नहीं है।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : क्या जिला परिषद् द्वारा सिफारिश करने पर इसको मंजूर कर लेंगे जब कि मैं आपसे निवेदन करु कि वहां की छात्र संख्या आज २०० है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह आवश्यक नहीं कि वहां से रिकमन्ड होने पर मन्जूर कर ही लिया जाय। जहां ज्यादा आवश्यक सरकार समझती है वहां खोलते हैं, पर उनकी सिफारिश आना जरूरी है उस हालत में भी।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : दो—तीन साल से इसकी मांग की जा रही है फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़): आपके सामने कौनसी किस ढंग से चीज रखी जावे, जिससे प्रभावित होकर आप ये चीजें कर सकते हैं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : हर साल माध्यमिक शालाएं काफी बड़ी संख्या में खोली जाती है। जिनकी सिफारिशें आती हैं उन पर बराबर विचार किया जाता है। यह कहीं भी शिकायत नहीं है कि बहुत ही कम खोली जाती हैं।

**श्री मदनसिंह** : आपसे दो साल से मांग कर रहे हैं फिर इसके बावजूद भी नहीं खोलने का क्या कारण है, क्या कोई विशेष त्रुटि रही है !

( कोई उत्तर नहीं दिया गया। )

**श्री अध्यक्ष** : रावराजा श्री सरदारसिंह।

## पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था में संशोधन

**११३. रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

Page No.11



( रावराजा श्री सरदारसिंह )

क्या यह सही है कि सरकार वर्तमान पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था में संशोधन करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या और किन किन आधारों पर ?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ): जी हां, विचार रखती है । पूरी जांच और निर्णय के बाद कहा जा सकता है ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या विचार रखती है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : सुधार करने का विचार रखते हैं ।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : तो क्या विचार रखती है, थोड़ा बता दें न ।

**श्री अध्यक्ष** : बड़ा नेक विचार है ।

**डॉ० चन्द्रकला** : वही नेक विचार तो जानना है, क्या नेक विचार हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : वह जान लीजिये ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : फर्दर साइन्टिफिक मैथड इन्ट्रोड्यूस करना, टैक्निकल बातें इन्ट्रोड्यूस करना, फुल्ली डिस्ट्रिब्यूट करना ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

**प्रश्न संख्या ११४**

श्री भैरोंसिंह

( अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या ११५**

श्री रा धन

( अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या ११६**

श्री जयचन्द्र मोहिल ।

( अनुपस्थित )

श्री रामकरणसिंह ।

### प्रान्त के किन्हीं भागों में अध्यापकों की कमी

११७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान के किसी भू-भाग में अध्यापकों के न मिलने की कठिनाई है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन जिलों में तथा इस कमी को पूरा करने के हेतु सरकार की क्या योजना है ?

**उप मन्त्री, शिक्षा** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(क) जी हां ।

(ख) कमी बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर बांसवाड़ा व उदयपुर जिलों में है । इन जिलों में मेट्रिक पास अध्यापक न मिलने की सूरत में अस्थाई तौर पर मिडिल पास अध्यापकों को रखने की स्वीकृति दी गई है ।

**प्रश्न संख्या ११८**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामनारायण वर्मा ।

( अनुपस्थित )

## कोटपूतली हाई स्कूल का हायर सेकन्ड्री स्कूल में परिवर्तन

११६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या सरकार सब-डिवीज़नल हैड क्वार्टर्स पर जो हाई स्कूल्स हैं, उन्हें हायर सेकन्डरी बनाने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या कोटपूतली हाई स्कूल को भी हायर सेकन्ड्री स्कूल बनाया जायगा ?

**उपमंत्री, शिक्षा**(श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या इस वर्ष बना दिया जावेगा ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : जी नहीं।

( हंसी )

**श्री रामकरणसिंह** : फिर कब ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या १२०**

श्री भैरोंसिंह।

( अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये। )

श्री रामकरणसिंह

## तहसील कोटपूतली के ठेकेदारों में खानों की बकाया रॉयल्टी की वसूली

१२१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) तहसील कोटपूतली के किन किन ठेकेदारों में खान की रॉयल्टी की रकम अभी तक बकाया है ?

(ख) यह रकम कब से बकाया है और कितनी कितनी है ?

(ग) सरकार ने इस रकम को वसूल करने में अब तक क्या क्या प्रयत्न किये व अब कब तक यह सब बकाया रकम वसूल कर ली जावेगी ?

**मुख्य व खनिज मन्त्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) पी. डी. आर. एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

( कृपया परिशिष्ट ४ देखिये। )

## भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों द्वारा नौकरी दिलाने हेतु प्रेषित दरख्वास्तों पर कार्यवाही

१२३. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

( श्री शंकरलाल )

(१) राजस्थान के कितने भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष नौकरी दिलाने की दरख्वास्तें पेश की ? सूची ज़िलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इनमें से कितनी दरख्वास्तों का फैसला हो चुका है, कितनी दरख्वस्तें विचाराधीन हैं और कितने व्यक्तियों को नौकरी मिल गई ?

(३) इन विचाराधीन दरख्वास्तों का फैसला अभी तक नहीं होने का क्या कारण है, और अब कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

**राजस्व मन्त्री**(श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) ३७४१, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) २८५१ दरख्वास्तों पर फैसला हो चुका है। ८९० दरख्वास्तें विचाराधीन हैं। १२९७ व्यक्तियों को नौकरी मिल चुकी है।

(३) जिलों में तथा अन्य विभागों में स्थान रिक्त होने पर इन पेन्डिंग प्रार्थना पत्रों में से केसेज़ पर विचार किया जाता है और कर्मचारी को नियमानुसार एब्ज़ोर्ब कर लिया जाता है। निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि स्थान रिक्त होने पर ही कार्यवाही सम्भव है।

( कृपया परिशिष्ट ५ देखिये )

**श्री शंकरलाल** : १२९७ को नौकरी मिल गई और ८९० विचाराधीन हैं, तो बाकी १५५४ आदमियों का क्या हुआ ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : खारिज।

( हंसी )

**श्री शंकरलाल** : ज्यों ज्यों स्थान रिक्त होते हैं त्यों त्यों नौकरी दी जाती है, तो ये स्थान जब रिक्त होंगे तब मिलेंगे या न्यू रिक्रूटमेंट में भी इनको लिया जावेगा ?

**श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर-सु): जगह नहीं होगी तो कहां से देंगे ?

( हंसी )

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी हां।

**श्री शंकरलाल** : नये रिक्रूटमेंट में कितने लिये गये ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : नये रिक्रूटमेंट से मतलब क्या है आपका ?

**श्री शंकरलाल** : नये नये विभागों में जो भरती होती है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : वह तो पी. एस. सी से होती है। फिर जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के तहत जो एब्जोर्पशन के रूल्स हैं, जहां जहां जगह खाली होती जाती हैं वहां एब्जोर्ब करते जाते हैं। बाकी का तो माननीय सदस्य ने जवाब दे दिया है।

**प्रश्न संख्या १२४**

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

**जनसम्पर्क विभाग के कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियां**

**१२५. श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) :

# Page No.14



( श्री पी० के० चौधरी )

Will the Public Relation Minister be pleased to state:-

Is it a fact that during the years, 1956-57, 1957-58 and 1958-59 amounts have been advanced to certain employees of the Directorate of Public Relations for their private work ? If so, the names of the persons who received the advances, reasons for making the advances, the amounts received by each of them and the amount recovered from every one of them may be stated ?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : No, Sir.

The question does not arise.

**जैसलमेर जिले से बीकानेर जिले में तबदील किये गये गांवों का सैटलमेन्ट**

१२६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जैसलमेर के कितने गांव बीकानेर ज़िले में तबदील किये गये हैं ?

(ख) क्या उन गांवों का सैटलमेन्ट हो चुका है ? अगर नहीं, तो सरकार इस काम को कब तक शुरू करवाने का इरादा रखती है ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): ४१ गांव।

(ख) जी हां। संक्षिप्त बन्दोबस्त हो चुका है।

**श्री भीमसेन** : रेगुलर सैटलमेन्ट कब तक हो जावेगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : राजस्थान कैनाल एरिया में आदेश दे दिया गया है।

**राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के अन्तर्गत हो रहे शोध कार्य**

१२७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर, के अन्तर्गत कौन कौन शोध-कार्य कर रहे हैं तथा उनकी योग्यता क्या है ?

**उप-मन्त्री शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

**श्री मुरलीधर व्यास** : सूची देखी है। उसमें नम्बर एक में जो भीलों के गीत हैं क्या इनका संग्रह उन भील क्षेत्रों में जाकर किया जाता है या उन किताबों से जो पुरानी हैं और जिन पर शोध कार्य किया जा सकता है ; यह शोध कार्य किस प्रकार किया जाता है ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): किताबों में जो लिखा नहीं है उनको किताबों में लिखने के लिये ही तो इकट्ठा किया जाता है।

# Page No.15



**श्री मुरलीधर व्यास** : दो बातें हैं । एक तो रिसर्च करना, किताबों में से ही निकाल कर रिसर्च करते हैं; या दूसरा तरीका यह कि संग्रह इस तरह करते हैं कि जिनके लिये क्षेत्रों में ही जाकर किया जा सकता है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : क्षेत्रों में जाकर संग्रह किया जाता है ।

**डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : 'भीलों के गीत' नाम से अलग विभाजन क्यों किया गया ? 'राजस्थान के लोकगीत' ऐसा क्यों नहीं मान कर किया गया ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : वह तो है ही, पर इस कार्य को विशेष तौर पर किया जा रहा है ।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : उन गीतों को समझने वाले कम हैं । उनमें ऐसे ऐसे गीत गाये जाते हैं जो बहुत ही खराब हैं, क्या ऐसी कोई आपको सूचना मिली ? ऐसे बहुत ही खराब गीत पब्लिक में नहीं आने चाहिये ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ऐसी सूचना तो पहले पहल आपके द्वारा ही मिली है ।

(हंसी)

**श्री मदनसिंह** : अभी उदयपुर के एक माने हुए नेता यहां पधारे थे तो उनके स्वागत में जला मारू गाया गया था, जो खराब गीत है । उसे जंवाई लोग आते हैं तब औरतें गाती हैं ।

**श्री नाथूराम** : वह तो अच्छा ही गीत है, बुरा थोड़े ही है ।

**श्री मदनसिंह** : 'जला मारू' अच्छा है ! नेता के पधारने पर गवाया जाना आप अच्छा समझते हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : कहां पर गवाया गया ?

**श्री मदनसिंह** : गोकुलभाई भट्ट पधारे थे तब गवाया गया था ।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : गीत की पहली लाइन तो सुना दें, क्या है वह गीत ? जला मारू जो है एक बहुत ही उच्च कोटि का गीत माना जाता है और जला का सम्बन्ध शादी में गाये जाने वाले गीतों से है । सारे राजस्थान में यह गीत गाया जाता है ।

**श्री मदनसिंह** : यह बात सत्य है, तो ठीक है । शादी होने के बाद जंवाई जाता है तब उसको इन्वाइट करने में इसे गाते हैं, तो गोकुल भाई को भी जंवाई बनाकर इन्वाइट किया गया था क्या ? इसके लिये सब जगह चर्चा है । यह खराब चीज़ है । वे किनके जंवाई बन कर आये थे । दूल्हे की पोशाक पहन कर स्वागत किया गया था क्या ? कम से कम ऐसे नेताओं के स्वागत में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिये ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं समझा नहीं । गोकुलभाई का अभी जो अभिनन्दन हुआ उसमें जो आये उससे आपका मतलब है क्या ? अगर इससे है तो आपकी यह जानकारी गलत है । इसमें कोई जला मारू, ढोला मारू नहीं गाया गया । उसमें तो हम सब वहां उपस्थित थे ।

# Page No.16



**श्री मदनसिंह** : ऐसी चर्चा है। अगर यह जैसा आप कहते हैं, गलत है तो बहुत खुशी है।

**श्री अध्यक्ष** : उस जलसे से सरकार का क्या सम्बन्ध है ?

**डॉ० चन्द्रकला** : माननीय सदस्य ने कोई सपना तो नहीं देखा था ?

(हंसी)

**श्री मदनसिंह** : मेरी सूचना है कि गाया गया था ?

**डॉ० चन्द्रकला** : कहां ? शुरू से आखिर तक मैं उसमें थी।

**कोतवाली भीलवाड़ा तथा रेल्वे थाने में पुलिस अधिकारियों द्वारा वकीलों के साथ किया गया अभद्र व्यवहार**

१८८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या अगस्त १६५६ के अन्तिम सप्ताह में कोतवाली भीलवाड़ा तथा रेल्वे थाने में पुलिस अधिकारियों द्वारा शराब पीकर कुछ वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया ? क्या भीलवाड़ा बार एसोसियेशन ने कोई प्रस्ताव इसके विरुद्ध पारित करके राज्य सरकार के पास भेजा था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

**गृह मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : जी नहीं, गवर्नमेंट रेल्वे पुलिस भीलवाड़ा व कोतवाली पुलिस भीलवाड़ा ने वहां के वकीलों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया; फिर भी २७, २८-८-५६ को रेल्वे पुलिस स्टेशन की घटना के बाबत वहां के वकीलों ने एक प्रस्ताव पास किया था और इसी विषय में महानिरीक्षक, आरक्षी विभाग, राजस्थान, के कार्यालय में एक तार भी आया था। इस मामले की जांच कराई गई तो तार में लिखे गये आरोप झूठे पाये गये। एक और प्रस्ताव ता: २०-८-५६ को कोतवाली भीलवाड़ा की घटना के विषय में सिर्फ अधीक्षक, आरक्षी विभाग, भीलवाड़ा, को प्राप्त हुआ था उन्होंने इस घटना की जांच पहिले ही कर ली थी और उसे झूठा पाया; अतः प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह जो इस प्रकार की जांच की गई तो जिन वकीलों ने प्रस्ताव भेजा था क्या उनके प्रतिनिधि मण्डल से भी इस बात की जानकारी ली थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसके ज्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अभी कोर्ट में चालू है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह क्या बात है, यह कह दिया जाता है कि कोर्ट में है और जवाब नहीं दिया जाता है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो वैसे मुझे शुरू में ही कह देना चाहिए था, फिर चूंकि आपने जानकारी चाही थी इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया।

**श्री भानसिंह** (बयाना) : यह तो आपने कह दिया लेकिन इस केस में शिकायत झूठी पाई गई ?

# Page No.17



**श्री रामकिशोर व्यास** : मैं अर्ज करूं कि पुलिस ने इन्क्वायरी की और वह गलत पाई गई । यह तो प्राईवेट कम्पलेन्ट है ।

**श्री श्रीभानसिंह** : आपने जब पुलिस से इन्क्वायरी कराई तो जब बार एसोसियेशन ने कम्पलेन्ट की थी तो क्या वकीलों की सब की एवीडेन्स नोट की गई थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास**: वह तो बार में दस, बीस, पचास मेम्बर्स होंगे लेकिन जिनकी एवीडेन्स जरूरी थी उनकी ली गई ।

**श्री श्रीभानसिंह** : Then it should have been said that the case is subjudice. The Hon'ble Minister has given opinion in the House. Was the. President of the Bar associated ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो मैं नहीं कह सकता कि किन किन को एसोसियेट किया । वह तो रेल्वे के टिकट कलेक्टर का झगड़ा था । जो साहब वहां गये थे उनके पास में झगड़ा था, कुछ मारपीट की । इसमें टिकट कलेक्टर के भी चोट आई । उसका डॉक्टरी मुआयना हुआ और उस केस में दो वकीलों का चालान अदालत में हुआ । काउन्टर उन्होंने किया, कुछ वकीलों ने शिकायत की । वह केस फौरन फाइल कर दिया गया । इसलिए मैंने कहा कि शिकायत सही नहीं पाई गई ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : कुछ वकीलों ने की या बार एसोसियेशन ने ऐसा किया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : बार एसोसियेशन के सेक्रेटरी ने की । वह भी एक शिकायत में इन्वॉल्व्ड हैं ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने जो छानबीन की तो क्या उन्होंने बार एसोसियेशन के मेम्बरों ने शिकायत की तो उनसे भी जानकारी ली या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : उसमें दो मेम्बर बार के हैं और वह खुद एक्यूज्ड हैं ।

**श्री मनोहर कोठारी** : क्या मारपीट भी हुई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैंने कहा कि हां, चालान हो गया है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री पी० के० चौधरी ।

## शिक्षण तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को दिये गये अनुदान ऋण तथा सहायता-अनुदानों (subsidies) की राशि

**१२६. श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Education Minister be pleased to state:—

What are the amounts of grants, loans and subsidies given by the State Government to the Educational and Cultural Instituions in the State during the years 1958-59 and 1959-60 ? A statement showing districtwise aid received by each of these categories of institutions during the period in question may be supplied.

**उप-मन्त्री, शिक्षा ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) :** The amount of grant-in-aid given by the State Government to the Educational and Cultural Institutions during the year 1958-59 and 1959-60 is as follows:—

| | 1958-59 | 1959-60 |
|---|---|---|
| 1. Educational Institutions. | 30,39,526/- | 32,06,603/ |
| 2. Cultural Institutions. | 44,770/- | 50,763/- |

Statement showing districtwise aid given to each of these categories of institutions during the period in question has been placed on the table of the House. No loans and subsidies were given by the State Government to the institutions during the year 58 59 and 59-60.

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

**श्री पी० के० चौधरी :** यह जो एज्यूकेशनल इन्स्टीट्युशन को एड दी गई है उसमें जयपुर डिस्ट्रिक्ट की पोपुलेशन और साइज़ को देखते हुए उसके मुकाबिले में जो जोधपुर है वह आधा है और उदयपुर २/३ है, फिर भी उनको ज्यादा क्यों दी गई ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** It depends upon the number of institutions which seek grant-in- aid and if there are more private institutions, then the grant-in-aid shall be larger and if there are lesser number of private institutions, then the number shall be lesser.

**श्री पी० के० चौधरी :** What is the number of institutions ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** This information was not asked.

**श्री श्रीमानसिंह :** If it is brought to your knowledge that Jodhpur and Udaipur has lesser number of institutions, will it decrease now ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** There might be small number of institutions.

**श्री पी० के० चौधरी :** उदयपुर के कल्चरल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्युशन्स को ग्रान्ट आपने ६० पर्सेन्ट दी और दूसरी सभी जगहों के लिए ४० पर्सेन्ट दी, इसका क्या कारण है ?

**मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया)** वहां थोड़ा कल्चरल ज्यादा मामला चलता है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

## देवस्थान विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

१३०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या धर्मार्थ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग, बीकानेर, के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता व पत्तल प्रसाद में से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या राजस्थान के सभी भागों में देवस्थान विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता है ?

# Page No.19



**मंत्री धर्मार्थ** (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं। देवस्थान विभाग, बीकानेर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को महगाई भत्ता बराबर दिया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। मंहगाई भत्ता सब जगह दिया जाता है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : पत्तल प्रसाद ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : देवस्थान के पुजारियों को मिलता है। चतुर्थ श्रेणी के लिए आपने पूछा उसके लिये हर एक मन्दिर में अलग अलग पत्तल वगैरह का हिसाब है।

**डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पुजारियों के अलावा यह पत्तल प्रसाद किसी को नहीं मिलता ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जो मन्दिरों के पुजारी हैं उनको ही मिलता है।

**डॉ० चन्द्रकला** : जिनको पत्तल प्रसाद मिलता है क्या उनको डीयरनेस अलाउन्स मिलता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपने जिस जगह के लिये पूछा वहां के लिए मैंने कह दिया। अगर आप किसी खास मन्दिर के लिए पूछना चाहते हैं तो अलग अलग जगह के मन्दिरों के लिए पत्तल किस कीमत की मिलती है, तो उनको उसी हिसाब से डी०ए० मिल जाता है।

**श्री जनार्दनराय नागर** (मालवी): क्या यह सही है कि मन्दिरों में जो पुजारियों को हार्ड अलॉउन्स मिलता है वह उसमें से चन्दा करके भगवान को मोदक यानी लड्डू का भोग लगाते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह गलत है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : अध्यक्ष महोदय, मेरी निश्चित सूचना है कि इस प्रकार की बात मन्दिरों में हो रही है। मन्दिरों में जो पुजारियों को हार्ड अलॉउन्स मिलता है वह उसमें से पैसा इकट्ठा करके भगवान के भोग लगाते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मेरी भी निश्चित सूचना है कि आपकी सूचना गलत है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : मुझे पुजारियों ने कहा है कि इस प्रकार की बात होती है, इसकी जांच होनी चाहिए।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : ज्यादा अच्छा हो कि आप खुद दुबारा उनसे समझ लें।

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : इससे आपका मतलब है कि वह समझदार नहीं हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : वह आप समझ लीजिए।

**श्री जनार्दनराय नागर** : इन पुजारियों को आप मंहगाई भत्ता दुबारा कब तक दे देंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कहां के पुजारियों को ?

**श्री जनार्दनराय नागर** : खास तौर से जयपुर डिविज़न के पुजारियों को सन् ५६ से महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न बीकानेर का है।

**श्री जनार्दनराय नागर** : प्रश्न तो बीकानेर, जोधपुर या जयपुर कहीं का भी हो, आखिर है राजस्थान का।

**श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभनगर-सु): वह तो मूर्ति पत्थर की है वह लड्डू नहीं खाती है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री पी० के० चौधरी

## राजस्थान प्रदर्शनी, १९५९, में दुकानें (Stalls) बनाने के निमित्त दिया गया ठेका

**१३१. श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Public Relations Minister be pleased to state:—

1. Is it correct that the contract for the erection of stalls in Rajasthan Exhibition, 1959, at Jaipur was given to a cloth merchant named Shri Govind Narain Minabazar for Rs. 50,000/-? If so, what are sizes and numbers of stalls erected by him ?

2. What is his experience in this line and whether tenders were called before giving the contract to Shri Minabazar ?

**जनसम्पर्क मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास)** : 1. The contract was given to M/s Miyan Bazaz & Co. of Jaipur. Their total bill amounts to Rs. 49,500/- which has not been fully paid and is under the final stage of examination. They made stalls according to the list enclosed herewith.

2. The Department did not go into the question of their experience, as it was not considered necessary. The work was given on the basis of open tenders called through an advertisement inserted in the local newspapers. The work did not require any special experience.

( कृपया परिशिष्ट द देखिये )

**श्री पी० के० चौधरी** : Is it correct that he was a cloth merchant and not a contractor ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : What is the difficulty ?

**श्री पी० के० चौधरी** : But the contracts are never given to a person who has no experience in the line.

**श्री रामकिशोर व्यास** : टिन लगाने में क्या है ?

**श्री पी० के० चौधरी** : This is a strange thing that you are giving contracts to cloth merchants, for mechanical engineering articles.

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह तो टेन्डर ओपन इन्वाइट किये थे और जो लोएस्ट टेन्डर आया वह मंजूर हो गया। टिन लगाने का काम था वह उसने ठीक तरह से कर दिया।

**श्री पी० के० चौधरी :** और किसने टेन्डर दिये थे ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** यह तो नहीं मालूम, पर वह लोएस्ट था ।

**श्री पी० के० चौधरी :** How many other tenderers were there ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** कितने और आये, यह तो मालूम नहीं है लेकिन उसका लोएस्ट है मुझे मालूम है ।

**श्री पी० के० चौधरी :** क्या आपके टेन्डर के टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स में यह था कि, whether there was a term in the tender notice that tender notice is not necessary to be given to a lowest tenderer but to a competent man.

**श्री रामकिशोर व्यास :** Yes, we can reject the lowest tender even, if the Government feels that the man who has given the tender is not fit.

**श्री पी० के० चौधरी :** Is it necessary to have it...

**श्री अध्यक्ष :** आपके कहने का मतलब यह है कि ऊंचे टेन्डर स्वीकार करने चाहिये थे ?

**श्री पी० के० चौधरी :** People who are in the construction line they, were not given the contract.

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मन्त्री ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि नहीं कर सकते थे, इसलिये दे दिये ।

**श्री पी० के० चौधरी :** How can a Cloth Merchant be given that contract ?

**श्री रामकिशोर व्यास :** एक आदमी काम कर सकता है । ओपन टेन्डर इन्वाइट होते हैं तो कोई भी दे सकता है । टेन्डर एक्सेप्ट लोएस्ट किया है, उसके लिए अगर आपका यह फरमाना है कि लोएस्ट टेन्डर को रिजेक्ट कर देना चाहिए, वह वहां पर मैं मुनासिब नहीं समझता । जो काम हुआ वह ठीक हुआ । एक्सपर्ट का कोई काम नहीं था, टीन गाड़ने का काम था ।

## लालसोट केथून रोड

१३२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** ( लालसोट ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) लालसोट केथून रोड पर डामर डालने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क के बनने के साथ साथ ही खराब हो जाने की शिकायत सरकार के समक्ष आई है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कब करवाई गई ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** ( श्री हरिश्चन्द्र ) : (१) डामर डालने की कोई मन्जूरी इस सड़क के लिये न होने के कारण इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(२) क्योंकि यह सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है, न इस विभाग को कोई शिकायत की सूचना मिली है इसलिये इसके

( श्री हरिश्चन्द्र )

खराब होने और जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : उसमें १२ मील का टुकड़ा तैयार हो गया है उस पर अगर उसकी मरम्मत नहीं करायेंगे तो सब खराब हो जायगी। वह सड़क ऐसी बनी है कि ठेकेदार की जांच करवाने से पता चलेगा।

**श्री हरिश्चन्द्र** : क्या कहा आपने, सुना नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि १२ मील का टुकड़ा बन चुका है, वह खराब हो रहा है; इसलिए उसकी आप जांच करवा लें और ठीक करवा लें।

**श्री हरिश्चन्द्र** : जांच करवा लूंगा।

**प्रश्न संख्या १००**

**श्री अध्यक्ष** : श्री उम्मेदीलाल।

( अनुपस्थित )

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

## राजकीय सचिवालय में स्टेनोग्राफर्स की संख्या

**१०४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाज़ार, जयपुर ) : Will the Chief Minister kindly reply the following question :—

1. What is the total strength of the stenographers in the Secretariat and how many are working on these posts substantively and temporarily in different grades? For how long the temporary or officiating appointments are continuing and why they have not been made permanent so far, though the persons concerned have qualified themselves for the posts?

2. What is the basis of posting of the Stenographers with the Ministers/Dy. Ministers/Secretaries and other officers? Is it in accordance with seniority or gradation? If not, why?

3. Is it a fact that there is a Stenographer in the Secretariat who does not know stenography and is not discharging such duties? If so, why such a Stenographer's cadre and what work has been entrusted to her?

4. Is it a fact that the Stenographers attached with the Ministers/Dy. Ministers are allowed a special pay of Rs. 50/ p. m. but this special pay is not allowed to grade I Stenographers? If so, why?

5. Is it a fact that the Stenographers of Ajmer Unit who have opted their unit scales of pay have also been given the privileges of Unified Pay Scales of Rajasthan? If so, to what extent and under what rules?

**मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):** The total strength of Stenographers in the Sectt. is 96. 2 Grade II Stenographers are officiating in Grade I

Page No.23



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

and 10 Grade III Stenographers in Grade II. The officiating hands cannot be confirmed as substantive Grade I and Grade II Stenographers who are working on certain other posts still retain lien on these posts. There are 23 temporary posts out of these 96.

5 Temporary Stenographers approved by the P. S. C. are working on five permanent vacant posts in Grade III since 13th January, 1958. They have not been confirmed because of the general ban on such confirmations pending finalisation of integration of Ajmer employees.

2. The posting of Stenographers with Ministers, Deputy Ministers and Secretaries is generally made in accordance with the preference indicated by them. These are not done on the basis of seniority or gradation.

3. Yes. She is discharging certain clerical duties. She is being retained as a Stenographer because she was a substantive Stenographer in former Ajmer State and has to be integrated as such.

4. Yes. The special pay is not allowed to Grade I stenographers on their attachment to Ministers/Deputy Ministers because of the higher scale of pay allowed to them.

5. The Stenographers of Ajmer unit absorbed in the Rajasthan Sectt. who have opted their unit scales of pay have not been allowed any privilege given under the Unified Pay Scales or the Rationalised Pay Scales except that special pay attached with the Raj. Scales of pay has been allowed to the Ajmer employees even with their Unit Scales of pay, vide order No. F. 1 (104) AC/56-Pt. II dated 30.7.1959.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह जो मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स के साथ में काम करते हैं स्टेनोग्राफर्स, उनके लिए सीनियोरिटी और ग्रेडेशन के हिसाब से फिक्सेशन क्यों नहीं किया जाता है? यानि मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स के साथ में जो स्टेनोग्राफर्स लगे हुए हैं उन सब को ५०) रु० अलाउन्स मिलता है, उनके साथ थर्ड ग्रेड के स्टेनोग्राफर्स को लगाया जाता है तो मिनिस्टर्स के लिए फर्स्ट ग्रेड के स्टेनोग्राफर्स में से व डिप्टी मिनिस्टर्स के लिए सेकण्ड ग्रेड के स्टेनोग्राफर्स में से और सेक्रेटरीज़ के पास थर्ड ग्रेड के स्टेनोग्राफर्स में क्यों नहीं सलेक्शन किया जाता है सीनियोरिटी और ग्रेडेशन के हिसाब से। उनके बीच में से सिलेक्ट कर लें।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : यह आवश्यक नहीं है। मिनिस्टर्स पर डिपेन्ड करता है कि किस स्टेनोग्राफर को वे अपने कॉन्फीडेन्स का समझते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : वहां पर थर्ड ग्रेड के लेने के बजाय वे फर्स्ट ग्रेड में से लगाये जायं और डिप्टी मिनिस्टर्स के यहां सेकण्ड ग्रेड का लगाया जाय और सेक्रेटरीज़

# Page No.24



( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

वगैरह के यहां थर्ड ग्रेड के लगाये जायं ; इस प्रकार से सीनियोरिटी और ग्रेडेशन के हिसाब से सिलेक्शन हो तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को एन्करेजमेंट मिलेगा ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ऐसी पाबन्दी लगाना उचित नहीं समझा गया और न ही उचित समझा जाता है हर एक के लिए ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मिस एस. के. प्रतिभा स्टेनोग्राफर का काम नहीं कर रही है, लेकिन स्टेनोग्राफर्स की ग्रेड में है ।

**श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : क्या काम करती है ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एल. डी. सी का काम करती हैं, तो क्या यह उचित है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं अपने प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर चुका हूं कि इन्टीग्रेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक क्योंकि वह अजमेर स्टेट के अन्दर स्टेनोग्राफर थीं, इसलिए अभी तक उसी में है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह ठीक है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैंने खुद ने कहा कि ठीक नहीं है । वे दूसरी पोस्ट पर काम कर रही हैं ।

**श्री अर्जुनदास** : वे किस मिनिस्टर के पास स्टेनोग्राफर थीं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसकी जानकारी आपको मुझसे ज्यादा है ।

(हंसी)

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : डियरनेस अलाउन्स में दोनों में डिस्टिंक्शन है राजस्थान के स्टेनोग्राफर के साथ में और अजमेर स्टेट के स्टेनोग्राफर्स के साथ में, is this corect.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इसका मैं उत्तर दे चुका हूं । मैं समझता हूं उसमें स्पष्ट है ।

**प्रश्न संख्या १०८**

**श्री अध्यक्ष** : श्री जयचन्द्र मोहिल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ११६ का का उत्तर दिला दें ।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : This question may be replied, Sir.

**श्री अध्यक्ष** : इसका उत्तर नहीं आया है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : नेक्स्ट वीक में?

**श्री अध्यक्ष** : Yes

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : इसका उत्तर क्यों नहीं आया ?

**श्री अध्यक्ष** : हमारे पास चिट्ठी आई है कि सूचना कोई नहीं है ।

**समाज कल्याण मंत्री** ( श्री रिखबचन्द धारीवाल) : उत्तर आज दे दिया है

# Page No.25



**श्री अध्यक्ष** : तो फिर उत्तर दे दीजिये।

**प्रश्न**

**उदयपुर में हुए दलित वर्ग सम्मेलन के हिसाब में घोटाला**

१०८. **श्री जयचन्द मोहिल** (कपासिन सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा सहायता प्राप्त राजस्थान दलित वर्ग संघ के अन्तर्गत सन् १९५६ में उदयपुर में दलित वर्ग सम्मेलन किया गया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार की ओर से इस सम्मेलन के लिये सहायता दी गई थी ? यदि हां, तो किस किस रूप में, कितनी कितनी और किस किस को ?

(३) इस सम्मेलन में कुल कितना खर्चा हुआ और कुल कितनी आय किस किस प्रकार से हुई ?

(४) उक्त खर्च और आय का हिसाब किसके जिम्मे था ?

(५) क्या यह सत्य है कि इस सम्मेलन के हिसाब में घोटाला है ? यदि हां, तो कितना ?

**समाज कल्याण मंत्री** (श्री रिखबचन्द धारीवाल ) : (१) जी हां।

(२) इस सम्मेलन के लिये कोई सहायता नहीं दी गई थी। संस्था को नियमों के अनुसार कुल १९,५४० रु० ७ आ० दिये गये।

(३) १९५५–५६ का हिसाब संस्था ने प्रकाशित कर दिया है उसमें सम्मेलन का खर्च भी शामिल है। वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) विभाग से जो भी रकम दी गई वह नियमनुसार अध्यक्ष को संस्था के हेतु दी गई थी। हिसाब संस्था के जिम्मे था।

(५) संस्था ने जो हिसाब पेश किया है वह रिपोर्ट में दर्ज है। अलबत्ता ऑडिटर्स ने सम्मेलन में खर्च हुए रकम में ३, ५१८ रु० के खर्च के प्रमाणपत्र संस्था से मांगे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने प्रस्तुत नहीं किये है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : १९,०००) रु० में से कुल कितना रुपया सम्मेलन में खर्च हुआ ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : रिपोर्ट देखिये।

**श्री मुरलीधर व्यास** : रिपोर्ट सब के पास नहीं है, आप ही बता दें।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो सवाल पूछते हैं वे पूछें।

**श्री अध्यक्ष** : वह इतना लम्बा उत्तर था उसके बारे में डिटेल में पूछेंगे तो कितना समय लगेगा ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : आंकड़े का सवाल है। १९ हजार में से सम्मेलन में कितना खर्चा हुआ, ३६००) रु० का तो हिसाब ही नहीं मिला।

**श्री अध्यक्ष**: सम्मेलन के हिसाब का तो सवाल ही है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि ५६७६) रु० खर्च हुआ था।

**श्री पी०के० चौधरी** (फुलेरा): क्या यह बात सही है कि किसी संस्था को सहायता दी जाती है लेकिन उनका हिसाब ऑडिटेड नहीं होता है, तो अगले साल दुबारा हैल्प नहीं देना चाहिए, लेकिन इस संस्था को इसके बाद में भी हैल्प दी गई है।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ५६ में इसको सहायता दी गई थी और जब ५७ में ऑडिट हुआ तो उन्होंने कहा कि दे देंगे। अगर नहीं देंगे तो आयन्दा कार्यवाही कर लेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या यह सही है कि सन् ५७ के बाद उसको सुविधा दी गई।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : जी हां।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या सन् ५७ से ऑडिट ऑब्जेक्शन्स पेन्डिग हैं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : मैंने निवेदन किया कि ऑडिटर्स ने वाउचर्स मांगे थे, वे दिये नहीं। इस बारे में अगले वर्ष देख लेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह सही है कि जिसका अकाउन्ट क्लीन और क्लीयर नहीं हो उसको गवर्नमेन्ट सहायता नहीं दे सकती ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : किसी एक साल का नहीं देते है तो अगले किसी एक साल में रकम काट ली जाती है। चाहे ५७ हो या ५८ या ५६ में हो एक साल में काट ली जायगी।

**श्री पी० के० चौधरी** : क्या यह सही है कि ३ हज़ार रुपयों के वाउचर्स ऑडिटर्स ने मांगे थे वे उनको नहीं बताये और यह भी नहीं बताया कि दाल में खर्च हुए या चावल में खर्च हुए या और किसी में खर्च हुए ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : ऑडिटर्स ने यह रिपोर्ट की है कि उन्होंने ३ हज़ार के बारे में वाउचर्स मांगे थे, लेकिन उन्होंने दिये नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री भैरोंसिंह** : प्रश्न संख्या ११४.

**श्री मुरलीधर व्यास** : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह आया है कि सम्मेलन के लिये बाहर से....

**श्री अध्यक्ष** : इसमें काफी सप्लीमेन्ट्रीज हो चुके हैं। और सदस्यों के भी प्रश्न बाकी हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ११४.

**राजस्व मंत्री** (श्रीदामोदरलाल व्यास) : He is not asking this question.

**श्री अध्यक्ष** : वे पूछ रहे हैं।

### धापड़ा, तहसील मांडल, के भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का अलॉटमेन्ट तथा वेदखली

११४. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) व श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :

(श्री भैरोंसिंह)

क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री विरमसिंह, दूदसिंह, कूपसिंह, पूनमसिंह, भैरोंसिंह, प्रेमसिंह रावत, निवासी धापड़ा, तहसील मान्डल को भूतपूर्व सैनिक होने के कारण उदयपुर कमिश्नर की आज्ञानुसार तहसीलदार द्वारा कुल १५५ बीघा भूमि अलॉट की गई, जिसका पटवारी हल्का ने उनको २२. ११. ५७ को कब्जा कराया ?

(२) यदि हां, तो कितनी कितनी भूमि प्रत्येक को प्राप्त हुई ?

(३) क्या यह सही है कि भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद विरमसिंह वगैरह ने भूमि को तैयार किया था उसमें रहने के लिए मकान बनाये तथा काश्त करने लगे ?

(४) क्या यह सही है कि इस गत खरीफ की फसल में उक्त जमीन में मक्की, तिल मोठ, मूंग, चंवला, कुथल आदि की काश्त हुई थी ?

(५) क्या यह सही है कि सरकार के राजस्व विभाग की राजस्थान सं. एफ. २ (१६५) रे. बी. ५६, दिनांक २२. ७. ५६ के द्वारा राजस्व मंत्री द्वारा इस आठ, दस—हज़ार रुपये की खड़ी फसल से इन काश्तकारों की बेदखल किये जाने की आज्ञा जारी की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि इस आज्ञा के अनुसार तहसीलदार ने बशिरकत पंचायत हल्का खड़ी फसल में मवेशी छुड़वा दिये तथा इनको जमीन से बेदखल कर दिया ?

(७) इस गांव में कुल मवेशियों की संख्या कितनी है तथा गोचर भूमि अथवा इस भूमि के अलावा अन्य प्रकार की पड़त भूमि कितनी है ?

(८) क्या इस अलाटमेन्ट को लेकर फौजी सैनिकों में काफी असंतोष है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(९) क्या इस भूमि के अलॉटमेन्ट से लेकर अब तक की समस्त कार्यवाहियों के लिए किन्हीं सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध कोई एक्शन लिया गया है ? यदि हां, तो किन किन के विरुद्ध, और क्यों ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) बिला अधिकार सन् ५८ में ४५ बीघा भूमि पर व सन् ५९ में ८२ बीघा १३ बिस्वा पर काश्त की थी।

(४) जी हां।

(५) तारीख २२. ७. ५९ को बेदखल करने की आज्ञा दी थी, परन्तु बाद को फसल के खड़े होने के कारण फसल कट जाने तक के लिये बेदखल न किये जाने की आज्ञा दी गई।

(६) जी नहीं।

( श्री दामोदरलाल व्यास )

(७) मवेशियों की संख्या ६२७ है तथा २०० बीघा मकबूजा चरनोट कायम है व ५५५ बीघा बिला नाम है।

(८) वे नियमानुसार भूमि प्राप्त करें।

(६) कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : इस भूमि पर उन्होंने किस प्रकार से अधिकार प्राप्त किया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : एक्स सर-विसमेन को भूमि अलॉट करने के नियम के अनुसार केवल गवर्नमेन्ट को भूमि उन्हें अलॉट करने का अधिकार। तहसीलदार ने इन्हें जमीन अलॉट करने की सिफारिश करके कागज एस. डी. ओ. के पास भेज दिये। एस. डी. ओ. से कलेक्टर और देन कमिश्नर के पास जाते हैं and then it should come to the Government। एस. डी. ओ. ने उनको तुरन्त लिख दिया कि जब तक गवर्नमेंट की मंजूरी न आ जावे तब तक तुम इस पर कब्जा करके काश्त मत करना और अगर ऐसा करोगे तो तुम अपनी जिम्मेदारी पर करोगे। बावजूद इसके भी उन्होंने इस पर कब्जा करके काश्त करदी और इस वजह से उनकी हैसियत ट्रेसपासर से अधिक नहीं थी। चारागाह के लिए प्रिफरेन्स देने का प्रोविजन रूल्स में भी है और क्योंकि यह भूमि चरागाह से मिली हुई थी इसलिए उनको नहीं दी गई और उनको हिदायत कर दी गई कि उनको दूसरी जमीन दी जा सकती है, यह जमीन चरागाह के लिए ही दी जायगी। इस पर फिर उनका रिप्रेजेन्टेशन आया कि इस पर काश्त खड़ी है इस पर एज़ ए ग्रेस और एज़ ए कंसेशन टू एक्स सोलजर्स यह इजाजत दी गई कि जब तक यह काश्त खड़ी है तब तक बेदखल नहीं किया जाए। क्योंकि उनकी हैसियत ट्रेसपासर्स से अधिक नहीं थी इसलिए उनको बेदखल करने का अधिकार गवर्नमेंट को है। उनको बेदखल किया तब यह भी कंसीडर किया था कि ये लोग भूमिहीन नहीं हैं और उनके पास अलग अलग जमीन है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि स्थानीय तहसीलदार ने सोलजर्स बोर्ड को इन्फार्मेशन दी थी कि अमुक आदमियों को कब्जा दिया गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या किसी सरकारी अधिकारी के बिना कब्जा कराये ही उन्होंने कब्जा कर लिया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : तहसीलदार ने भूमि अलॉट करके आगे लिखा, लेकिन एस. डी. ओ. ने तुरन्त उनको लिखित रूप से नोटिस दिया कि आप उस पर कोई काश्त या इन्वेस्टमेंन्ट करना नहीं; जब तक कि गवर्नमेंट की मंजूरी न आ जावे और यदि करोगे तो कानूनन इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा प्रश्न यह है कि पोज़ीशन क्या है ? तहसीलदार या किसी अन्य ऑफिसर ने उनको कब्जा करवाया या उन्होंने खुद ने किया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने इस बारे में पहले कह दिया है।

# Page No.29



**श्री भैरोंसिंह** : आप अलॉटमेन्ट की बात कहते हैं, लेकिन मैं पजेशन की बात पूछता हूँ।

**श्री दामोदर लाल व्यास** : आप मुझे सूचना दे रहे हैं, मैं इसकी जानकारी करूंगा।

**श्री भैरोंसिंह** : उनको पजेशन पटवारी या तहसीलदार ने दिलाया था या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : इन्होंने यहां तक कहा था कि आप काश्त न करें, जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं आ जावें।

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो एस. डी. ओ. ने कहा।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : शायद सवाल का जवाब आपने सुना नहीं। मैंने "जी नहीं" कहा है।

**श्री भैरोंसिंह** : लेकिन तहसीलदार या पटवारी ने कब्जा कराया, उसके लिए आपने कुछ नहीं कहा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपका सवाल यह है, "क्या यह सही है कि श्री विरमसिंह, दूदसिंह, कूपसिंह, पूनमसिंह, भैरोंसिंह, प्रेमसिंह रावत, निवासी धापड़ा, तहसील मांडल को भूतपूर्व सैनिक होने के कारण उदयपुर कमिश्नर की आज्ञानुसार तहसीलदार द्वारा कुल १५५ बीघा भूमि अलॉट की गई, जिसका पटवारी हल्का ने उनको २२.११,५७ को कब्जा कराया," जिसका जवाब मैंने दिया 'जी नहीं'। अब आप पटवारी के बारे में पूछना चाहते हैं, राइट फ्रोम हाइयेस्ट टू लोएस्ट लैडर; मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पटवारी को कब्जा करवाने का अधिकार नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि उन लोगों ने इस जमीन पर तहसीलदार या पटवारी के हुकुम से कब्जा किया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने अर्ज किया कि मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। आप इस बात को समझिये कि तहसीलदार या पटवारी कब्जा दे नहीं सकता। इसके बावजूद भी एस. डी. ओ. ने तुरन्त ही उनको नोटिस दिया था।

**श्री भैरोंसिंह** : एस. डी. ओ. ने उनको लिखित सूचना कब दी थी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उसने २३. १०. ५८ को उनको सूचना दी थी।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि पज़ेशन प्राप्त करने के एक साल बाद उनको एस. डी. ओ. ने सूचना दी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने 'हां' कब की, कि उन्होंने पजेशन कर लिया. That question does notarise, that they have obtained possession from the Tehsildar or the patwari. Now you are putting an answer in my mouth. I cannot accept that.

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि राजस्व विभाग की तरफ से जो आज्ञा मिली थी उसमें जो स्टे ऑर्डर दिया था वह जैसा कि आप कहते हैं कि उदारता के नाते खड़ी फसल तक के लिए दिया था, क्या यह सही है कि आदेश देने तक खड़ी फसल को नुकसान पहुँचा दिया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह मेरी

( श्री दामोदरलाल व्यास )

जानकारी में नहीं है। यदि ऑर्डर के खिलाफ कार्यवाही की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि खड़ी फसल तक रुकने का ऑर्डर ४ महीने के बाद किया गया और उस तारीख से लागू किया जिससे ऑर्डर दिया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने आपको वह तारीख बतलाई जब कि बेदखली का ऑर्डर दिया और वह तारीख भी बतलाई जब ऑर्डर दिया गया कि बेदखल नहीं किया जाय।

**श्री मोतीलाल** ( डीडवाना ) : आपने यह फर्माया कि तहसीलदार ने उसको जमीन अलॉट कर दी तो उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने यह कहा था कि तहसीलदार ने अलॉट करके एस. डी. ओ. को सिफारिश की कि गवर्नमेन्ट की स्वीकृति ले लें। मेरा जवाब यह नहीं है कि उसने अलॉट कर दीं, ये मेरे मुंह से कहलाना चाहते हैं।

**श्री मोतीलाल** : आपने कहा कि एस. डी. ओ. ने उनको लिखित रूप में कहा कि वे उस पर कब्जा नहीं करें, तो उसका मतलब यह हुआ कि तहसीलदार ने उनको कब्जा दे दिया। यदि यह बात है तो उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप चाहे जो कन्क्ल्यूजन निकालें, मैंने साफ कहा है कि तहसीलदार ने अलॉटमेन्ट की सिफारिश की और एस. डी. ओ. ने उनको नोटिस राइटिंग में दिया कि आप उस पर काश्त न करें या कोई इन्वेस्टमेन्ट न करें और यदि करोगे तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या यह सही है कि तहसीलदार या एस. डी. ओ. इजेक्टमेन्ट का ऑर्डर दे सकता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इजेक्टमेन्ट का ऑर्डर ट्रेसपासर्स के लिये दे सकता है लेकिन जमीन अलॉट करने की पॉवर गवर्नमेन्ट को है। जब गवर्नमेन्ट के पास पेपर्स आयेंगे तभी तो इन्क्वायरी करेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह सही है कि अलॉटमेन्ट करने के बाद नाजायज़ कब्जा भी किया है तो उनको बेदखल उनके खिलाफ कोर्ट में सूट फायल करके ही किया जा सकता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : गवर्नमेन्ट का ऑर्डर नामंजूर हो जाय तो कायदे के माफिक इजेक्टमेन्ट की कार्यवाही की जाती है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : तब आपने कोर्ट के द्वारा इजेक्टमेन्ट की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह कौन कहता है कि नहीं की ? कोर्ट का मतलब तहसीलदार या एस. डी. ओ. के कोर्ट से है। मैंने अपने ऑर्डर से नामंजूर किया। कानूनन कार्यवाही ही की गई।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या यह सही है कि आपकी आज्ञा, सेक्रेटेरियट की

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

आज्ञा है, तहसीलदार की आज्ञा नहीं है कि इजेक्टमेन्ट की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में लाये ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसकी आवश्यकता है। तहसीलदार कानून के मुताबिक करता है। कानून के मुताबिक ही प्रोसीडिंग्स हुई।

**श्री भैरोंसिंह** : सरकार की तरफ से आज्ञा लिखी गई है....

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामधन।

**श्री भैरोंसिंह** : बहुत इम्पोर्टेन्ट केस है। कई काश्तकारों की फसल को रेवेन्यू मिनिस्टर के ऑर्डर से खत्म कर दिया गया और जब रिप्रज़ेन्टेशन किया गया, तब स्टे ऑर्डर दे दिये। उनको अलॉटमेन्ट हुआ है, उसके पेपर्स सोल्ज़र्स बोर्ड में पड़े हैं और कमिश्नर का कमिटमेंट मौजूद है कि जमीन का अलॉटमेंट किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : इम्पोर्टेन्ट केस है, तभी तो इतना समय दिया गया।

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : अध्यक्ष महोदय, ये एक्स सोल्ज़र्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के ऑर्डर्स हैं। क्या रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसमें लिबरल व्यू लेंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इस भूमि के अलावा दूसरी जमीन की उन्हें आवश्यकता है, तो उसके नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अनुसार वे जमीन अलॉट करवा लें।

**श्री श्रीभानसिंह** : उनको जो जमीन अलॉट कर दी है, मैं लीडर से अपील करूंगा कि उसी जमीन को उन्हें अलॉट कर दिया जाय, जिसमें उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामधन।

**श्री प्रभुलाल पुरोहित** : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय।

## ग्राम सैंथल ( दौसा ) में हायर सेकन्डरी स्कूल की स्थापना

**११५. श्री रामधन** [( दौसा ) श्री प्रभुलाल पुरोहित ( लालसोट ) द्वारा पूछा गया ] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील दौसा में ३००० की जन संख्या वाले कस्बा सैंथल में जहां छात्रों की संख्या करीब ३०० के ऊपर है तथा वहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल के लिये भवन की कमी को गांव वाले पूरा करने को तैयार हैं और बार बार वहां की जनता द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर भी हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(ख) अब सरकार ग्राम सैंथल में हायर सेकन्डरी स्कूल कब तक खोलने का विचार करती है ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई ) : (क) सरकारी नियम के अनुसार तहसील के मुख्य स्थान के स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरे स्कूल भवन

# Page No.32



( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

भी गांव वालों ने तैयार नहीं किया है । इन कारणों से यह स्कूल हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता ।

(ख) दूसरे नये स्कूलों के साथ इस स्कूल को भी हायर सेकन्डरी बनाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, अगर यह स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के साथ भवन की सुविधा की पूर्ति भी करता होगा ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जयचन्द्र मोहिल ।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय ।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : This may be replied Sir.

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरोंसिंह ।

**पुलिस यूनियन बनाने हेतु चन्दा इकट्ठा करने तथा रसीद न देने आदि कार्यों के सम्बन्ध में गिरफ्तार शुदा व्यक्ति**

१२०. **श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजस्थान में पुलिस यूनियन के बनाने, पुलिस यूनियन के नाम चन्दा इकट्ठा करने, चन्दे की रसीद न देने या इससे अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिये किन किन पुलिस कर्मचारियों को व अन्य व्यक्तियों को, कहां कहां और किस किस तारीख को, किस किस थाने में, किस किस दफा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ?

(२) इन गिरफ्तार व्यक्तियों में किन किन का चालान अदालत में किया गया ? किन किन का नहीं किया गया तथा क्यों ?

(३) जिनका चालान किया गया, उनमें कितने रिहा, बरी हुए व कितनों को क्या क्या सज़ा हुई तथा किन किन के विरुद्ध अभी मुकदमें अदालत में चालू हैं ?

(४) जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से कितने कर्मचारियों को रीइन्स्टेट या रीएम्प्लोय किया गया तथा कब कब ?

(५) क्या यह सही है कि कई ऐसे कर्मचारियों को इस गिरफ्तारी के बाद प्रमोशन एवं इन्क्रीमेंट मिले हैं ? यदि हां, तो किन किन को, कितना कितना और कब कब तथा किस आधार पर ?

(६) जो पुलिस के बाहर के व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनमें कितने पुलिस से निकले हुए हैं और कब से और किन किन कारणों से ?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (१) रोशनलाल, हैड कॉन्स्टेबिल को १३–३–५८ को दफा ४२०, ४१७ आई. पी. सी. व २९ पुलिस एक्ट के अन्तर्गत थाना रिखबदेव में गिरफ्तार किया गया । पुलिस कॉन्स्टेबिल लक्ष्मण को भी उसी मुकदमे में १४–३–५९ को उदयपुर में गिरफ्तार किया गया ।

(२) हैड कॉनेस्टेबिल रोशनलाल का

( श्री रामकिशोर व्यास )

फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट खेरवाड़ा की अदालत में चालान किया गया। परन्तु लक्ष्मणसिंह एल. सी. का चालान साक्षी के अभाव में नहीं किया गया।

(३) रोशनलाल हैड कॉन्स्टेबिल को अदालत से रिहा किया गया।

(४) दोनों को क्रमशः २-७-५६ व २६-४-५८ को पुनः सेवा में लिया गया।

(५) किसी को भी उन्नति व विशेष बढ़ोतरी नहीं दी गई।

(६) आरक्षी विभाग के अतिरिक्त, ३ अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए थे उनमें से दो पहले आरक्षी विभाग में कर्मचारी थे; उनमें से एक श्री मानसिंह पूर्व हैड कॉन्स्टेबिल आरक्षी विभाग को उच्चाधिकारियों के विरुद्ध असत्य आरोप लगाने के कारण दिनांक २७-७-५७ को डी. आई. जी. पी, उदयपुर ने बर्खास्त कर दिया और दूसरे श्री जीवराजसिंह जो पहले आरक्षी विभाग में कॉन्स्टेबिल था उसको एस. पी. जैसलमेर ने दिनांक १०-२-५८ ( बाद दोपहर ) को बर्खास्त किया था क्योंकि श्री जीवराजसिंह का ए. सी. डी. से ज़िला जैसलमेर में स्थानान्तर हो गया था और उन्होंने उपरोक्त आदेश की अवहेलना की।

**श्री भैरोंसिंह** : जिन दो व्यक्तियों को रीइन्स्टेट या रीएम्प्लोय किया है, उन्होंने एश्योरेंन्स दिया है कि पुलिस यूनियन में काम नहीं करेंगे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : रीएम्प्लोयमेंट कैसे हो गया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : बरी हो गये, इसलिए रीएम्प्लोयड हो गये। सस्पेन्ड किया था, अदालत से बरी हो गये।

**श्री भैरोंसिंह** : तीनों व्यक्ति बरी हो गये ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : किसके लिए पूछ रहे हैं ? नम्बर १ ?

**श्री भैरोंसिंह** : नम्बर चार के जवाब में कहा है....

**श्री रामकिशोर व्यास** : रोशनलाल अदालत से बरी हो गया, लक्ष्मणसिंह का चालान नहीं हुआ। दोनों को वापिस ले लिया।

**श्री भैरोंसिंह** : चालान नहीं हुआ, क्या कुछ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : एवीडेन्स काफी नहीं आई, इसलिए नहीं किया।

**श्री भैरोंसिंह** : एवीडेन्स काफी नहीं आई, फिर किस बेसिस पर सस्पेन्ड कर दिया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : प्राइमाफेसी एवीडेन्स पर।

**श्री भैरोंसिंह** : वह डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए पर्याप्त नहीं थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : डिपार्टमेंटल एक्शन लिया है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि इस व्यक्ति को प्रमोशन दिया गया है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

( अनुपस्थित )

प्रश्न समाप्त हुए।

( १२.७ म० प० )

## कार्य सलाहकार समिति का अष्टम प्रतिवेदन

( उपस्थापन )

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** ( विधि मन्त्री ) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के अष्टम् प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

## राजस्थान टिनेन्सी ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, १९६०

( पुरःस्थापन )

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मन्त्री ) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टिनेन्सी ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

## कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन की स्वीकृति

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** ( विधि मन्त्री ) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

( स्वीकृत )

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

( १२.८ म० प० )

## राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद

श्री सोहनलाल भटनागर।

**श्री मदनसिंह** ( दांता रामगढ़ ) : अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : श्री सोहनलाल भटनागर अपना भाषण समाप्त कर लें।

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर पश्चिम ) : Mr. Speaker, Sir, I also want to speak; so I would like to know how much time will be given to the Members who wish to speak ?

**श्री अध्यक्ष** : दो बजे बहस समाप्त हो जायगी, फिर सरकारी पक्ष की ओर से जवाब दिया जायगा।

**श्री मोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि किस तरह राज्य की योजनाओं ने हमारे राजस्थान की जनता के अन्दर नया उत्साह शुरू किया है और सोई हुई हमारी शक्ति थी, वह योजना के अन्दर लग गई है। अब उन बातों को न दोहरा कर मैं दूसरे विषय के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ और वह है भूमि सुधार। मैं समझता हूं कि गत वर्ष भूमि सुधार के सम्बन्ध में आखिरी कार्य किया है और वह है जोत की सीमा निर्धारित करने का और दफा १६ के मातहत शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार देने का। यह कार्य एक क्रांतिकारी कदम है और राजस्थान में रहने वाले लाखों-करोड़ों किसानों को राहत देने वाला है। इसके साथ ही गत वर्ष जिस लैंड कमीशन की काफी समय पूर्व राज्य सरकार ने नियुक्ति की थी उसकी रिपोर्ट देखी है। उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में खास चीज़ थी, जितने भूमि सुधार थे उनको कार्यान्वित कहां तक किया गया है, इसके बारे में सुझाव दिये गये हैं। मुझे दुःख है कि इतनी महत्वपूर्ण समिति की रिपोर्ट पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रकाश नहीं डाला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भूमि सुधार की श्रृंखला में काफी अग्रगामी कदम उठाये हैं लेकिन इस बात को कहने में मुझे संकोच नहीं है कि उन कदमों के असली रूप को जब हम देखते हैं तो लगता है कि अमल ठीक तरह से नहीं हो रहा है। हम मानते हैं जहां तक जागीरदारों का सवाल है, जहां तक जमींदारी प्रथा का सवाल है, उसको हमने समाप्त कर दिया है। मेरे ख्याल से आने वाली हमारी सन्तान है, वह इतिहास के अन्दर इस चीज़ को देखेगी कि इस वर्ष आखिरी काम खत्म हुआ है। भूमि सुधार का दूसरा काम है, जिस तरह सरकारी भूमि है उन पर उन भूमिधरों को अधिकार देना और सबटिनेन्ट का अधिकार देना, इन कामों में उतनी तत्परता नहीं बताई गई है, जितनी बतानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि जिस तरह लैंड कमीशन मुकर्रर किया, उसका पर्सनल बढ़ा था। अगर भूमि सुधारों को कार्यान्वित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो अग्रगामी कदम लिये हैं, उनका अमल हो तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि एक होल टाइम कमीशन मुकर्रर किया जाय और जिस तरह जागीर डिपार्टमेंट मुकर्रर किया गया है, जागीरों से सम्बन्धित मामलों के ऊपर निर्णय देना उनका काम था, उसी प्रकार जितने भूमि सुधार रहते हैं, उनको कार्यान्वित करने के लिए भूमि सुधार कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें कहा है कि एक कमेटी बैठाई जाय। मेरा निवेदन है कि ऊंचे रूप में कमीशन रहे, मगर उसमें होल टाइम काम करने वाले नॉन-ऑफिशियल हों। ऐसा कमीशन मुकर्रर किया जाय, उसका मुख्य उद्देश्य हो कि दिन पर दिन जितने भूमि सुधार के काम हैं, उनको कार्यान्वित किया जाय। दूसरी मुख्य बात इस अभिभाषण में खाद्य समस्या के बारे में और खाद्य पदार्थों के उत्पादन के बारे में कही है। कई माननीय सदस्यों ने बताने की कोशिश की है कि जो आंकड़े राज्यपाल महोदय ने बताये हैं वे गलत हैं। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ना चाहता, पर यह निश्चित बात है कि हमारे पूरे आंकड़ों के माफिक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई है, चाहे वह किसी कारण से हो, वर्षा ठीक समय पर नहीं हुई हो या और साधन उपलब्ध नहीं हुए हों। कई लाख एकड़ जमीन अभी

( श्री सोहनलाल भटनागर )

सरकारी रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है और उस पर किसानों ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है, उससे भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। यह निश्चित बात है कि जैसा तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सिंचाई का टार्गेट रखा था १३.३७ लाख एकड़, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टार्गेट का ६.४८ लाख एकड़ ही कर पाये हैं, तो आधे से कम टार्गेट एचीव कर पाये हैं। सिंचाई में वृद्धि नहीं होते हुए भी खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा क्योंकि यह एक निश्चित चीज़ है। कुछ वर्षों पूर्व राजस्थान खाद्यान्नों के मामलों में एक डेफिसिट प्रान्त था, पर अब यह सरप्लस प्रान्त है और इसका लाखों टन अनाज बाहर जा रहा है।

दूसरी मुख्य बात इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन के बारे में कही गई है। कई दिनों से कहा जा रहा था कि रास्थान में इन्डस्ट्रियल पॉलिसी नहीं, राजस्थान इन्डस्ट्रीज़ की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, पर हमें हर्ष है कि गत वर्ष राजस्थान सरकार ने इन्डस्ट्री सम्बन्धी रियायतें, इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को यहां आकर बसने की रियायतें दी हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता और यह कहना भी शीघ्रता होगी कि इससे क्या क्या फायदा होने वाला है, पर यह निश्चित बात है कि राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर गया है और इसका लाभ राजस्थान की लाखों जनता को मिलने वाला है। इन्डस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हम वर्षों से फर्टीलाइजर्स की मांग कर रहे हैं, एक वर्ष इस मांग को अस्वीकृत भी कर दिया गया था, पर इस वर्ष फर्टीलाइजर की कमेटी बनी थी, उसमें इसको स्वीकार किया गया है और आगामी तृतीय पंचवर्षीय योजना में फर्टीलाइज़र्स प्लान्ट लाया जायगा। यह हमारे लिये एक खुशी की बात है।

एक बात मैं जरूर कहूंगा कि गत अभिभाषणों को देखें तो पता चलेगा कि जावर माइन्स में जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट के बारे में हर बार कुछ न कुछ कहा जाता था और हम लोग इस आशा में थे कि जल्दी से जल्दी लगाया जायगा, पर इस अभिभाषण में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है इससे हमें निराश हुई है, मैं समझता हूँ यह भूल से रह गया है और आशा करता हूं कि सरकार इसके बारे में सक्रिय कदम उठायेगी और जल्दी से जल्दी लगायेगी।

दूसरा मुख्य विषय है शिक्षा का विषय। शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे मुख्य कदम यह लिया गया है कि जो लेक्चरार्स हैं उनके ग्रेड्स एग्ज़ीक्युटिव में काम करने वालों के बराबर कर दिये हैं। मेरा खयाल है कि राजस्थान के अलावा और किसी ने इस तरह का कदम नहीं उठाया है। राजस्थान सरकार चाहती है कि शिक्षण में अच्छे से अच्छे लोग आयें जिस तरह कि प्रशासन में लोग जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व इन्जीनियर्स की ग्रेड समकक्ष की गई थीं, अब प्रोफेसर्स की ग्रेड्स समकक्ष की गई हैं। इसी तरह जितने टेक्निकल काम करने वाले हैं उनकी ग्रेड भी समकक्ष कर दी जायगी, ऐसी हम आशा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई और विद्युत् को लें तो इसके बारे में अभिभाषण में कहा गया है उससे खुशी होती है। राणा प्रतापसागर की योजना पड़ी हुई थी, हमें

( श्री सोहनलाल भटनागर )

इसमें प्रथम बार सुनने को मिलता है कि वह स्वीकृत हो गई है। सिंचाई के टार्गेट में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, पर आशा करते हैं कि आयन्दा तृतीय पंचवर्षीय योजना में उन टार्गेट्स को अचीव कर लेंगे।

माइनर इर्रिगेशन के बारे में भी कहा गया, 'देर आयद दुरुस्त आयद' की कहावत के अनुसार इससे हमें संतोष है। कई क्षेत्रों में माइनर इर्रिगेशन की मांग चली आ रही थी उसको सरकार ने स्वीकार किया है। समाज कल्याण क्षेत्रों में तालाब नाके बनाने के लिये अलग इन्जीनियर मुकर्रर किया गया है इससे काफी आदिवासी लोगों को जो जंगलों में रहते हैं सुख से जीवन-यापन करने का अच्छा मौका मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कह कर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नाथद्वारा जांच कमीशन के बारे में, शायद कमिश्नर की बोनाफाइडीज़ पर भी डाउट किया। मेरे खयाल से इस तरह की भावना रखना डेमोक्रेसी में ठीक नहीं रहेगा। जब एन्क्वायरी की बात आती है विरोधी पक्ष के लोग जुडिशियरी की ओर देखते हैं तो इसकी जांच के लिये जुडिशियरी के सबसे उच्च अधिकारी को नियुक्त किया गया, पर विरोधी पक्ष के लोग सबूत पेश करने में असफल रहे, सबूत पेश नहीं करके खाली यह कह देना कि एन्क्वायरी इस तरह की गई, यह यह गड़बड़ियां की गई; यह उचित नहीं। मेरे खयाल से राजस्थान सरकार ने, राजस्व मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्री ने सतर्कता से काम किया है। एन्क्वायरी कमेटी ने जो निष्पक्षता से काम किया है उसको सदन अपनायेगा और दूसरी भी बातें हो सकती हैं पर उन पर मैं समयाभाव से प्रकाश डालने में असमर्थ हूं।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो रीति-नीति, जो बातें राज्यपाल महोदय ने बताई हैं वे राजस्थान के इतिहास में एक महत्व रखती हैं और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता इस कार्य में लग जाय, उन रीतियों-नीतियों को अपनाते हुए उन कार्यों में लग जाय तो निश्चित रूप से राजस्थान एक गौरवशाली और समृद्धि-शाली प्रदेश बन जायगा।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष** : श्री नरोत्तमलाल जोशी।

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से जो राज्यपाल महोदय के भाषण पर वाद विवाद चल रहा है, उसमें धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

पिछले वर्षों में राज्य ने जो भूमि सुधारों के अधिनियम पास किये हैं और उनकी भूमिका में हमारे इस प्रान्त ने जो उन्नति की है, तथा जो हमारे जन साधारण के जीवन स्तर की उन्नति हुई है, उससे यह सदन भली भांति अवगत है।

शनैः शनैः समय समय पर जो भूमि सुधार होते आये हैं, उस प्रकार से जागीरदारी उन्मूलन के बाद में भूमि की सीमा निर्धारण

( श्री नरोत्तमलाल जोशी )

और अन्य अन्य अधिनियमों के पास होने के बाद में हम धीरे धीरे एक सोशियलिस्टिक पेटर्न की ओर जा रहे हैं, इसका किंचित्मात्र दिग्दर्शन इस अभिभाषण में किया गया है। इस अभिभाषण में जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बताया है, सबसे बड़ा कदम जो राज्य सरकार ने उठाया है वह लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का है। हमारे देश में और कई लोगों ने विकेन्द्रीकरण के बारे में सम्मति प्रकट की है और आशा की है कि ऐसा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण जैसा कि राजस्थान सरकार ने जारी किया है वह हमारे देश में लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करेगा। इस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बारे में नाना प्रकार की शंकाएं उठाई गई हैं। यह ठीक है कि इस दिशा में हमारा प्रयास हुआ है बहुत बड़ा भारी महत्व का है लेकिन इसके मूल में एक बात समझनी चाहिये। अच्छा होता कि यह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण इतनी जल्दी में नहीं किया जाता और धीरे धीरे इसको क्रियान्वित किया जाता, क्योंकि इसमें मूल आधार चुनावों का होना है और सबसे बड़ा आधार इसका चुनाव का है। इसका तात्पर्य यह है कि शासन की मूलभूत इकाइयों में जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको बराबर चुनावों का अवसर दें और इस दृढ़ता से इसका पालन करें जिस तरह से विधान सभा और पार्लियामेंट में चुनावों के समय पर कराने का पालन किया जाता है। इस तरह से यह जल्दी में किया गया इसके लिये बहुत से माननीय सदस्यों को शिकायत है और मैं समझता हूं कि यह जो कार्य किया गया वह इतने छोटे समय में नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो भी हुआ वह बहुत ठीक हुआ है। मगर भविष्य में हमें इन बातों से शिक्षा लेनी है। जैसा मैंने निवेदन किया कि इसका मुख्य और मूलभूत आधार चुनावों का है। लोगों को अपना मत प्रकट करने का हक होता है। जब तक उनको मत देने का अधिकार नहीं होता और बगैर मतदान के ऐसा किया जाता है तो नया खून और नया जोश व्यक्त नहीं होता और यह बड़ी भारी कमी इसमें रही। जहां हमको चाहिये था कि पंचायतों का पुनः निर्माण करके उनका फिर से चुनाव करा कर डेमोक्रेटिक डीसेन्टलाइजेशन करते। संभव है इसमें थोड़ा समय लगता लेकिन पुरानी पंचायतें, जिनके पंचों और सरपंचों के बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणी हो रही हैं वह नहीं होती और इस कारण से जो असंतोष है वह चुनाव कराये जाने से दूर हो सकता। मैं समझता हूं कि जब इसको रिऑर्गेनाइज़ करेंगे उस समय नई पंचायतों के चुनाव आवेंगे तब यह फैला हुआ असंतोष दूर हो सकता है। लेकिन एक बात माननी होगी कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण द्वारा हमारा प्रजातंत्र गांवों की इकाइयों में धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण करता जा रहा है। इसके साथ जहां हम एक ओर यह देखते हैं कि इससे प्रजातंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं लेकिन वे जड़ें हमें साफ तौर से स्वीकार करना चाहिये कि जिस पंचायत का स्वरूप हम देखते हैं वह आज जातीयता के आधार पर ractionalism के आधार पर है। अगर वही स्वरूप बना रह और उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सके तो जो बातें हम देखते हैं कि इससे जड़ें मजबूत होंगी वे नहीं होंगी। हमारी यह धारणा कि इससे प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत होंगी, अगर

# Page No.39



( श्री नरोत्तमलाल जोशी )

यह दुर्गुण र नहीं हुआ तो वे जड़ें मजबूत के बजाय कमजोर हो जावेंगी और यह हमारे सारे राष्ट्र में दुर्गुण फैल जावेगा। इसलिये हमें यह देखना है कि जड़ प्रजातंत्र के बुनियादी हिस्से को मजबूत बनाना चाहिये वहां हमें स्वस्थ और हैल्थी वातावरण तैयार करना चाहिये जिससे आर्थिक और सामाजिक हमारी उन्नति ऐसी हो जावे जैसी ब्रिटिश राज्य के आने से पहले थी और उसके बहुत समय से पूर्व हमारे यहां जिसके बारे में लोगों ने प्रशंसा की है। इसमें जहां राज्यपाल महोदय ने आशाएं प्रकट की हैं कि इसके ज़रिये से आपसी मतभेद दूर हो जावेगा और इसके विषय में ग्राम जीवन में पारस्परिक मतभेद तथा गुटबन्दियां, यदि पूरी तरह समाप्त नहीं भी हुईं, तो बहुत हद तक कम अवश्य हो जायेंगी। मैं समझता हूं कि इस समय तक का अनुभव है उसमें यह गुट बन्दियां और मतभेद दूर नहीं हुआ है और अधिक बल पकड़ा है क्योंकि हमारा मूल आधार मतदान का था और उसके बिना पर इकाइयें बनाई जातीं, मगर बिना मतदान के अधिकार दिये हमने ऐसी बात की है और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में सब जगह के लोगों को अधिकार होंगे और तभी हम इन सारी बातों को दूर कर सकते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि पंचायत उस क्षेत्र के आबादी के अनुसार बनाई गई। कहीं २॥ हज़ार पर एक पंचायत थी तो वहां उस पंचायत को एक मतदान का अधिकार है। जहां १० हज़ार या ८,००० की आबादी पर एक पंचायत बनी है तो उसको भी एक ही मत देने का अधिकार है। इसलिये बहुत से मतदाता हैं उनको मत देने से वंचित रखा और जो कानून हमने बनाया उसमें यह एक बड़ी भारी कमी है और मैं नहीं समझता कि किस तरह से यह कमी उनकी दूर होगी ? क्योंकि बराबर के एक ही क्षेत्र में वे रहते हैं और अधिक तादाद में रहते हैं उनको अधिकार हों २॥ हजार की आबादी पर एक मत देने का। जब आप २॥ हजार की आबादी पर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार देते हैं तो ५ हजार वालों को दो मतदेने का अधिकार होना चाहिये। इसी प्रकार १० हजार वालों को भी अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिये।

हमारी पंचायतों के जो कानून बनाये लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के, उसमें इतना जल्दी में म्युनिसिपैलिटीज़ एक ऑर्डर के द्वारा पंचायतें बना दी गईं और न मालूम किस दृष्टिकोण से यह किया गया। लोगों की ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उन लोगों को कोई चार्जेज़ नहीं होते हुए भी उनको एक कलम के आर्डर के द्वारा यह बताया गया कि मत देने का उनको अधिकार नहीं है। हमारी पंचायतों के संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं है। मैं समझता हूं कि यह करना हमारे मतदान पर बड़ा भारी कुठरा घात है। इन सारी बातों को देखते हुए और इसके अलावा जो एक और घोषणा राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में की है कि एक लाख के नीचे की म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनको बराबर ज़िला परिषद् में शामिल किया जावेगा। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से उनका सामंजस्य बैठाया जावेगा। अगर उनका विकास कार्यों में सहयोग लिया जावेगा

( श्री नरोत्तमलाल जोशी )

तो बहुत खुशी की बात और जब समय आवेगा हम बराबर ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से म्युनिसिपैलिटी अपना सहयोग इसमें देकर अपने क्षेत्र की जनता है उसमें किस प्रकार से उसका हित कर सकेंगे। इस बात को गंभीरता से देखना है। हमें इस बात को देखना है कि जिसमें लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके, उस कार्य को करना है। शिक्षा और कार्य के बारे में राजप्रमुख ने अपने भाषण में दिग्दर्शन कराया है पास्ट एचीवमेंट्स का और आगे के लिये जो घोषणा की है वह ठीक है, उसके लिये हमें हर्ष प्रकट करना चाहिये लेकिन मैं यह कहूंगा कि शिक्षा का क्षेत्र है या नहीं है इसमें विकास के कार्यों को देख कर ही संतोष नहीं करना चाहिये। हम हमारे देश में बहुत सी स्कूलें खोलते हैं और मास्टर भेजते हैं, इसके लिये बहुत लोगों के असंतोष हैं। हमारे देश के विद्यार्थी हैं स्कूल में पढ़ते हैं, वे किस प्रकार से काम करते हैं? बहुत से सदस्यों ने बताया और इस प्रकार की मिसालें प्रस्तुत की जा सकती हैं कि बहुत से लोग जो इस विभाग में नियुक्ति पाते हैं, वे अक्सर वे लोग होते हैं जो या तो कम्पार्टमेंट से पास हुए होते हैं या दो तीन मर्तबा फेल होकर आते हैं और किसी जगह जब उनको नौकरी नहीं मिलती है तो वे स्कूलों में नौकरी प्राप्त करते है और उनको नौकरी मिलती है। वे जाते हैं देहातों में और लड़कों से काम कराते हैं, पढ़ाई का काम नहीं। जब चाहें वे छुट्टी कर देते हैं। ऐसी ऐसी स्कूलें भी बहुत हैं देहातों में जहां पर ७ या ८ वर्षों से कोई निरीक्षण नहीं हुआ और बराबर मास्टर पंचायत और असेम्बली के चुनावों में भाग लेते रहते हैं और आज पोलिटिक्स में भाग लेते हैं। आज प्राइमरी और मिडिल स्कूलें राजनैतिक अखाड़े के केन्द्र बनी हुई हैं और मास्टर चुनावों में सोटा लेकर घूमते हैं।

**श्री मदनसिंह** ( दांता रामगढ़ ) : But is it a fact. क्या यह हमारी गल्ती है?

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** : इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमें क्वान्टिटी पर ही ध्यान नहीं बल्कि क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिये। जितना भी पैसा शिक्षा में खर्च करें उसमें क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दें कि किस प्रकार के नागरिक शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। एक बार महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे इस बात के जानने की आवश्यकता नहीं कि देश में पढ़े-लिखे लोग ज्यादा हों। मैं यह चाहता हूं कि हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा अधिक होनी चाहिये। लोगों का चारित्रिक निर्माण होना चाहिये जहां पढ़े लिखे भी नहीं हैं और साधारण जीवन उनका इस प्रकार से खुला हुआ है कि जिसमें वे सत्य और असत्य का विभेद कर सकें और दृढ़ चारित्रिक रह सकें, तो वह शिक्षा उतनी ही कीमती है, जितनी कि किसी को साक्षर बनाने की है। इसलिए इसकी क्वान्टिटी पर हमें हर्ष नहीं प्रकट करना चाहिये। आज हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा में दिन-ब-दिन ह्रास हो रहा है, हमारे विद्यालयों से मिडिल पास, मैट्रिक पास, ग्रेजुएट्स जो निकलते हैं, उनका आज क्या स्टेन्डर्ड है? वे ठीक तरह से एक पत्र तक नहीं लिख सकते हैं। ऐसी उनकी शिक्षा है। न मालूम इस प्रकार की शिक्षा से देश को कैसे हम आगे बढ़ा सकेंगे और जो जन-जीवन में नैतिक ह्रास होता जा

( श्री नरोत्तमलाल जोशी )

रहा हैं उसको किस प्रकार से ठीक कर सकेंगे, यह कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हमको शिक्षा के इस विस्तार के अन्दर हर्ष प्रकट न करके एक प्रकार का निरीक्षण करना चाहिये कि हम जो अध्यापक हैं, खास तौर पर मैं हमारे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए कहूंगा, वे ठीक प्रकार से किस तरह देश के बच्चों का जीवन-निर्माण कर सकते हैं।

मैं अभी बीच में कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि जनतन्त्र प्रणाली में जो चुनाव हुआ करते हैं वे ठीक समय पर क्यों नहीं करवाये जाते हैं। इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि मैं पंचायतो के चुनावों के बारे में ऐसे दृष्टान्त प्रस्तुत कर सकता हूं कि जहां म्युनिसिपल कानून के अन्दर ३ वर्ष की अवधि में चुनाव हो जाने चाहिये लेकिन उन पंचायतों के चुनाव ६-७ वर्ष तक भी नहीं कराये जाते हैं। उनका चुनाव ही नहीं होता है। ऐसे भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं कि चुनाव के प्रोग्राम बन जाते हैं, १० तारीख को चुनाव होने हैं लेकिन ९ तारीख को ही आदेश पहुंच जाते हैं कि उनको स्थगित किया गया है और उनके दो-दो-ढाई-ढाई वर्ष तक फिर चुनाव नहीं होते। इन चीज़ों को बड़ी सतर्कता के साथ देखना होगा। यदि कानून के मुताबिक ही समय पर चुनाव कराये जिससे लोगों को विश्वास हो सके कि जो कानून पास किया गया है उनका ठीक तरह से पालन होना चाहिये और हो रहा है लेकिन इस प्रकार से चुनाव नहीं होते हैं अथवा प्रोग्राम बदल दिये जाते हैं, स्थगित उनको कर दिया जाता है, तो एक प्रकार से इन बातों से लोगों को निराशा होती है और एक प्रकार की आस्था सरकार के विरुद्ध होती है। इसलिए कानून के अनुसार समय पर ही चुनाव कराये जाने चाहिये।

जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि कुछ बातें ऐसी की गई हैं जिनसे हमको गर्व हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा भारी सम्मान हम शिक्षकों को देने जा रहे हैं। लेक्चरार्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बराबर इक्वेट किया है और इससे हमारे शिक्षा क्षेत्र में अच्छी योग्यता वाले लेक्चरार्स को आने का मौका मिलेगा। लेकिन हमको इसी से संतोष नहीं करना चाहिये क्योंकि हम देखते हैं कि इस भौतिक युग में अर्थ की प्रधानता है और पैसे के बिना बेचारे अध्यापक को इन्फीरियर समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से पे कम है। इसके साथ साथ हमको यह देखना है कि समाज के अन्दर अध्यापक का स्तर इतना सम्मान का होना चाहिये जैसा पहले होता आया है और वह प्रतिष्ठा और सम्मान अध्यापक को नहीं देंगे, चाहे जितनी उसकी पे स्केल बढ़ा दीजिये, लेकिन गुरु की जो प्रतिष्ठा समाज में रहती आयी है वह नहीं रहेगी।

कुछ बातें मैं पुलिस के बारे में भी कहना चाहूँगा। ठीक है, डकैती आदि नहीं पड़ती। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कुछ मुद्दों पर अर्ज करूंगा, जो मेरे खुद के अनुभव में आये हैं और वे ऐसी हैं कि जिनसे लोगों की एक आस्था सी कम होती जा रही है। छोटी मोटी चोरियां होती हैं, पहले तो पुलिस वाले डायरी में लिखते ही नहीं और लिखी जाती हैं तो उनकी कोई सुनाई नहीं होती। सीकर, झुंझुनूं जिले में और चूरु जिले में चोरियां हो जाती हैं तो यदि इस

( श्री नरोत्तमलाल जोशी )

चोरी का माल लेना है तो पुलिस को अन्दर रख कर न किया जाय। ऐसे २ अवसर आये हैं, जैसे चोरी हो गई। साधारण बुद्धि में चोरी का पता चल गया। यह भी पता चल गया कि चोरी किसने की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, सारा बता दिया। व्यक्ति विशेष और घटना विशेष का मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। जिनके यहां चोरी हुई उनसे कम्प्रोमाइज़ किया, साधारण इन्स्पेक्टर या सब-इन्स्पेक्टर ने नहीं बल्कि डी० आई० जी० ने। जिनके यहां चोरी हुई, उनके यहां २० हज़ार की चोरी हुई, ८ हज़ार और ६ हज़ार में उनसे कम्प्रोमाइज़ कराया। इस प्रकार की घटनायें हमारे ध्यान में है। बड़े अधिकारी भी जानते हैं। चोरी की केवल यह बात ही नहीं है लेकिन जिस मुद्दे से मैं यह निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि समाज में ऐसे तत्व हैं जो बराबर चोरी करते हैं, उनको अदालत में लाकर सज़ा दिलाना चाहिये। यह इसलिए आवश्यक है कि जो समाज में इस प्रकार के विरोधी तत्व हैं उनका पब्लिक ट्रायल हो और लोगों को एक इस प्रकार की शिक्षा हो कि चोरी करने से ऐसी सजा मिलेगी और समाज में चोरी करने वाला घृणित समझा जावेगा। लेकिन पुलिस वाले ही चोरी करने वालों से मिलकर कम्प्रोमाइज़ कराते हैं और रुपया देते हैं, जिनके चोरी हुई है। चुपके २ ऐसी बातें करते हैं; तो ऐसी बातों को सतर्कता से देखना है। शासन के अन्दर यदि ऐसे उच्चाधिकारी, एस. पी. और डी. आई. जी, ऐसी बातें करें तो फिर लोगों की जान और माल की सुरक्षा का और कोई उपाय रह ही नहीं सकता। खास तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि ये बातें ऐसी हैं जो हमारे अस्तित्व के खिलाफ जाती हैं, समाज व्यवस्था के खिलाफ जाती हैं; इसलिए मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको खास तौर पर इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि बहुत बातें राज्यपाल के भाषण पर इस सदन में कही गई हैं। कई बातें नेशनलाइज़ेशन के बारे में कही गई हैं, पब्लिक रिलेशन्स विभाग के बारे में कही गईं। इन सारी बातों को यहां सुनते हैं तो बराबर दर्द होता है। हम कहते हैं कि या तो इन बातों के विषय में विस्तृत जानकारी करके सदन को आश्वस्त किया जाय और लोगों को बतलाया जाय; जैसे कि नाथद्वारा के सिलसिले में कमीशन बैठा कर जांच कराई गई, तो इन बातों के लिए सदन को इत्मिनान कराया जाय कि सदन में जो ऐसे चार्जेज़ लगाये जाते हैं वे असत्य हैं और निराधार हैं।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। वह यह कि नाथद्वारा जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में विचारार्थ रखी जाती तो जैसी भी कुछ हमारी राय इस पर है वह हम देते, और भी माननीय सदस्य इस बारे में अपनी राय प्रगट करते।

**श्री मदनसिंह** ( दांता रामगढ़ ) : You can speek now.

**श्री नरोत्तमलाल जोशी**: एक बात इस बारे में अवश्य निवेदन करना चाहूंगा। इसी सदन के अन्दर मुख्य मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि मैं नाथद्वारा इन्क्वायरी कमीशन बिठला रहा हूं, लेकिन उसके बाद में यह कहा जाता है कि सदन की मांग स्वरूप मैंने

( श्री नरोत्तमलाल जोशी )

कमीशन नहीं बिठलाया है, बल्कि वैष्णवों ने यह मांग की थी और उन्हीं की मांग के फलस्वरूप यह इन्क्वायरी कमीशन बिठलाया गया है। इस जांच आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने से यह पता चलता है, जहां इसका खुलासा किया गया है वहां बतलाया गया है कि वैष्णवों की मांग के ऊपर कमीशन बैठलाया गया है। इस प्रकार की बातें इस सदन के अन्दर जो वक्तव्य दिया उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं था। ऐसे कई अवसर आये हैं सदन का सत्र चल रहा हमारी है, सरकार की ओर से बार बार प्रेस में कई तरह तरह के वक्तव्य दिये जाते हैं, सदन को उन बातों के बारे में जानकारी नहीं देते। जब सदन चल रहा हो तो यह सदन की प्रतिष्टा के अनुरूप चीज़ है कि सारी कार्यवाहियां कमीशन आदि जो भी बिठलाये जायं वे सदन की मार्फत बिठलायें जायं और उसके बाद उनकी रिपोर्ट सदन के सामने पेश हो, ताकि सदन के सदस्य जो भी राज्य के संचालन में अपना अपना भाग रखते हैं उनको भी उस पर अपना मन्तव्य प्रकट करने का मौका मिल सके। इन सारी बातों के साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा, हम कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसमें हमें बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है, जो जो भी एचीवमेन्ट्स किये जायं उनको सुदृढ़ किया जाय और आगे हम मुस्तैदी के साथ चल सकें, इस प्रकार के प्रयास करने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं।

**श्री नाथूलाल करौल** (लालसोट-सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ज्यादातर विकास पर जोर दिया गया है। इसलिये मैं विकास के ऊपर ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने खास तौर से यह कहा है कि हमारे राज्य में दिन प्रतिदिन विकास खूब होता जा रहा है।

१२. ४४. म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा वे देखें कि विकास कितना हुआ है, कितनी जगहों से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट हासिल हुए हैं अथवा नहीं, विकास के लिये काफी रुपया वितरित किया गया है लेकिन काम बहुत कम जगह कि हुआ है, इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा जो कार्य अधूरे पड़े हैं या बिल्कुल नहीं लिये गये हैं उनको पूरा करवाने की ओर कदम उठाया जाय, खास तौर से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किये जांय। मेरे ख्याल से बहुत कम जगहों से ऐसे सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं। कई जगह विकास अधिकारियों के पास या पंचायतों के पास रुपया पड़ा हुआ है, या तो उस पैसे को वापिस ले लिया जाय या वे काम कम्पलीट करवायें जायं और जहां कार्य नहीं हुआ है, रुपये कायदे के अनुसार सूद सहित वसूल करने चाहिये। यह मैं भी मानता हूं कि विकास की ओर प्रगति जरूर हुई है लेकिन सरकार के पैसे का सदुपयोग ज्यादा न होकर दुरुपयोग ज़्यादा हुआ।

दूसरी बात यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के लिये कहा है कि इसका ढांचा ठीक नहीं है। यह मैं भी मानता हूँ कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के लिए हमने जो जल्दबाजी की

( श्री नाथूलाल )

उसकी वजह से पब्लिक में असन्तोष फैला हुआ है। पंचायत समितियों के जो प्रधान हैं उनके अन्दर ऐसी भावना है कि वे बहुमत के आधार पर केवल अपने दल को पैसा डिस्ट्रिब्यूट करते हैं। होना यह चाहिये था कि प्रधानों द्वारा पंचायत समितियों को अपना अपना हिस्सा पूरा का पूरा दे दिया जाता। बहुत सी चायतों में हमने देखा है कि पूरी रकम उनके हिस्से की पंचायत को न न देकर इसमें भी पक्षपात बर्ता गया है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के सम्बन्ध में अमेन्डमेंट इस प्रकार का लाया जाय कि पूरा पैसा जितना भी पंचायत के हिस्से का हो वह उसको मिल जावे।

तीसरी बात यह है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में मद्य निषेध के बारे में कुछ नहीं कहा है, राजस्थान में मद्य कितना बढ़ता जा रहा है, नाजायज़ शराब कितनी चालू हो रही है ....

**श्री उपाध्यक्ष :** यह मद्य निषेध तो शुभ लक्षण है।

**श्री नाथूलाल :** मेरा मतलब है मद्य का पान और नशेबाज़ियां बन्द होनी चाहिये। यह निवेदन करूंगा कि नाजायज़ शराब की जो बिक्री हो रही है। दिन प्रतिदिन जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकलती आ रही है उसको बन्द किया जाना चाहिये। जिस प्रकार हमने मृत्यु भोज कानून बनाया है उसके अन्दर पंचों सरपंचों, नंबरदारों और पटवारीज़ को बांधा गया है, उसी तरह से नाजायज़ शराब निकालने वालों के लिये भी इसी प्रकार का अमेन्डमेंन्ट लाया जाय, उसमें भी इन्हीं लोगों को बांधा जाय तो मेरा खयाल है जयपुर जिले से तो यह बीमारी दूर हो सकती कि है....

**श्री जनार्दनराय नागर** (मावली) : साथ में एम० एल० एज़० को भी जोड़ दिया जाय।

**श्री नाथूलाल :** श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बतलाया है क अनुसूचित जातियों एंव जन-जातियों के लिये बहुत से कार्य हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस ओर जरूर कुछ कार्य हुए हैं। लेकिन अभी भी ऐसी जगह हैं जहां पांच-पांच साल से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिये पूरा काम नहीं हो सका है। सांगानेर के विकास के मुत्तल्लिक मैं आपसे अर्ज करूं, हरिजनों की कुन्दनपुरा कॉलोनी के नाम से एक कालोनी बनाई गई है। चार-पांच साल पहले से यह बनी हुई है, लेकिन आज इतने बरसों से भी वह काम पूरा नहीं हो पाया है। वहां जो भी प्लाट्स हैं वे अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं। कुन्दनपुरा का काम बहुत ढीला चल रहा है। वहां ४८ प्लाट्स हैं। गतवर्ष अनुसूचित जन जाति मंत्रणा परिषद की बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि जितना भी पैसा पुनर्वास पर व्यय किया जा रहा है वह पैसा जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनमें व्यय किया जाय। लेकिन सरकार ने वहां पर ४८ प्लॉटों में से केवल २२ प्लॉट्स वालों को सिर्फ १५०-१५० रुपये की सहायता दी है।

**श्री नाथूलाल करौल :** और वह प्लान आज तक भी परा नहीं हो रहा है।

( श्री नाथूलाल )

तीसरी बात यह है कि उस कुन्दनपुरा में एक विंड मिल लगाई गई। लगी उस रोज से आज दिन तक एक रोज भी काम नहीं किया सरकार का पैसा इस तरह क्यों खराब किया जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप तो कोई इससे भी महत्वपूर्ण बात हो तो वह बताइये। यह तो आप कटमोशन के और बजट के वक्त कह सकते हैं, इसमें उनका समावेश हो जावेगा। नीतियों पर चलिये इस समय तो।

**श्री नाथूलाल करौल** : इसी तरह वहां एक टैनरी बनाई जा रही है। दो साल से बराबर कोशिश हो रही है पर न जाने राज कर्मचारियों की क्या नाराज़गी है कि उसमें बार बार रोड़े अटका दिये जाते हैं। इसका कारण यह है कि कम्यूनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर ने अपने किसी परिचित व्यक्ति को इसका ठेका दे दिया पर वहां की एक चर्म उत्पादक सहकारी संघ के लोग लड़े झगड़े तो उनको देना पड़ा पर आज मशीनरी देने आदि में और उससे सहयोग करने आदि में ये लोग रोड़े अटका रहे हैं। इसलिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो काम हाथ में लिया जावे उसको सबसे पहले पूर्ण करने को कोशिश की जानी चाहिये और इन ऑफिसरों से कम्प्लीशन सर्टीफिकेट हासिल किया जाना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे आशा है, आप समाप्त कर रहे हैं।

**श्री नाथूलाल करौल** : नहीं नहीं। दो मिनिट और।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप लीजिये लीजिये।

**श्री नाथूलाल करौल** : शिक्षा के लिये। शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। लेकिन शिक्षा दिन पर दिन तरक्की पर है यह मानकर चलें पर इसमें थोड़ा सा अन्तर है जो स्कूल अभियान चला, "स्कूल चलो अभियान" में लड़कों की तादाद तो बढ़ी पर टीचर्स की बढ़ोतरी नहीं हुई।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है।

**श्री नाथूलाल करौल** : इसलिये टीचर्स पर काफी ध्यान दिया जावे। आखिरी बात यह है कि हमारी सरकार में दो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं रेवेन्यू और पुलिस। पुलिस ने डकैतियों को जरूर खत्म किया, लेकिन जो चोरियां रात दिन होती हैं उनके लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। लोग परेशान हैं इन चोरियों। मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर ज़ोरदार कदम उठाया जावे।

रेवेन्यू में पटवारी पब्लिक को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। राजस्व मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने तहसीलदारों पर कन्ट्रोल करके पटवारियों को जरा कुछ ठीक किया जावे जिससे पब्लिक को शान्ति मिले। क्योंकि पब्लिक के लिए तो ये पटवारी ही रेवेन्यू मिनिस्टर और रेवेन्यू ऑफिस हैं। वे ही तहसीलदार हैं उनके लिये वे ही सब कुछ हैं। इसलिये इन पर कुछ आवश्यक नियंत्रण करना पड़ेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह सदन से निवेदन करते हुए अर्ज करूंगा

( श्री नाथूलाल करौल )

कि धीरे धीरे इस प्रशासन में कमजोरी आती जा रही है। इस प्रशासन को मजबूत बनाने का हमारा और हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामचन्द्र।

**श्री रामचन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय,

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य से आशा करता हूं कि वे कम से कम समय लेंगे। दो बजे हम वाद विवाद समाप्त कर रहे हैं और इस बीच बहुत से सदस्य बोलने बाकी हैं।

**श्री अनोपसिंह** (बालोत्तरा) : चार रोज से हम बराबर बोलने के लिये खड़े हो रहे हैं पर मौका नहीं मिल रहा है। हमें भी टाइम दिया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा कोई माननीय सदस्य नहीं है जो बराबर प्रयास न कर रहा हो। इसलिये अगर सदन की सम्मति हो तो समय निश्चित कर दिया जावे?

**श्री अनोपसिंह** : सदन को एक घंटा और बढ़ा दिया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह मेरी सीमाओं से परे है। Yes Shri Ramchandra.

**श्री रामचन्द्र** (डग सु०) : २४ दिनांक को इस सभा के प्रांगण में माननीय राज्यपाल महोदय ने पधार कर जो अपना अभिभाषण दिया है और उसके लिए सदन की ओर से जो धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा गया है। मैं उसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चुनावों के बाद से यह राज्यपाल महोदय, का चौथा अभिभाषण है। वैसे तो प्रतिवर्ष ये अभिभाषण होते ही हैं पर इस समय जो अभिभाषण हुआ है और उसमें जो हमारे सामने राजस्थान की प्रगति का चित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें कुछ विशेषता मालूम हुई है। ये अभिभाषण प्रायः सरकार के पिछले काम का लेखा जोखा बताने के लिये दिये जाते हैं। लेकिन इस वर्ष इसमें लेखे जोखे के अलावा राज्यपाल महोदय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान राजस्थान सरकार द्वारा किये गये उन विशेष कार्यों की ओर भी आकर्षित किया है। जो कि उसने पिछले साल किये हैं और जिनका कि भविष्य में अच्छा परिणाम निकलने वाला है।

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर पश्चिम ) : और वह लिखित में नहीं हैं।

**श्री रामचन्द्र**: उन अच्छे कार्यों में प्रथम स्थान जनतन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण और पंचायत समिति और जिला परिषदों का निर्माण करना है जो कि बापूजी के ग्राम राज्य के सपने को पूरा करने का संकेत करता है।

**श्री अर्जुनदास** : रामराज्य नहीं ?

**श्री रामचन्द्र** : भविष्य में जो कदम उठाने हैं उनका भी विचार किया गया है। वे ये हैं कि भविष्य में जो पंचायतें अच्छा काम करेंगी उनको भूमि कर वसूल करने का अधिकार दिया जावेगा।

# Page No.47



( श्री रामचन्द्र )

इसी प्रकार और भी सुधार जो राजस्थान सरकार भविष्य में करने वाली है इसकी ओर भी संकेत किये गये हैं।

दूसरी बात, जो इस अभिभाषण पर वाद विवाद में जो मैं देखता हूं वह यह है कि आमतौर पर राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण द्वारा राजस्थान सरकार के पिछले साल के कार्यों का लेखे जोखे का एक विवरण रखते हैं और इस समय सदन के माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उन विवरणों को सुनने के बाद और उनका अध्ययन करने के पश्चात् यह देखें कि राजस्थान सरकार अपनी नीति को अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों में कहां तक सफल हो रही है। यदि हमें यह मालूम हो कि राजस्थान सरकार अपनी नीति में कहां सफल नहीं हो रही है। तो हमारा यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि राजस्थान सरकार का ध्यान हम उसके लक्ष्यों और उसकी नीति की ओर आकर्षित करें ताकि भविष्य में वह अपने कार्यों को सुचारू रूप से करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति करे।

लेकिन मैंने प्रायः यह देखा कि वाद विवाद के समय बहुत सी बातें ऐसी भी आ जाती हैं, जिनका इस अभिभाषण से सम्बन्ध नहीं होता है। इसलिये बहतर तो यह है कि जो कुछ भी हम कहें वह इस समय के अनुकूल ही हो। यह समय तो राजस्थान सरकार की नीति पर रीति पर वाद विवाद करने का है।

इस समय यहां पर राज्यपाल महोदय ने राजस्थान सरकार के कार्यों का लेखा जोखा रखने के अभिप्राय से जो हमारे सामने विवरण रक्खा उससे मालूम होता है कि राजस्थान सरकार ने अपने कार्यों को पूरा करने के लिये जो विभिन्न टार्गेट्स विभिन्न सैक्टर्स में रक्खें थे उनमें बहुतसों में उसे बहुत अच्छी कामयाबी हो रही है।

एग्रीकल्चर सैक्टर में उसने अपने टार्गेट्स से ८.४ लाख टन अधिक अन्न उपजाया।

इसी प्रकार और और सैक्टरों में जैसे पॉवर और इर्रिगेशन में भी काफी अच्छी प्रगति की है।

(१ म० प०)

शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार अपने लक्ष्यों से और आगे बढ़ती जा रही है। वैसे तो मैं यह अनुभव करता हूं कि राजस्थान सरकार अपने फिज़िकल टार्गेट्स में तो बहुत प्रगति कर रही है। लेकिन वास्तव में पब्लिक में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी ओर भी हमें देखना चाहिए। जब हम यह सुनते हैं कि राजस्थान सरकार के प्रयत्नों से एग्रीकल्चर सेक्टर में ४ लाख टन अधिक अन्न उपजा यानी जितना अन्न चाहिए था राजस्थान में उससे भी ज्यादा अन्न पैदा हुआ। लेकिन पिछले महीनों में जबकि राजस्थान में अनाज के भाव बढ़े तो आम तौर पर यह चर्चा थी, कि जब राजस्थान में हमारी आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा होता है फिर क्या कारण है कि भाव बढ़ रहे हैं। इसके लिए प्रजा के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के कर्मचारी पब्लिक को समझाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन पब्लिक तो हमेशा परिणामों की तरफ देखती है और वह यह है कि जब राजस्थान के प्रयत्नों का नतीजा तो अच्छा है किन्तु उसका

( श्री रामचन्द्र )

प्रभाव जनता पर बुरा पड़ रहा है तो उनकी समझ में इसका ठीक उत्तर नहीं आता है। वास्तव में राजस्थान सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रगति की है वह प्रशंसनीय है। लेकिन कभी कभी सरकार कुछ भूल भी कर बैठती है । जब भारत में फूड जोन कायम हुए और उसमें राजस्थान का सम्बन्ध बॉम्बे से हो गया, जो अन्न के मामले में राजस्थान से बहुत पिछड़ा हुआ है; इसलिए हमारे यहां का अन्न बहुत ज्यादा बॉम्बे को चला गया और राजस्थान के लोगों को अन्न का अभाव मालूम हुआ। यह बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान का अच्छा पैदा किया हुआ गेहूं बॉम्बे वाले खाते रहे और जयपुर वालों को आस्ट्रेलिया का खराब गेहूं खाना पड़ा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि भविष्य में जब कभी देश के स्तर पर कोई प्रश्न आये, जिस पर राजस्थान को अपनी राय देने का मौका मिले तो ऐसे समय में हमारे माननीय मन्त्रियों को अपनी पॉलिसी और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ही राय देनी चाहिये। कदापि ऐसा नहीं हो कि जैसा दूसरे लोग निश्चय करें उसके अनुसार ही अपना मत व्यक्त करें। यदि हम बॉम्बे के फूड जोन में सम्मलित नहीं होते तो हमारी यह दशा नहीं होती। इसलिये हमेशा अपनी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करने के लिए राजस्थान सरकार को सतर्क रहना चाहिए।

इसी प्रकार और और सेक्टरों में भी राजस्थान सरकार ने जो प्रगति की है वह वास्तव में प्रशंसनीय है लेकिन उनका प्रभाव भी जनता के ऊपर कुछ विपरीत ही पड़ता नज़र आता है । सिंचाई के सेक्टर में भी बांध आदि के बनाने में लाखों रुपया खर्च होता है लेकिन उनमें बहुत से बांध एक एक या दो दो बार टूट जाते हैं जिनकी जनता चर्चा करती है कि राजस्थान सरकार में कुछ देखरेख नहीं है और पब्लिक का रुपया बेकार जाता है। इसलिये जब ऐसे कार्यों को हाथ में लिया जाये तो उस काम का एग्ज़ीक्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। यदि मैं इन सारी बातों का जिक्र करूं तो शायद मेरा भाषण बहुत लम्बा हो जायेगा। लेकिन अन्त में मैं राजस्थान सरकार का ध्यान एक बात की ओर अवश्य दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जब मैंने थर्ड फाइव इयर प्लान का फ्रेम पढ़ा तो एज्यूकेशन के सेक्टर में यह बताया गया कि राजस्थान सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये अगले ५ वर्षों में राजस्थान में कम्पलसरी फ्री एज्यूकेशन करना चाहती है । वास्तव में राजस्थान सरकार की यह एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हमने विधान का निर्माण किया उस समय इस बात की घोषणा की थी कि अगले १५ सालों के अन्दर अन्दर भारतवर्ष में साक्षरता का प्रचार हो जायेगा अर्थात् भारत का प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा–लिखा होगा । यह हमने इस प्रकार की घोषणा की थी। उसकी पूर्ति के लिए अब यह निश्चय लिया जा रहा है और भारत के संविधान के अनुसार देश के भिन्न-भिन्न राज्यों ने जो और भी जिम्मेदारी ली है उसकी पूर्ति करनी चाहिए । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं राज्य सरकार का ध्यान एक दूसरी जिम्मेदारी की ओर भी दिलाता हूं। जबकि भारत स्वतंत्र हुआ और भारत में एक संघ शासन की स्थापना की

( श्री रामचन्द्र )

गई तब यह सोचा गया कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। किन्तु मालूम हुआ कि भारत का एक वर्ग ऐसा है कि जो अन्य जनता के मुकाबिले में शिक्षा के लिहाज़ से, आर्थिक दृष्टि के लिहाज़ से और समाज के लिहाज़ से बहुत पिछड़ा हुआ है। उस समय यह मुनासिब समझा गया कि इस अंग को भी सब के बराबर लाकर स्वराज्य से जो सुफल निकलने वाले हैं उनको भोगने का सबको प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए भारत के गणमान्य नेताओं ने विधान बनाते समय इस बात की भी घोषणा की और घोषणा ही नहीं बल्कि इस कार्य को पूरा करने के लिये स्वयं राष्ट्रपति ने इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि अगले १० वर्षों में भारत की जो पिछड़ी हुई जनता है उसको समान स्तर पर लाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। वह १० वर्ष गुजर गए और यह जिम्मेदारी भारत सरकार की और साथ साथ प्रत्येक राज्य की पूरी नहीं हुई और राजस्थान में यह जिम्मेदारी खास तौर पर राज्यपाल की है क्योंकि जैसे भारत सरकार की ओर से स्वयं राष्ट्रपति ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली उसी प्रकार राजस्थान सरकार के ऊपर की जिम्मेदारी का बहुत अधिक दायित्व राज्यपाल महोदय के ऊपर पड़ता है। लेकिन जब मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा तो राज्यपाल ने अपनी जिम्मेदारी की तरफ जो कि सीधी उनके ऊपर पड़ती है उसकी तरफ विशेष ध्यान न देकर केवल यह इशारा किया कि राजस्थान में सोशियल वैलफेयर की ओर भी अच्छे कदम उठाये जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि राज्यपाल के इस भाषण का क्या मतलब है कि अच्छे कदम उठाये जा रहे हैं। यह पिछड़ा हुआ समाज अब तक कितनी तरक्की कर चुका है और इस पिछड़े हुए समाज का उत्थान उनके प्रोग्राम के अनुसार हो रहा है, इसकी उनको वास्तव में जानकारी नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता के साथ राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक प्लान बनाया है उसी प्रकार राजस्थान के पिछड़े वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से उत्थान करने के लिए एक वैल प्लान्ड स्कीम तैयार करें और उस स्कीम के अनुसार अगले १० वर्षों का जो विशेष रूप से मौका दिया गया है इसके अन्दर अन्दर हमारी स्थिति आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक; सभी प्रकार से राजस्थान के अन्दर अन्य मनुष्यों के समान हो जाये। यह मेरा नम्र निवेदन है क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह समझ लीजिए कि जैसे हमने पहले १० वर्ष वैसे ही खो दिये और अब भी यह १० वर्ष का जो दुबारा मौका मिला है नष्ट हो जावेगा। यदि अब भी राजस्थान सरकार और खास तौर से राज्यपाल महोदय ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इन १० वर्षों के बाद इस पिछड़े वर्ग को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए जैसे आप दूसरी योजनायें बनाकर प्रत्येक सेक्टर की उन्नति के लिए आप विशेष प्रोग्राम बनाते हैं इसी प्रकार राजस्थान के पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिये भी आपको एक वैल प्लान्ड स्कीम बनानी चाहिये और मैं यह चाहता हूं कि पिछले १० वर्षों में राजस्थान

( श्री रामचन्द्र )

सरकार ने प्रत्येक सेक्टर में पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए जितना जितना रुपया खर्च किया है उस खर्चे के अनुपात से इस वर्ग ने कितनी उन्नति की है, इसकी जांच कराई जाये; तभी सरकार को मालूम होगा कि राजस्थान में यह पिछड़ा वर्ग कितना आगे बढ़ चुका है और अब इनको लेवल में लाने के लिये सरकार को क्या स्कीम बनानी चाहिये ? यह अत्यन्त आवश्यक है और मैं यह कहूंगा कि यदि राजस्थान सरकार ने इस ओर ध्यान दिया तो बड़ी भारी जिम्मेदारी, जो उनके ऊपर रखी हुई है, वह पूरी हो जायगी । इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री परसराम ।

**श्री परसराम मदेरना** ( आसीन ) : उपाध्यक्ष महोदय ।

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर पश्चिम ) : हम भी अपने नाम लिखकर दे दें तो हमारा भी नम्बर आ जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे बिज़नस एडवाइज़री कमेटी के निर्णय ने बांध दिया है, उसके ही अनुसार चल रहा हूं ।

**श्री अनोपसिंह** ( बालोतरा ) : चिट भेज दें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : चिट का खयाल नहीं रखा जाता है ।

**श्री परसराम मदेरणा** : यहां पर सदन में तीन रोज़ से बहस चल रही है अभिभाषण के फलस्वरूप......

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आप से भी आशा करूंगा कि कम से कम समय लेंगे

**श्री परसराम मदेरना** : आप जैसा मुनासिब समझें घन्टी बजा दें, मैं बन्द हो जाऊंगा ।

जो धन्यवाद का प्रस्ताव नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने खास तौर से श्री माधोपुर से आने वाले और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने और हमारी ओर से बैठने वाले फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपना भाषण शुरू करते ही इस सदन में आशा व्यक्त की थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने के बाद में उन्हें ऐसा लगा है कि उनका अभिभाषण इन्सपायरिंग नहीं है, वह सरकार की भविष्य की रीति-नीति के बारे में कोई दिग्दर्शन नहीं कराता है और उन्होंने कुछ ऐसे मामलों को लेकर, कुछ छोटे-मोटे मामलों को लेकर जिनका कि जो अभिभाषण है या राज्य की नीति से या राज्य के पिछले साल के जो एचीवमेंट्स हैं उनसे उनका कोई प्रसंग नहीं था; उन चीजों के बारे में उन्होंने इस सदन में ज़िक्र किया । उनकी कीमतों के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसमें नहीं जाऊंगा । मैं माननीय सदस्यों से आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जब इस सदन में १२ महीने के बाद में दिया जाता है तो पिछले १२ महीनों के सरकार के जो एचीवमेंट्स हैं उनका लेखा जोखा होता है । अगर उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य, पिछले १२ मीहने के जो

# Page No.51



( श्री परसराम )

सरकार के एचीवमेंट्स हैं और जो १२ महीने पहले खास तौर से राज्यपाल महोदय ने ३ बातों के लिये, तीन नीतियों के लिए जो सरकार ने निर्णय लिये थे उन पॉलिसी मेटर्स को इसके माध्यम से जो घोषणा की थी, खास तौर से एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में, स्टेट ट्रेडिंग को लेकर और डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन को लेकर व तीसरे प्लान को फ्रेम करने के बारे में संकेत किया था पिछले साल, उन चार मुद्दों की जिनकी सरकार ने पॉलिसी के रूप में घोषणा की थी, उनका ज़िक्र नहीं होता, उसमें सरकार की कमी रही होती, जो टार्गेट्स एचीव करने के थे उनकी ओर अग्रसर होने में कमी रही होती तो वह बात थी। टार्गेट्स का जहां तक प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको मैं क्लिअर करना पसन्द करूंगा। लेकिन यहां पर उनका ज़िक्र नहीं करके जो सरकार की पॉलिसी थी उसके जो पार्ट एन्ड पारसल थे उनकी पीसमील की बातों को लिया गया। सरकार की जो पॉलिसी है, पंचवर्षीय योजना है और हमारे देश में और यहां राजस्थान के जन-जीवन की आर्थिक व्यवस्था को इम्प्रूव करना चाहते हैं. उसके लिए उन्होंने कतई इशारा नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्लानिंग का पीरियड है और जैसा कि हमें ८-१० साल स्वाधीनता के बाद जिस अर्थ-व्यवस्था में हमें मिले हैं और जिस तरह के सीमित साधन सरकार के सामने हैं उन सीमित साधनों और रिसोर्सेज़ को देखते हुए जिस तरह से सभी सेक्टर्स में प्लान करके उसमें काम हो रहा है उसमें अगर कमियां हैं तो उनको सुधारने के लिए अपने कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देते तो मैं समझता कि वास्तव में उनका क्रिटिसिज़्म जो है वह राजस्थान की जनता के फायदे के हक में है, और वह भी एक अवसर हो सकता है कि जिसमें सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाय कि उनके द्वारा जो प्रोग्राम डेवलपमेंट का चल रहा है तो डेवलपमेंट के अलग अलग प्रशासन में और दूसरे मुद्दों को क्रियान्वित करने में इतनी कमियां हैं उनमें इस तरह से सुधार किया जा सकता है, तो मैं मानूंगा कि माननीय सदस्य वास्तव में इस सदन का इस समय भी और दूसरे जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उनकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और वैसा वातावरण बनाते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्लानिंग है उस प्लानिंग का एक साल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में तमाम इन्सपाइरेशन मिल जाय, उसी भाषण में जिसमें राजस्थान नहर योजना भी हो और उसकी कामयाबी का भी उसमें लेखा जोखा कर दिया जाय, और उसके साथ ही साथ भाखरा की जितनी बिजली की योजना है और उसमें जितना काम है सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के, सामाजिक उत्थान के मामले हों, पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के मामले हों, पिछड़ी हुई जातियां जो कि सदियों से पिछड़ी हुई हैं उनमें समय लगता है, उन तमाम चीजों के सम्बन्ध में अभिभाषण के अन्दर रूपरेखा देखना चाहते हैं, यह संभव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को अगर बुद्धिमत्ता से देखें जैसा कि श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बुद्धिमत्ता से स्क्री-

( श्री परसराम )

निंग करना चाहिए अभिभाषण के मामले में, तो उन्होंने बुद्धिमत्ता से स्क्रीनिंग नाथद्वारे के मामले में किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। नाथद्वारे के मामले में मेरे दूसरे साथी बोल चुके हैं, लेकिन एक ओर सरकार के किसी डिसीज़न के बारे में रोष है तो जुडिशियल एन्क्वायरी मांगते हैं और जुडिशियल एन्क्वायरी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मांगते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर पर चार्जेज़ थे और उन चार्जेज़ की सफाई के लिए और राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाने के लिए सरकार की ओर से जहां तक नाथद्वारे का मामला था, टेम्पल की प्रोपर्टी का मामला था, उसके लिए सतर्कता बर्तने का जहां सवाल था वहां एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसका चेयरमैन होता है ऐसा जुडिशियल कमीशन बैठाती है, और उसके बाद में वह एक फैसला देता है, और उस फैसले पर दलील यह दी जाती है कि इसमें दूसरे आदमी जो हैं वे तो फंस गये हैं और ये दो महानुभाव कैसे बच गये हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक स्टाक मैन जाकर चोरी करता है, उस मामले में सबको रेस्पोन्सिबल कैसे बताया जा सकता है। जहां तक सतर्कता बर्तने का सवाल है वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और मिनिस्टर की रेस्पोन्सिबिलिटी हो जाती है। कोई मिस् एप्रोप्रियेशन करते हैं या एम्बेज़लमेंट करते हैं और चार्जेज़ लगाते हैं मिनिस्टर्स पर कि उनके इन्टेन्शन में फर्क था। मैं समझता हूं कि इस दलील में कुछ तथ्य नहीं है और उसके साथ साथ मैं, यह कहना चाहता था कि एक जुडिशियल कमीशन बैठाया है और राजस्थान के चीफ जस्टिस उस कमीशन के चेयरमैन हैं और चेयरमैन के बाद में ..........

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : मेरी समझ में आप वेटरनरी डिपार्टमेंट की पर्चेज़ेज़ के बारे में कह रहे हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( कृषि मन्त्री ) : आपकी समझ में आ जायगा, सुनिये।

**श्री परसराम** : माननीय सदस्य गलत समझ गये हैं। मैं यह कह रहा था कि जिस तरह से एक चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में जो काम चलता है, उस काम में नीचे के अफसर या दूसरी तरह के लोग मिसएप्रोप्रियेशन करते हैं तो उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी उनके ऊपर फिक्स करनी चाहिए। यह चीज़ गलत होती है जो वह दलील दे रहे हैं। मैं नाथद्वारे की बात कह रहा था उसमें आप गलत समझ गये।

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : आपने एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की दी थी।

**श्री परसराम** : एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के बारे में, इस केस को लेकर, एनीमल हस्बेन्ड्री को लेकर किसी वजह से यह था, यह प्रकट होता जा रहा है और इसमें अधिक प्रगति होती जा रही है कि इस सदन के अन्दर कुछ माननीय साथी कुछ सरकारी कर्मचारियों की वकालत करते हैं। कुछ माननीय साथी सरकारी कर्मचारियों की वकालत यहां पर करते हैं, कुछ ऐसे

( श्री परसराम )

उद्देश्य को लेकर यहां पर बात कही जाती है जो सत्यता से दूर है । यदि इस प्रकार की परम्परा रही तो मैं ऐसा मानकर चलूंगा कि यह उचित नहीं है । विरोधी पक्ष जिस पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, अपने कर्त्तव्य से दूर जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्य बातों में न जाकर अपने आपको एक ही पॉइन्ट पर सीमित रखूंगा और वह है एग्रीकल्चर एकोनोमी के बारे में । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और इससे पहले दूसरी योजना बनाई गई उस समय और उससे भी पहले पहली योजना बनाई गई थी उस समय और जो तीसरी योजना हमारे सामने है, इन तीनों ही योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रखा है कृषि का उत्पादन । उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन के मामले को लेकर पिछले साल राज्यपाल महोदय ने कहा था कि एक व्यवस्था कृषि उत्पादन की राजस्थान में लागू करना चाहते हैं और वह है कोऑपरेटिव के जरिये, सहकारिता के आधार पर कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। जब तक राजस्थान में या देश में फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो उद्योग या दूसरे क्षेत्र की प्रगति रुक जाती है क्योंकि फूड की वजह से ट्रेड का बेलेन्स डिस्टर्ब होता है और फॉरिन एक्सचेन्ज और देश के फाइनेन्स पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है । इसकी वजह से राजस्थान सरकार का और हिन्दुस्तान की सरकार का समय समय पर निर्देशन मिला है, अखबारों में पॉलिसी पढ़ने को मिली है, उससे मालूम होता है कि तीसरी योजना में भी कृषि उत्पादन की ओर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जायगा । जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, हम निरंतर खेती के प्रोडक्शन में आगे जा रहे हैं पांच-छः साल से, हो सकता है कि किसी साल वर्षा कम होने के कारण कमी आई हो, लेकिन लगातार खेती का उत्पादन बढ़ रहा है और इस साल यह कहते हुए मुझे संकोच नहीं है कि इस साल प्रोडक्शन खरीफ और रबी का पूरे राजस्थान में है, मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा फील्ड एक्सपीरियेन्स है उसके आधार पर कह सकता हूं कि सारा प्रोडक्शन राजस्थान में मेग्ज़िमम होने वाला है। आप देखिये खरीफ की फसल पूरे राजस्थान में और यहां तक कि रेगिस्तान में....

श्री अनोपसिंह ( बालोतरा ) : Is it because of the Agriculture Department doing some thing in this respect ?

श्री परसराम : Yes, yes. I have no hesitation in saying that the Agriculture Department has got a great hand and it is doing its best of its ability to increase the production of the foodgrains.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि खेती के डिपार्टमेंट की वज़ह से और साथ ही साथ जो आज सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत जो स्कीम चल रही है ब्लॉक्स में उसकी वज़ह से मैं समझता हूं, खेती के मामले में काफी प्रगति हुई है और आगे भी उन्नति होने की उम्मीद है। राज्यपाल महोदय के भाषण में भी इसका जिक्र है । उन्नत खेती के औजारों के लिये एक वर्क शॉप जयपुर में कायम हो चुका है और रिसर्च

# Page No.54



श्री परसराम )

के काम के लिये जोधपुर में जो लेबोरेटरी कायम हुई है उसने जमीन की जांच में काफी प्रगति की है। उसने डिफरेन्ट टाइप के चार हजार तरह की सोइल के एक्सपेरिमेंट किये हैं और अलग अलग जोन्स में डिवाइड करके भेजा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्लान्स में कई तरह के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है।

जहां तक बीज वितरण का सवाल है कोआॅपरेटिव्ज़ के जरिये मेग्ज़िमम बीज का वितरण किया गया है। सर्विस कोआॅपरेटिव्ज़ ने राजस्थान में हजारों—लाखों मन बीज का वितरण किया है, यह तहकीक बात है, हमने खुद ने आंखों से देखा है। इसके अलावा त्रिफली आदि औजारों की ओर भी ध्यान दिया गया है। आज हमारे यहां के लोग शिक्षा में काफी पिछड़े हुए हैं। उसका तालमेल साइन्टिफिक बेसिस पर कृषि उत्पादन को बढ़ाकर करना चाहते हैं, इसीलिये सूरतगढ़ में कृषि फार्म की स्थापना की गई थी ताकि मोडल फार्म के रूप में एक्सपेरिमेन्ट कर सकें और खेती के प्रोडक्शन को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर सकें। अभी हमने हर पंचायत समिति को एक मोडल फार्म दिया। ये जब तैयार होंगे तब किसानों को बड़ा भारी प्रशिक्षण मिलने वाला है। मैं अर्ज करूंगा कि राजस्थान में अब भी २०० के करीब एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, उनमें से कुछ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक इम्पलीमेन्टेशन का सवाल है सरकारी प्रशासन में कुछ कमी रही है। मैं मानता हूं कि जैसी आशा करते हैं प्रोडक्शन के मामले में एग्रीकल्चरिस्ट्स को फेसिलिटी मिलनी चाहिये वैसी उनको नहीं मिली। पंडित नेहरूजी ने डेवलपमेंट कांफ्रेन्स में एक बात खास तौर से कही थी, उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं : 'Success and failure of the planning by that single... agriculture production and specially food production.' आगे सरकारी अफसर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में सतर्कता नहीं बरतते हैं, उस ओर ध्यान दिलाते हुए कहा : 'Whether it is day or night, they have to do it.' कहने का मतलब यह है कि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ओर बहुत कुछ करना है और खास तौर से राजस्थान में जितनी पोसिबिलिटीज़ हैं, जितनी बैरन जगह पड़ी है, राजस्थान नहर योजना देखिये, राजस्थान नहर योजना के साथ भाखरा को लीजिये, वहां पर लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है, गंगानगर इलाके को लीजिये जहां पेरेनियल सोर्स ऑफ इर्रिगेशन है। साथ ही साथ हनुमानगढ़ में जो उत्पादन होने वाला है उस ओर ध्यान दीजिये। यदि सही तरीके से साधन उपलब्ध होते हैं और ट्रेन्ड आदमी किसानों और फार्मर्स को योजना बनाने में योग देते हैं और उनके साथ बैठ कर योजना बनाई जाती है, तो मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि राजस्थान केवल सेल्फ सफिशियेन्ट ही नहीं होगा बल्कि शायद पहला सूबा होगा जहां एग्रीकल्चरल इकोनोमी की ज्यादा पोसिबिलिटीज़ है। राजस्थान नहर आयेगी तब ३५ लाख एकड़ भूमि जो उस एरिया में बैरन पड़ी है और जो स्पार्सली पोपुलेटेड है वह हरी भरी होगी और आज जो अनएम्पलोयमेन्ट की समस्या हमारे सामने है वह भी हल हो जायगी, क्योंकि वहां पर

( श्री परसराम )

५ लाख परिवारों को बसाया जा सकता है और खास तौर से सिंदरी आदि फर्टिलाइज़र फेक्ट्रीज़ के लिये जो जिप्सम बीकानेर से बाहर जाता है उसका यूज़ यहां पर होने लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का पश्चिमी इलाका जो रेगिस्तान का है जहां हर तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है, खुश किस्मती से या बदकिस्मती से, मैं भी उसी इलाके के पास का रहने वाला हूं....

**श्री मदनसिंह दांता** : आप तो काफी हैल्दी नज़र आते हैं ?

**श्री परसराम** : जो लोग हार्डशिप से गुजरते हैं वे मेहनत करते हैं, इसलिये वे हमेशा हैल्दी होंगे। क्या आप यह समझते हैं कि वहां के लोग डबल क्रोप एरिया वाले लोगों से कमजोर हैं ? वहां के लोग काफी हैल्दी होते हैं। आप लोग जैसलमेर के इलाके को देख चुके हैं। वहां की जमीन अधिक काम में नहीं आई है। जैसलमेर के बारे में आप समझते होंगे कि वहां बड़े बड़े टीबे होंगे लेकिन ऐसी बात नहीं है, वह समतल इलाका है। जब वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, मास्टर प्लान के अनुसार साइन्टिफिक वे से एग्रीकल्चर को इन्ट्रोड्यूस किया जायगा और जब खाद सस्ते दाम में उपलब्ध होगी तब वहां के किसानों की आर्थिक हालत सुधरेगी, तभी राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल होगा। इसी पर राजस्थान के ज्यादा लोगों का भविष्य निर्भर है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अनोपसिंह।

**श्री अनोपसिंह** ( बालोतरा ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : आपसे भी मैं आशा करता हूं कि कम समय लेंगे।

**श्री अनोपसिंह** : कोशिश तो मैं यही करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने तीन दिन से जो बहस चल रही है, आज शायद चौथा दिन है उसका और राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर जो माननीय सदस्य, जो नसीराबाद से आने वाले हैं, ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन और विरोध में बातें हुई। मैं यह अवश्य मानता हूं कि जब इसकी कॉपी, भाषण की कॉपी माननीय राज्यपाल महोदय के पास गई होगी कि आपका भाषण है, जिसको कि आपको सदन के सामने डिलीवर करना है, तो मेरे ख्याल से उसको एक बार देख कर, इसके इन्सिपिड टेक्स्ट को देख कर, इसमें कोई खास बात न देख कर उन्होंने यह महसूस किया होगा....

**श्री उपाध्यक्ष** : हम कल्पनाओं के आधार पर कैसे चल सकेंगे; जो तथ्य है, उसके आधार पर चला जाय।

**श्री अनोपसिंह** : जिस तरह की उनकी हैल्थ रहती है, उसमें उन्होंने सोचा होगा कि ऐसी हैल्थ में मैं इन्सिपिड भाषण को पढ़ने के लिए जाऊंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस तरह के आपत्तिजनक शब्द न कहें तो बेहतर है।

# Page No.56



**श्री अनोपसिंह :** खैर, वह तो परम्परा है, वह पूरी करनी पड़ेगी ।

**श्री उपाध्यक्ष :** कल्पनाओं के आधार पर उस स्थिति को न लाया जाय, तथ्यों को लाया जाय ।

**श्री ज्वालाप्रसाद** ( नसीराबाद ) : यह एक्सपंज कर दिया जाय, जिस तरह आपने रखा है ।

**श्री अनोपसिंह :** मैंने क्या बात कह दी, जिसे एक्सपंज करने की जरूरत पड़ी ।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप आरम्भ रखिये ।

**श्री अनोपसिंह :** खैर. जिन महोदय ने यह प्रस्ताव रखा, अपने पंजों पर कूदते कूदते यह कहा कि सरकार एक ग्रिप में आ गई है । आज सरकार ग्रिप में आ गई है कि उसे महसूस होने लगा है कि हम कुछ कर सकते हैं और हमने कुछ किया है, इसका लेखा जोखा बताया, जो बीत गया है, और जो आगे करने वाले हैं, उसकी भी बात की । इसे ग्रिप समझ कर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने भाषण शुरू किया और कहा कि सरकार ग्रिप में आ गई है । मैं समझता हूं कि ग्रिप में किस प्रकार आ गई है, जिसके भरोसे आप चाहते हैं कि आपके प्रस्ताव के हम साथ हों और धन्यवाद के प्रस्ताव का हम समर्थन करें । मेरी समझ में नहीं आया कि ग्रिप क्या बेकारी पर आ गई, भूखे लोगों पर आ गई, जिन लोगों के पास कपड़ा नहीं है, रहने के लिए जमीन नही है, कमाने के लिए धन्धा नहीं है और बहुत सी ऐसी चीजें रह गई हैं जिन पर काफी किया जा सकता है, फिर ग्रिप किस पर आ गई ? यह महसूस करते हैं कि हमने कुछ किया और करना है, अभी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं है, ग्रिप नहीं है, तो मैं मानता कि ठीक कन्फेशन कर रहे हैं, आगे करने के लिए सोचने की कोशिश कर रहे हैं । खैर, मैं उस पर ज्यादा समय न लेते हुए यह कहूंगा कि एड्रेस में जो सबसे बड़ी बात महसूस की है, वह विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं और ज्यादा इसके ऊपर कहूं यह जरूरी नहीं है । पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिस मकसद, जिस भावना के साथ, जिस भावना से प्रेरित होकर हमने विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को माना और उसके ऊपर जो कानून बनाया, वह कानून हमारी भावनायें, जिन भावनाओं के साथ कानून बनाया था, उन भावनाओं को कम से कम पूरा नही करता है, यह मानना पड़ेगा । हो सकता है कि आज नहीं पूरा करता है, तो आयन्दा कभी पूरा कर ले । इसकी सम्भावनाओं को मिटाये नहीं देता हूं । मैं मानता हूं कि आगे कुछ कर सके, मगर जिन भावनाओं के साथ कानून बनाया है और जिस तरह उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, उसको देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि जो ऊपर से पॉवर्स नीचे आनी चाहिए थी वह नहीं आई है, उसमें रोड़े हैं, अटकाव हैं और उन अटकावों में शायद जनता शामिल हो सकती है, गवर्नमेंट शामिल हो सकती है । उस पर इतना बवन्डर और इतना हुल्लड़ करके बात करें कि हमने ऐसी बात कर दी है जिस पर दुनिया की नजर है । दुनिया की नजर किसके ऊपर है, दुनियां हमारे एक्सपेरीमेंट को देख रही है, किस तरह हम कर रहे हैं । मगर जो एक्जीक्यूशन का तरीका है, जो एग्ज़ीक्यूशन की मशीनरी है, जो सेट अप है

( श्री अनोपसिंह )

उससे आप समझिये कि आप उन भावनाओं तक, उद्देश्य तक शायद ही पहुंच सकेंगे। मैं अर्ज कर दूं कि अभी तक एक पंचायत समिति में, जिसमें प्रधान चुनाव हुआ होता है और बी. डी. ओ, जो गवर्नमेंट का सरकारी नौकर है, उस बी. डी. ओ. के दिमाग से यह बात नहीं गई है कि हम सरकारी नौकर हैं और पंचायत समिति का प्रधान, आज आया है, कल चला जायगा, हमारे ऊपर क्या है, हम किस लिए पूछें। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे बहुत से इन्स्टान्सेज़ हो सकते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में भाग्यवश ऐसा नहीं है, एक दो पंचायत समिति में प्रधान और बी. डी. ओ. में समन्वय होकर काम चल रहा है। यह मेरी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन मैंने आस पास देखा है, और महसूस किया है, प्रधानों से मिला हूं, मैंने महसूस किया है कि पंचायत समिति के प्रधान को बी. डी. ओ. पूछते नहीं और वे जिस तरह की कार्यवाही करना चाहते हैं कर देते हैं। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, मदें हैं, वे जयपुर से आते हैं। बी० डी० ओ० क्या कर सकता है ? उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए बी० डी० ओ० पंचायत समिति के सामने रखता है, कई रख देते हैं और कई रखते भी नहीं हैं। कोई अपने मन से डिसीजन ले लेते हैं और काम कर देते हैं। जैसा कल श्री बी० एन० जोशी बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सिकराय में बी० डी० ओ० है, जो मनमानी करता है। मैं वहां की हालत को जानता हूं। वहां के बी० डी० ओ० ने पंचायत समिति और प्रधान को बिना पूछे हुए स्कूल बनवा दिया है, मीणों का होस्टल बनवा दिया है। वह जैसा करना चाहता है वह करता है, राजनीति में पार्ट लेते हैं, जीप को जिस तरह दौड़ाना चाहता है, उसी तरह दौड़ाता है। इसी तरह बाली में है, वहां प्रधान कुछ चाहता है, और बी० डी० ओ० को कुछ कहता है। वहां का प्रधान चाहता है कि वहां वेटरनरी हॉस्पिटल हो, लेकिन बी० डी० ओ० उसको रिकमन्ड करने की कोशिश नहीं करता, पेपर्स नहीं बनवाता। इसी तरह रूलिंग पार्टी के प्रधान हैं, देसूरी में, उन्होंने चाहा कि पब्लिक हैल्थ सेन्टर खोल देना चाहिए, वह एक दिन में खुल गया। मैं निवेदन करूं कि केबिनेट की मीटिंग हुई, वह इसलिए हुई कि हमने जो विकेन्द्रीकरण का कानून बनाया था वह कानून उसी तरह चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी जो केबिनेट की मिटिंग हुई, वह यह भी देखने के लिए थी कि हमारी पंचायतें किस तरह काम कर रही हैं, बी० डी० ओ० किस तरह काम कर रहे हैं। केबिनेट की जगह जगह बैठकें हुई। मेरी समझ में नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय, यह केबिनेट की मीटिंग किस लिए थी, अपनी पार्टी की प्रेस्टिज को....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** (उप मंत्री, शिक्षा) : माननीय सदस्य उसमें उपस्थित नहीं हुए, फिर कैसे मालूम कि वहां क्या हुआ ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : बी० डी० ओ० को हटाने के लिए एक्ट में दिया है कि मेजोरिटी चाहे तो हटा सकती है। उस डेमोक्रेटिक प्रोविजन को अख्तियार क्यों नहीं करते ?

**श्री अनोपसिंह** : वह दिन आ जायगा, जिस दिन कर सकेंगे।

**श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा** : वह आ जायगा। वह पेक्शन है कानून में हटाने का।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!!

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : मंत्री महोदय को मालूम नहीं है कि विरोधी दल के पास कौन सी चीज़ नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

**श्री अनोपसिंह** : मैं कहीं गया हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं अमेरिका में नहीं गया हूं, लेकिन जो सुना है, उसके बारे में कह सकता हूं। अपने में से सब अमेरिका नहीं गये हैं लेकिन यह जानते हैं कि आइज़न ऑवर नाम का एक व्यक्ति है, उसकी बात मानते हैं। वे मानते हैं कि वह ऐसा काम करता है। यह बात नहीं है कि जो आदमी वहां गया हो, वही वहां की अवस्था या बात मालूम कर सकता है। मैं माननीय उप मंत्री जी को कह दूं कि मैं हाजिर नहीं हो सका, बीमारी के कारण, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं स्थिति को नहीं जानता। बाली के अन्दर प्रधान कुछ चाहता है, बी० डी० ओ० कुछ चाहता है और वह क्या चाहता है, उसे जाने बगैर वह मोटर, दौड़ाता फिरता है। बाली के बी० डी० ओ०, जिनका नाम कैसे लूं, दवे साहब हैं, वे अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, कोई रोक-थाम नहीं है....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप ऊंट दिये जाने का प्रस्ताव कर दें, जिससे जीप का झगड़ा मिटे।

**श्री अनोपसिंह** : इसलिए अर्ज़ करूंगा कि जिस भावना से हम काम कर रहे हैं, जिस भावना से हमारा बी० डी० ओ० एक सेवक की तरह, पंचायत समिति के प्रधान और पंच को सुझाव देने का काम करें और भाई बन कर काम हो, तब जिस भावना से पंचायत का कानून बनाया है, उस भावना तक पहुँच सकेंगे, वरना नहीं पहुँच सकेंगे। खैर, मैं इतना अर्ज़ करते हुए यह कहूंगा कि यह कहा गया कि दलबन्दी कम हो गई है। मैं अर्ज करूंगा कि पंचायत समितियों के चुनाव हुए हैं, उनमें यह दलबन्दी कम होने के बजाय बढ़ी है, जैसा मेरे पहले कई महोदयों ने आपको ध्यान दिलाया होगा। इसके बाद मैं एक सबसे बड़ी बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के भाषण में मामूली तौर से जिक्र है, वह है ड्रिंकिंग वाटर की प्रोब्लम को सोल्व करने की। कुछ आंकड़ों के साथ बताया गया है पैरा नं० २५ में कि हम इस तरह से कर रहे हैं। प्लान फॉर्म में बताया है कि हम आयन्दा इतना खर्चा करने वाले हैं, कुंए तालाबों की मरम्मत के लिये, नये कुंए खुदवाने के लिये, नये तालाब बनाने के लिये, या पाइप लाइन ले जायेंगे, उन कामों में हम इतना खर्चा करेंगे। पर समझ में नहीं आया कि जिस मेग्नीटयूड की प्रोब्लम है, उतनी सिंसियरिटी से कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसको कई बार सदन में दोहरा चुका हूं

( श्री अनोपसिंह )

और अब भी इसे दोहराने में मुझे झिझक नहीं है। आप किसी एरिया को जहां कोई चीज़ नहीं है, स्कूलें, शफाखाने उन इलाकों में न दें, और और सुविधाएं भले ही आप वहां न दें, पर वहां के आदमियों को पीने के लिये पानी देना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप हर चीज़ को वहां से हटा सकते हैं पर पीने के लिये पानी तो आपको देना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुःख है कि पीने के पानी की समस्या, कोई रेफ्रिजरेटर्स की समस्या नही, आपके पास रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं, पर वे लोग रेफ्रिजरेटर्स नहीं मांगते, बंगले नही मांगते, कार नहीं मांगते, पीने के लिये पानी मांगते हैं। पीने के पानी की समस्या को हल करना जरूरी है और वह इसी जगह होगी। हो सकता है कि वहां जो लोग रहते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, देहाती हैं पर याद रखिये, वह दिन दूर नहीं, मैं चेतावनी के तौर पर अर्ज कर देना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि जब वहां की जनता चेतेगी ...

**श्री परसराम** : जनता चेत गई इसी लिये तो कमेटी बनाई है ।....

**श्री अनोपसिंह** : उस दिन कमेटी उड़ जायगी....

**श्री उपाध्यक्ष** : सदन के बाहर जनता चेत रही है, आप यहां चेताइये ।

(हंसी)

**श्री अनोपसिंह** : मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, उनसे निवेदन करता कि यह ऐसी चीज़ है, जिस पर आपने पूरी तरह नहीं सोचा है। यहां पानी का सुझाव देने वाला यदि कोई नहीं था तो बाहर से बुला सकते थे, किसी कोन्टीनेन्ट से, अमेरिका से बुला सकते थे। जो ड्रिलिंग मशीनें, डाइमन्ड कटर्स नहीं हैं तो बाहर से नहीं मंगा सकते। क्या पीने के पानी के लिये आप रुपया नहीं बचा सकते ? नागोर में १४–१५ लाख रुपया खर्च किया है, उसको बचा कर आप वहां दो–चार लाख रुपया ही खर्च करते और बाकी १० लाख रुपया इस पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये खर्च करते। लाखों रुपया केबिनेट मीटिंग्स जगह जगह करने में खर्च हुआ, उस रुपये को बचा कर पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये खर्च नहीं कर सकते थे ! तो आप यह मत कहिये कि आपके पास पैसा नहीं है, वास्तव में आपके पास दिल और दिमाग की वह सचाई नहीं है, आपमें वह मशिनरी स्पिरिट नहीं है। पर आप इस बात को मान कर चलिये कि यदि आपने पीने के पानी की समस्या का हल नहीं किया तो आपकी ये कुर्सियां डगमगाने लग जायेंगी ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपसे कुर्सियों के डगमगाने का सुन कर माननीय सदस्य मोतीलालजी कुर्सी को इधर उधर कर रहे हैं ।

(हंसी)

**श्री अनोपसिंह** : अभी तो मखौल के तौर पर हो रहा है, पर किसी दिन सचाई के तौर पर हो जायगा। जैसी मेग्निट्यूस

( श्री अनोपसिंह )

की प्रोब्लम है उसको उस तरह नहीं सोचा गया है। बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सकता था जो यह बताते कि यहां पानी है कि नहीं, जियोलोजिकल सर्वे करा कर बता सकते थे कि यहां पानी है। तो इस तरह आप यदि दस, बीस लाख या दो करोड़ रुपया उड़ा सकते थे, उड़ाने का मतलब कि आप एक्सपर्ट्स को बुला कर, एक्सपेरिमेंट कराने में, सर्वे कराने में दो करोड़ रुपया उड़ा कर आयें और यहां दो करोड़ का बजट पेश करें तो मैं उसका समर्थन करूंगा और इधर न बैठ कर उधर बैठूंगा।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : (नसीराबाद) : जगह नहीं है....

**श्री मदनसिंह** ( दांता रामगढ़ ) : शायद राजा हरिश्चन्द्रजी को देख कर मन चला होगा।

(हंसी)

**श्री अनोपसिंह** : पर आपमें सचाई नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, यह बड़ी सीरियस चीज़ थी जिसको मखौल में उड़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट भी उड़ा रही है और सदन भी उड़ा रहा है।

खाद्य समस्या का इसमें मेन्शन है कि हमारी काफी समस्या सुधर गई है, टार्गेट पूरा हो गया है, हम इतना करोड़ पैदा कर रहे हैं। यदि आप इतना पैदा कर रहे हैं तो फिर बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? ज्यादा जमीनों को खड़ने से ज्यादा पैदा हो रहा है या आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रयासों से? आज से दस वर्ष पहले पर एकड़ जो पैदा होती थी क्या उसमें कुछ फर्क आया है?....

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** (उप-मंत्री, शिक्षा) : आपके ब्लॉक में आया कि नहीं सच्चाई से बताइये।

**श्री अनोपसिंह** : मेरे ब्लॉक में हुआ है, वह आपकी वजह से नहीं हुआ है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : हमारे कार्यकाल में तो हुआ है।

**श्री अनोपसिंह** : सिवाणा ब्लॉक में जो हुआ वह वर्कर्स की वज़ह से हुआ है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मन्त्री) : वे वर्कर भी हमारे ही हैं। गवर्नमेंट तो प्लान ही देती है।

**श्री अनोपसिंह** : प्लान देती है पर एग्ज़ीक्यूट नहीं करती....

**श्री मदनसिंह** (दांतारामगढ़) : मन्त्री महोदय श्री भैरोंसिंहजी जैसे सुझावों से खुश रहते हैं, वे दीजिये।

**श्री अनोपसिंह** : आपका प्लान तो यह है कि जैसा बीज जिस वख्त चाहिये वैसा बीज उस वख्त नहीं देना। यदि ए क्वालिटी का सबसे अच्छा बीज किसी जगह चाहिये तो आप देते हैं १० वर्ष पुराना

( श्री अनोपसिंह )

खराब बीज। किसी जगह कणक चाहिये तो आप और ही बीज देते हैं। अगर कहीं अमोनियम सल्फेट चाहिये तो आप कहेंगे कि सुपरफॉस्फ़ुलुएट देंगे। तो आपका प्लान तो यह है। इसलिये यह मत कहिये कि आपके कारण हुआ है, यह तो यों कुछ हो गया है, भगवान की दया से इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं अर्ज करूंगा कि धान की समस्या आपने नहीं सुलझाई है। आप कहते हैं कि आपने इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स दिये हैं। मैं पूछता हूं। तो आपके पास आर्थिक ढांचे को जांचने के लिये, लिविंग स्टेन्डर्ड को जांचने के लिये कि लोगों का लिविंग स्टेन्डर्ड ऊंचा गया है या नीचा गया है, इसको जांचने के लिये आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं।

**श्री परसराम** (आसीन) : यह तो आप मानेंगे कि किसानों का रहने का लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़ा है।

**श्री अनोपसिंह** : बढ़ा नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर!! आप अब समाप्त करेंगे....

**श्री अनोपसिंह** : मैं रिपिटिशन नहीं कर रहा हूँ।

**श्री उपाध्यक्ष** : रिपिटिशन नहीं कर रहे हैं।

**श्री अनोपसिंह** : यह कहा गया कि पशु-धन के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। वह पशुधन आकाश में बैठा रहा तब तो कोई बात नहीं, पर अगर वह पशुधन जमीन पर उतर आया तो मुश्किल हो जायगी, वह खायेगा क्या? क्या आपने चरागाह के लिये कहीं ज़मीन रखी है? पशु-पालक, भेड़ पालक हैं, उनके लिये क्या कन्सेशन दिया है? आप वूल प्रोडक्शन की स्कीमें बनाते हैं, उनके लिये, चरागाह के लिये प्लान क्या है? उनके लिए आपका क्या प्लान है? मैं नारायण साहब जो यहां बैठे हैं अगर भेड़ें यहां न रहीं तो दो चार वर्षों में यहां से रवाना हो जावेंगे। क्योंकि न तो भेड़ें रहेंगी और न उनकी ज़रूरत होगी! मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि यही हालत रही तो एक दिन वूल डिपार्टमेंट उठ कर रहेगा, मामूली गाय और बैल लोग रखेंगे, मगर बकरी नहीं रख सकेंगे। बकरी और भेड़ के चरने के लिए कोई स्थान ही नहीं है इसलिये वे तो जावेंगी ही। लेकिन आज तक जो लोग डेज़र्ट में रहते हैं वे ज्यादातर गाय रखते हैं। मगर उनके लिए भी कोई चराई के लिए चरागाह नहीं है। चरागाह न होते हुए भी, उसके बावजूद भी उनसे टैक्स आज भी वसूल किये जाते हैं और लगाये जा रहे हैं, जो आज तक अभी नहीं लिये गये। इन सारी बातों के होते हुए भी आप यह कहते हैं कि हम पशुपालन को बहुत मदद दे रहे हैं। मैं नहीं जान सका कि आपका वह कौन सा प्लान है? मैं जानना चाहता हूं।

अब यह कहा गया कि हम लोगों को चीप इलेक्ट्रीसिटी देंगे। ठीक है, पिलानी, गंगानगर और राजगढ़ में दी जा रही है। इनको जो सस्ती बिजली दी जा रही है इससे मुझे कोई ईर्षा नहीं। मैं जब यह अर्ज करता

( श्री अनोपसिंह )

हूं कि बिजली नहीं पहुंचेगी तो उन स्थानों की क्या हालत होगी ? अगर आप उनको चीप इलेक्ट्रीसिटी नहीं देंगे तो वे लोग पानी को कूओं से नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि पानी की सतह को ऊपर नहीं उठाया जा सकता है। पानी को कूओं में से निकालने का क्या तरीका होगा। और जब तक पानी नहीं प्राप्त होगा तब तक उपज की कोस्ट बढ़ी हुई रहेगी और कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी। जब आप बिजली देंगे तो पाइपिंग सेट लगावेंगे और पानी उससे निकालेंगे और इससे उन लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा। मगर यह बात यहां पर नहीं आई है। ऐटोमिक रिएक्टर यहां आ जावेंगे। मैं यह कहूंगा कि आप यहां पर थर्मल ही लगा दें। आप कहते हैं कि हम ला रहे हैं तुम्हारे लिए। आपके यह कहने का यह तात्पर्य है कि हम तुम्हारे लिए ऐटोमिक रिएक्टर ला रहे हैं इसलिए आप इसके लिए हमसे कोई शिकायत न करें। मैं इसके लिए दो शब्द अर्ज करूंगा :

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन
खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक

**श्री उपाध्यक्ष** : मुकर्रर....

**श्री अनोपसिंह** : यह तूर का जलवा है हर बार नहीं होगा।

आपको खबर होते समय तक तो हम खतम हो जावेंगे। आपका मतलब यह है कि जब तक आपका एटोमिक रिएक्टर न आवे तब तक हम थर्मल पॉवर की भी बात आपसे न करें, हम आपसे ऐसी बात न करें कि आप हमको चीप इलेक्ट्रीसिटी दें।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

इर्रिगेशन स्कीम, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जावें। यह सब बातें हैं........

**श्री उपाध्यक्ष** : अगर आप चाहें तो एक माननीय सदस्य को समय मिल सकता है।

**श्री अनोपसिंह** : आपकी इनायत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपना सहयोग प्रदान करें तो मिल सकता है।

**श्री अनोपसिंह** : आपने मेरे को फर्माया ? मैं जल्दी ही कर रहा हूं। एन्टी-करप्शन के बारे में हमारे यहां कितने केसेज़ डिसाइड हुए, कितने केसेज़ ड्रॉप हुए। कितनों को बाकायदा जांच की गई और उनको सजा दी ? मुझे पता नहीं पड़ता कि हमारे यहां पर जो ऑफिशियल सदस्य हैं, जो यहां बैठे रहते हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि ऑफिशियल गैलरी के विषय पर कोई संबोधन नहीं किया जावे।

**श्री अनोपसिंह** : मैं समझता हूँ। हमारे यहां एन्टीकरप्शन नाम की चीज़ थी, उसका क्या हुआ ? इतना भारी हल्ला होता है; करप्शन है, भ्रष्टाचार है, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट रहता है और उस पर लाखों रुपया खर्च होता है, उसका क्या हुआ। उसने कितने केसेज़ निकाले। उसका कोई पता नहीं। इसलिए मैं इस पर इतना ही कह कर आगे बढ़ता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आगे बढ़ने की कहां गुंजायश है ? समय खत्म हो रहा है ।

**श्री अनोपसिंह :** आप आधा घंटा और दे दें ।

**श्री उपाध्यक्ष :** यह मेरी सीमा में नहीं है ।

**श्री अनोपसिंह :** एक चीज़ और कहूंगा । बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी सर्विसेज़ पर डिपेन्ड करती हैं । अगर ऐसा है तो हमें सर्विसेज़ में फैले हुए डिसूसेटिस्फेक्शन को हटाना चाहिए । इसके लिए कोई भी कारण हो सकता है । पेट का कारण हो सकता है, इन्टीग्रेशन में हुई अनियमितता का हो सकता है । वह पहले वहां कुछ था और यहां कुछ कर दिया हो । इस तरह से उनमें डिस्कन्टेन्ट हो, जो मैं देखता हूं । ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं ।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

( कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर )

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य अपना भाषण अभी आरम्भ रखे हुए हैं ।

**श्री अनोपसिंह :** इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर एफिशियेन्सी सर्विसेज़ में लानी है तो उनके इस डिस्कन्टेन्ट को निकाला जावे । इसका राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई मैन्शन नहीं । आज कई बातें कहनी होते हुए भी समय की कमी के कारण नहीं कह सकूंगा क्योंकि समय हो चुका है और मैं चाहूंगा कि इस तरह जो भाषण दिया गया है उसमें मेरा धन्यवाद देने की किसी तरह से मंशा नहीं है ।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा के माइक को नीचा करने में देरी के कारण )

**श्री उपाध्यक्ष :** आपने एक मिनट का अपव्यय कर दिया है ।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उस पर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करती हूं । चूंकि समय बहुत थोड़ा है इसलिये मैं यह कोशिश करूंगी कि मेरी बातें जो मैं कहना चाहती हूं उनको पोइन्टों में ही यहां पर रखूं और डिटेल्स में न जाऊं ।

विकेन्द्रीकरण से आम जनता में, राजस्थान के जन-जीवन में जागृति उत्पन्न हुई है और यदि देखा जावे तो सोचने और विचार करने के हर दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है और यह परिवर्तन ऐसा है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने लगे हैं, अपनत्व को पहचानने लगे हैं और हर योजना में अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिये उत्सुक हो रहे हैं और पूरा पूरा जन सहयोग मिल रहा है ।

इस विकेन्द्रीकरण के द्वारा इनिशियेटिव लेने की पॉवर पंचायत को मिली है उनसे उन लोगों में आत्म विश्वास और निष्ठा और जिम्मेदारी की शक्ति उत्पन्न हुई है । विकास योजना में विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है और हम देखते हैं

( श्रीमती प्रभा मिश्रा )

कि कोई कारण नहीं आता जिससे कि विकास की योजना आगे न बढ़ सके। हम देखते हैं कि अजमेर की पंचायतों के लिये . .

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बार बार घड़ी की तरफ देखती हैं। आपने मेरी चिंता का अनुभव कर लिया है।

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : पंचायत समिति, अजमेर को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वह किस तरह से अपने विकास की योजना को पूरा करने में लगी हैं। वे यह चाहती हैं कि किस तरह से वे इस कार्य में आगे बढ़ें। आज बजट में पैसा अलॉट हो गया मगर फिर भी हम कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं। मगर जब वे यह देखते हैं कि योजना को पूरा करना हमारा काम है, वे देखते हैं कि पैसा उनके पास आना चाहिये, इसके लिए वे घूमते हैं। इससे यह पता चलता हैं कि लोगबाग किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने लगे हैं। यह एक शुभ लक्षण है। यदि कुछ पंचायतें अच्छा काम करें अथवा उनमें गड़बड़ी हो उस हालत में पूरी योजना को बहिष्कृत नहीं कर सकते हैं। किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि कहीं कहीं बी. डी. ओ. अपनी इच्छा के मुताबिक ही काम करा लेता है। किसी माननीय सदस्य के मुख से ऐसी बात सुनकर आश्चर्य होता है। माननीय सदस्य भी उसके मेम्बर हैं, वोटिंग का अधिकार न हो, लेकिन उन बातों को ठीक करने में वे सहयोग दे सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं, उन हाथों से जो उन पर हावी होना चाहते हैं। यह हमारी ही कमजोरी है कि यथा स्थान जाकर मार्गदर्शन नहीं कर पाते।

(२ म० प०)

कई सदस्यों ने यह भी कहा कि पंचायतों के सदस्य हैं उनकी क्षमता नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है और उनके हाथों में यह कार्य-भार दे दिया गया। मेरा नम्र निवेदन है कि जब मनुष्य पर जिम्मेदारी नहीं आती है तो वह जिम्मेदार नहीं बन सकता है। जब तक मनुष्य पानी में नहीं कूदता है तब तक तैरना नहीं सीख सकता है। यदि गिर पड़ने के डर से ही चलना प्रारम्भ न करें तो यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। यदि दो चार पंचायतों में कहीं गड़बड़ी है तो वे नगण्य हैं, और इससे सारी योजना बुरी नहीं कही जा सकती है। राजस्थान आज ऐसी स्थिति में है कि वह मार्ग दर्शन दे सकता है, आदेश दे सकता है। इसके साथ साथ राजस्थान की जनता की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

कृषि, पशु-पालन, सहकारिता, सिंचाई-हर एक डिपार्टमेंट के जरिये से गांवों में क्या प्रगति हो रही है इसको हम देख सकते हैं। आलोचना की दृष्टि से नहीं, किन्तु यदि खुले दिमाग से देखें तो हर गांव में कुछ प्रगति दिखाई देती है और उसको नजरअन्दाज़ नहीं कर सकते हैं। यह कह देना कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो यह अतिशयोक्ति है। एनीमल हस्बेन्डरी में ही देखा जाय तो ऑल इन्डिया कम्पीटिशन में राजस्थान की तीसरी पोज़िशन आयी है। इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं।

राज्यपाल महोदय ने गांवों के विकास के साथ साथ शहरों के विकास की ओर भी

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

संकेत किया है और इस स्थिति में यदि मैं अजमेर के फैक्ट्स रखूं तो अनुचित नहीं होगा। जैसे गांवों के विकास के लिए कृषि, सहकारिता और अन्य चीजें आवश्यक होती हैं उसी तरह से शहरों के विकास के लिए वहां के व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना और उनको आरक्षण देना ज्यादा आवश्यक है। अजमेर की तरफ देखा जाय तो म्युनिसिपल एक्ट के द्वारा लगाये गये टैक्स इतने जबर-दस्त हैं कि वहां के वाणिज्य और व्यवसाय को हानि पहुंच रही है। अजमेर के रहने वाले इन्डस्ट्रियलिस्ट आसपास के गांवों में गो डाउन बनाते हैं और वहां से माल लाते हैं। ओक्ट्रॉय ज्यादा होने से आसपास की इन्डस्ट्रीज़ वहां से शिफ्ट होने की कोशिश में हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं अब अधिक समय नहीं दे सकता हूं। सरकार की ओर से उत्तर प्रारम्भ होगा।

**श्री मदनसिंह** (दांताराम गढ़) : मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको मैं दो–तीन मिनिट में ही प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : बिज़नस एडवाइज़री कमेटी ने जो आदेश दे दिया है उसको बदलने की मुझमें क्षमता नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सिलसिले में इस सदन में चल रही तीन दिनों की बहस को काफी गौर से मैंने सुना। जो धन्यवाद का प्रस्ताव नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया उसके समर्थन में इस सदन के माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं और विरोध में भी कुछ बातें, माननीय सदस्यो ने कहीं। इन विरोधी पक्ष की बातों और समर्थन में कही गई बातों और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो बातें, सरकार की रीति–नीतियों को प्रतिपादनक रते हुए कहीं, अगर हम पिछले साल जो काम हुए हैं उनको साथ जोड़ कर एक साथ देखें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति को, जो राजस्थान में अपने खुले दिमाग से चलते हैं, खुली आंखों से चलते हैं, वे निश्चित तौर पर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह भाषण, जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आखिरी भाषण है, उसमें अगर गंभीरता से डिटेल्स में जाकर देखें . . .

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : आखिरी नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : पांचवां साल खत्म हो जायगा।

**श्री बी० एन० जोशी** (बांदीकुई) : खत्म होगा जब कि ३१ मार्च से पहले ही भाषण हो जायगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उनमें जो बातें कही गई हैं और जो बातें हुई उन सारी बातों का लेखा–जोखा एक साथ करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०५ करोड़ का खर्चा था, राजस्थान केनाल को छोड़ कर, उसमें से तीन साल के अन्त तक करीब ७२

श्री नाथूराम मिर्धा )

करोड़ रुपया उन योजनाओं पर खर्च कर चुके हैं और वह सारा खर्चा सरकार के भिन्न भिन्न विभागों द्वारा किया गया है, निश्चित तौर से लोगों को राहत मिली है और उनको लाभ पहुंचा है ।

राजस्थान के जनतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण को अभी चार महीने ही हुए हैं और नजदीक से जाकर अभी थोड़े दिनों पहले सारे मंत्रीमंडल के सदस्य साथियों ने कि किस तरह से काम काज हो रहा है और क्या असर उसका जनता में, कोशिश की है और उनको देखने से यह निश्चित तौर पर इंगित होता है कि हमारा कदम सही रास्ते पर जा रहा है और राजस्थान की जनता का जन योजनाओं के जरिये से लोगों के जीवन स्तर को उठाने की जो बात है, उत्पादन देश का बढ़ने पर हो सकता है, इन बातों को देखें और जो एचीवमेंट्स हुए हैं उनको भी देखें तो निश्चित तौर पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि निरन्तर हम आगे बढ़ रहे हैं । उन कामों के सम्बन्ध में खास तौर पर इस सदन के माननीय सदस्यों ने कुछ कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । उनको गौर से सुना और उनका मुफस्सिल में जवाब थोड़ी देर में दूंगा । मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस भाषण को इस दृष्टि से देखा जाय कि राजस्थान के लिये, आगे आने वाले वर्ष में राजस्थान की सरकार और राजस्थान के लोग मिल जुल कर ये काम करना चाहते हैं । भाषण में यही बातें कही गई हैं कि हम मिलजुल कर काम करने से कैसे आगे बढ़ सकते हैं । उन बातों की ओर यह इशारा है । माननीय सदस्य जिन्होंने इस भाषण के समर्थन में या विरोध में कुछ नहीं कहा है, वे सारी बातें जो इस भाषण में कही गई हैं उनको स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि वे सही हैं । लेकिन उन बातों पर जिनके बारे में टीका टिप्पणी की गई हैं अलग अलग विभागों के मंत्री कहेंगे ।

उन्हीं मुद्दों के बारे में निवेदन करूंगा जो कि मेरे विभाग से सम्बन्धित हैं, मेरी देख-रेखके विभागों के विरोध में कहे गये है। फूड प्रोडक्शन और फूड डिस्ट्रिब्यूशन का यह काम मेरे पास अभी नया आया है । एक काम पहले तीन वर्ष से था और एक यह नया काम आया है ।

फूड प्रोडक्शन के बारे में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ये फूड प्रोडक्शन के जो आंकड़े बताये गये हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारा फूड प्रोडक्शन जो आठ लाख टन का था वह जैसा कि अब कहा गया है वह प्रोडक्शन १२ लाख टन तक बढ़ जायगा । यह बात किस आधार पर कही गई, इसके बारे में उन्होंने प्रोग्रेस लेटेस्ट प्लान का है उसके पेज ४ का हवाला देते हुए कहा था इसमें जो आंकड़े दिये हुए हैं वे सीरियल्स के हैं, रबी के कितने; इस तरह से अलग अलग साल के आंकड़े हैं इन आंकड़ों की तरफ सदन का ध्यान खींचते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से १२ लाख टन की इन्क्रीज़ कैसे हो जायगी ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इसका स्पष्टीकरण डिटेल्स में करना चाहूंगा । वे इस बात को समझ लें कि आठ लाख टन का हमारा

# Page No.67



( श्री नाथूराम मिर्धा )

टार्गेट था वह १२ लाख टन कैसे हो जायगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टार्गेट ८ लाख टन था उसका डिस्ट्रिब्यूशन इस प्रकार का था :

Minor Irrigation-. 8.3 lacs

Land Development. 24

Manures Fertilisers 9 lac.

Improvsd seed. 20

Improved Agr. practice 1.52 lacs.

इसका एक आधार है वह यह है कि एक टन पर मेज़र इर्रिगेशन द्वारा जो इन्क्रीज़ मानी हैं २० टन है लैन्ड डेवलपमेन्ट से १. १, मेन्योर्ड फर्टीलाइजर्स से १. १. ४, इम्प्रूव्ड एग्रीकलचर प्रेक्टिसेज़ १. ५. टन; इनका बेसिस और इनका जो आधार है वह जो हमें विभागों के जरिये मिलता है उनके हिसाब से प्रोडक्शन टार्गेट बनाया गया है । इसके एचीवमेन्ट के तीन साल के फिगर्स उपलब्ध हैं। इस साल के फिगर्स और आयन्दा साल के फिगर्स का अनुमान करके चलते हैं तो यह बात हमने मानी है कि मेजर इर्रिगेशन में जो एचीवमेन्ट हमने माना है वहां शोर्ट फाल है १. १. का क्योंकि चंबल और भाखरा का जो इर्रिगेशन है वह समय पर खत्म नहीं हो सका, उसकी वजह से हम इतनी शोर्टफाल मानकर चलते हैं कि वह १. ४. है। माइनर इर्रिगेशन के ८३. था उसमें भी हम शोर्टफाल मानते हैं वह ७६. होगा। लैन्ड डवेलपमेन्ट की वज़ह से २४१. टन फिगर्स मान कर चले थे, उसकी बजाय वह होगा ५७२ लाख टन। इतने—लम्बे चौड़े वेरिएशन्स इस प्रकार से होगा। इस बारे में मैं डिटेल्स में कहना चाहूंगा। इसी पुस्तिका के अन्दर कुछ आंकड़े दिये हुए हैं पेज एल. एक्स. एल. इसको आप देखें सिरियल्स की प्रोडक्शन, क्वान्टिटी आदि के फिगर्स एल. एक्स. एक्स. आई. एक्स. इस पेज पर दिये हुए हैं, कितनी एकड़ लैन्ड कल्टीवेशन में आई है इसमें रबी खरीफ आदि के प्लेसेज़ आदि के सीरियल्स भी इन्क्लुडेड हैं। इनको अगर देखें यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के फिगर्स है उसके खत्म होने तक और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शुरूआत तक इयर टू इयर का एवरेज लेते हैं तो वह २०३ लाख एकड़ के करीब आता है और वे फिगर्स आज दिन तक यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तीन साल पूरे होने तक के लें, उन एकड़ों का हिसाब २५२ लाख एकड़ आता है। इनका डिफरेन्स निकालें तो करीब ५१ लाख एकड़ के करीब डिफरेन्स आता है। इसका मतलब यह हुआ कि ५१ लाख एकड़ जमीन पिछले तीन वर्षों में ज्यादा कल्टीवेशन में आई है, उसमें सब तरफ की जमीन है। इसमें नौ-तोड जमीन भी शामिल है, वह भी जमीन है जो नई नई अलॉट की गई भूमिहीनों को वह भी जमीन जोत में आई है। इसका मुख्य कारण मैं समझता हूं, हमारे सिरियल्स की कीमतें हैं। सिरियल्स की प्राइस आज अच्छी मिलती है। मार्जिनल लैन्ड जिसको आम तौर पर किसान अच्छी जमीन बिल्कुल नहीं होती है तब किसान उसको जोतता है उसको जोतने का आधार यह है कि जो कुछ पैदा होता है उस पर जो लागत लगती है उसको मीट आउट करके भी उसको उसमें फायदा रहता है। इन सारे फिगर्स को जो हमारे

( श्री नाथूराम मिर्धा )

सामने हैं उन फिगर्स से वेरीफाई करते हैं तो करीब ५१ लाख एकड़ जमीन हमने ज्यादा काश्त की है। इन ५० लाख एकड़ के फिगर्स को भी हम पूरा मानते नहीं। मान लीजिये आज यह ५१ लाख एकड़ है। दो साल के बाद में मार्जिनल प्राइसेज जो मिल रहे हैं उससे यदि कम हो जाय तो हम ४१ लाख एकड़ जमीन पर खेती होगी यह मान-कर चलते हैं और इसी को हम आयन्दा पांच वर्ष का आधार मानकर चलते हैं कि इतनी जमीन कल्टीवेशन में रहेगी इस ४१ लाख एकड़ से नीचे फिगर्स जा नहीं सकते। इस वजह से ८ लाख टन का जो उत्पादन माना था वह ज्यादा फिगर्स बढ़ जाते हैं। इस तरह ४१ लाख एकड़ में परमानेन्टली कल्टीवेशन रहता है और उसी को हम मानकर चलते हैं। तो जहां वह ५७२ लाख टन हुआ उस प्रकार से टोटल ११. ६७ लाख टन के करीब होगा करीब १२ लाख टन की बढ़ोत्तरी सीरि-यल्स के बारे में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक होगी।

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : मैंने जो पोइन्ट रेज़ किये थे। आपने बताया, due to new land developed and land brought under irrigation etc. और मैंने जो पॉइन्ट आउट किया था वह यह है कि आपने अपने प्लान फ्रेम में एक फिगर दिया है, in a particular year for the estimated production.. और यह जो रिकॉर्ड, जिसको आपने अब पढ़ कर सुनाया, उसमें दूसरे फिगर्स दिये। तो मेरा....

**श्री नाथूराम मिर्धा** : फिगर्स कोई दूसरे नहीं हैं। अगर एक भी दूसरे बता देंगे तो मैं मान लूंगा।

**श्री पी० के० चौधरी** : आप सुन लीजिये। प्लान फ्रेम में दिया It is quite different आप बतावें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उस दिन बताया था मैंने। मैंने डिस्पेरिटी बताई थी।

**श्री पी. के. चौधरी** : When we get Government publication giving different production then how are we going to know the actual Govt. figures. दूसरी बात आपकी इसमें दी हुई है। फिगर it is actual production और आप जो बता रहे हैं ८ लाख का that is your notional productivity.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : प्लान फ्रेम, बेशक आप उसकी बात कर रहे हैं। कल मैंने प्लान फ्रेम में भी पढ़ा। उसमें प्रोड-क्शन की बात कही है। उसके फिगर्स को भी मैंने देखा है। वे ही हैं जो इसमें दिये हुये हैं।

**श्री पी. के. चौधरी** : पचास लाख टन दिये हुए हैं उसमें और इसमें ३५ ही हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : एस्टीमेट है। यह एस्टीमेट तो वेराइ कर सकता है। मैं एक्चुअल और मिनिमम से मिनिमम प्रोड-क्शन की बात कर रहा हूं। बेशक इसको हम बेसिक मानते हैं। एस्टीमेट तो ५४ लाख मन तक हो सकता है, पर I am taking only half average. जिसको बेसिक मानकर चल सकते हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट अगर हो, कम बरसात हो, मार्जिनल फ्लो उस स्थिति में भी जो कम से कम हो सकता है वह मैं कह रहा

( श्री नाथूराम मिर्धा )

हूं। वह तो जैसा आप कह रहे हैं और अधिक उम्मीद करते हैं अगर अच्छा सीज़न रहा और यही प्रोडक्शन की रफ्तार रही तो प्रोडक्शन more than 54 lacs से भी अधिक हो सकती है।

**श्री पी. के. चौधरी :** In the first year 58-59 the production figures are given as 53, while given in the Plan frame is 58 lacs.

**श्री नाथूराम मिर्धा :** This is no disparity. I am talking of disparity. It is not 38 lacs. Actual production is 55 but the average for the 3 years comes to 38 lacs, average works at about 36 lac tons.

**श्री पी. के. चौधरी :** प्लान फ्रेम में बेसिक एवरेज दिया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा:** Average of these five years.

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : इसको तो आप ४८ लाख टन कहते हैं। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह तो डिस्कशन हो गया।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मैं समझा देता हूं, ताकि अगर समझ में एक बार ठीक तरह से आ जावे तो बार बार फिर दिक्कत नहीं करेंगे। एक बार में अगर समझ में आ जावे तो अच्छा है।

**श्री जनार्दनराय नागर :** They should not interrupt, I think.

**श्री उपाध्यक्ष :** In future I will not allow such sort of interruptions.

**श्री नाथूराम मिर्धा :** प्रोडक्शन के पॉइन्ट पर हर एक माननीय सदस्य जो कह देते हैं कि ये फिगर्स यों दिए हुए हैं, यह कैसे दिये गये, यह कैसे हो गया, तो इन फिगर्स को तो समझने की कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। इनको इसलिये इतना कह कर सैटिसफाई करना चाहता हूं कि आगे फिर कन्ट्रोवरसी न हो और हमेशा के लिये यह चीज़ समझ में आ जावे। मैं एक ही साल को बेस नहीं मान कर चलता। तीन साल के एवरेज प्रोडक्शन को बेस मान कर चलना चाहता हूँ। तो इससे आगे ऑवर एण्ड एबव ही हो सकता है। इस एवरेज को ध्यान में रखते हुए सैकिन्ड प्लान के एण्ड तक जिस फिगर को मैं बेसिक मानता हूं वह ४८ लाख टन है। वह १२ लाख टन दूसरी योजना का इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन प्लान है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का प्रोडक्शन डेफीनिटली दूसरी योजना में ८ लाख टन करने की थी। इन वजूहातों की वजह से जिसमें कितना किस वजूहात का हिस्सा है, जिसमें जनता का कितना खुद का उत्साह रहा, शॉर्ट फाल कितनी रही, बरसात कैसी रही, इन सब को देखते हुए जो टोटल प्रोडक्शन बनता है उसकी तस्वीर मैंने सदन के सामने रक्खी है।

मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में किसी भी माननीय सदस्य को अगर और भी समझने की बात रह गई हो तो मेरे साथ वे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं और इस बारे में उनको विश्वास और भरोसा पैदा हो ऐसी बात कह सकता हूं।

( श्री नाथूराम मिर्धा )

इसके बाद में फूड डिस्ट्रिब्यूशन की भी बात साथ में ले लेता हूं। कुछ ने कहा कि राजस्थान में ८ लाख टन ज्यादा पैदा करने की बात थी और १२ लाख टन ज्यादा हो रहा है, तो फिर प्राइसेज़ क्यों नहीं नीचे जा रहे हैं। इसके आधार पर लोगों के दिमाग में सन्तोष नहीं होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की खाद्य नीति जो है उससे राजस्थान की कोई अलग नहीं है। वह सारे देश की नीति-रीति के साथ है। सारे देश की रीति नीति के सवाल के साथ राजस्थान का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। अब राजस्थान टार्गेट से चाहे अधिक भी पैदा करे पर देश का टोटल प्रोडक्शन कम है और वह टोटल प्रोडक्शन राजस्थान के प्रोडक्शन के साथ इस तरह से जुड़ा है। जब देश में पहले जोन्स बने थे राजस्थान भी दूसरे जोन के साथ जुड़ा हुआ था। इससे इसकी नकेल दूसरे प्रान्त के साथ में थी। इसी पर प्राइसेज़ गवर्न की जाती थीं। पर अब व्हीट का अलग जोन बन गया है राजस्थान का अपना। दूसरे धानों में तो सारे देश का एक जोन है। खुला व्यापार है इनका। वीट के लिये पिछले साल अलग जोन राजस्थान का बना। इस साल भी यह अलग ही एक जोन रहेगा। राजस्थान का गेहूं राजस्थान में ही रहेगा, यहीं बिकेगा। राजस्थान से बाहर नहीं जावेगा।

(हीयर–हीयर)

इस वजह से हमारे यहां की व्हीट की प्राइसेज़ कैसे गवर्न होती हैं टोटल प्रोडक्शन को देखते हुए, यह बहुत सी बातों पर निर्भर है। इस साल सिवाय बारानी इलाके में जहां बरसात पर फसल डिपेन्ड करती है वहां प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि जो एक या दो बरसातें इस फसल को आगे बढ़ाने वाली होती हैं उनका अभाव रहा है। इसलिये निश्चित रूप से बारानी में पैदावार कम होगी। पर वह एरिया जो नहरी है जहां पानी काफी मिलता है वहां फसल ठीक होगी। इस पर निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इस साल का प्रोडक्शन भी पिछले साल से थोड़ा कम हो सकता है। अब प्राइस किस तरह गवर्न करेगी, यह आगे देखने की बात है। पर इस बारे में थोड़े दिनों निश्चित तौर से प्रोक्योरमेन्ट का तरीका तय करेगी सरकार, भारत सरकार की सलाह से। फिर इसमें एक बात यह भी है कि कन्ज्यूमर कितना प्राइस डाउन चाहता है और प्रोड्यूसर क्या लेना चाहता है, यह भी एक कन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। एक तरह प्रोड्यूसर यह चाहता है कि कीमतें एक अमुक लेवल पर रहे तो दूसरी तरफ कन्ज्यूमर नीचे रखना चाहता है। यह सारा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसान के लिये क्या प्रोडक्शन की रीज़नेबल प्राइस होगी और कन्ज्यूमर के लिये किस तरह की प्राइस ठीक होगी; इस दिशा में कोई हल निकालने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है। यह प्रश्न देशव्यापी भी है और इसमें राजस्थान भी रहेगा। मैं यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि प्रोडक्शन ज्यादा है, डिस्ट्रिब्यूशन ठीक रहेगा; इस बारे में आवश्यक कदम जो उठाने हैं वे सरकार ने सब उठाये हैं अपने यहां का स्टाक लेकर या बाहर से लेकर पहले भी उठाया है और आगे भी निरन्तर इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को हम करेंगे।

इसके बाद में अब दूसरे विभाग पर

( श्री नाथूराम मिर्धा )

आता हूं। वह विभाग अभी तो वैसे मेरे पास नहीं है यातायात का विभाग। पर पहले था। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया। आगे भी एक प्रश्न उन्होंने किया था।

**श्री दलपतसिंह** (आबू) : आने वाले मिनिस्टर इसका जवाब दे देंगे।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : डील चूंकि इसको मैंने किया है इसलिये मैं ही जवाब दूंगा। यह मामला भी उसी समय का है।

**श्री चन्दमल वैद** ( सरदार शहर ) : Please forget that.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इस मामले पर माननीय सदस्यों को बहुत गलतफहमी में डाला जाता है, उसका मैं स्पष्टीकरण कर देना उचित समझता हूं।

श्रीमाधोपुर से आने वालों ने कहा है, उसके लिये कह देना उचित समझता हूं। उन्होंने एक सवाल स्टेटमेन्ट की एक कापी लेकर उठाया और उसका एक पैरेग्राफ पढ़ा जो क्वश्चन कभी उठा था। उसमें मेरे लिये कह था कि he is corrupt etc. etc. I know the actual position- It is not like that. मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, एक शंकरलाल नामक व्यक्ति ने सिविल सूट यहां सैशन कोर्ट में दायर किया था उसका एक पैराग्राफ यहां पढ़कर सुनाया था, जो मैंने अभी कहा। उसमें यह था कि असेम्बली के अन्दर जो चर्चाएं हुई हैं और उनके बारे में अखबारों में जो लिखा है उनकी बुनियाद पर उसने कहा है कि यातायात मन्त्री ईमानदार नहीं हैं, बेईमान हैं। ऐसा पैराग्राफ में लिखा हुआ था। अब असेम्बली में कहने वाले माननीय सदस्य तो जो चाहेंगे कहेंगे और उनकी बातों का जिक्र अखबार वाले भी लिखेंगे ही और वह अगर बेस बन जाता है सूट में लिखने के लिए ...

**श्री भैरोंसिंह** : But that is also not the correct version. The present Chairman has got the ill repute in transport services and is induging in corrupt practices. इसमें असेम्बली का रेफेरेन्स नहीं आया। Assembly reference is the second reference.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : पहली बात जो कही है, असेम्बली में भाषण हुए हैं और उनकी अखबारों में जो खबरें निकली हैं....

**श्री भैरोंसिंह** : This is first part.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह तो रिपीट के कारण किया है, माननीय सदस्य कहते हैं और अखबारों में वह छपता है उसी का तो कहता हूं। मैं उसकी कोई सफाई नहीं देना चाहता। मैं तो फैक्ट पर बात कह रहा हूं और उस पर उन्होंने यह कहा है। एक रूट है अजमेर-भीलवाड़ा। उस पर आर. टी. ओ. जयपुर और उदयपुर ने रेसीप्रोकल छः छः बसों के परमिट देने तय किये। छः वे इधर से दें और छः वे उधर से दें। इस पर उदयपुर वालों ने छः परमिट ग्रान्ट कर दिये।

इन ६ आदमियों को परमिट मिल गए तो कुछ लोग जिनका परमिट रिजेक्ट हो गया उन्होंने अपील फाइल की।

( श्री नाथूराम मिर्धा )

इसके बाद में जो २५-२६ आदमी थे उन्होंने यह मांग की कि इनको जो परमिट मिले हैं वे सही तरीके से नहीं मिले हैं और यह इनको न मिलकर हमको मिलने चाहिये। यह एस० टी० ए० के सामने पेंन्डिंग था, तो यह ६ आदमी जिनको परमिट मिले यह इस बात की कोशिश में थे कि यह मामला किसी तरह से एस० टी० ए० के सामने नहीं आये। समय समय पर यह हाई कोर्ट में गए और उन्होंने रिट फाइल किया और रिट का फैसला यह हुआ, वह रिट खारिज हो गई और सेशन्स कोर्ट में दावा पेश किया। तो गवर्नमेंट के नुमाइन्दों को बिना सुने हुए उनको एक्सपार्टी स्टे आॅर्डर ग्रान्ट हो गया और जब यह गवर्नमेंट के नोटिस में बात आई तो गवर्नमेंट ने अपने वकील को यह कहा कि आपने इसके बारे में पैरवी क्यों नहीं की और अब पैरवी करो। इस दौरान में यह मामला चल रहा था उस समय उस पार्टी ने इस रिट को विथड्रॉ कर लिया और उसके लिए यह कहा जाता है कि एस० टी० ए० के चेयरमैन ने या सरकार ने कुछ प्रेशर डाल कर या उसको प्रलोभन देकर यह किया है कि उससे रिट को विथड्रॉ करवा लिया और उनको यह प्रलोभन दिया गया कि उसके ६ केसेज़ पेन्डिंग थे....

**श्री भैरोंसिंह** : यह नहीं कहा। उन छः व्यक्तियों के खिलाफ एस० टी० ए० के अन्दर केसेज़ चल रहे थे।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ऐसा कहा हो तो भी ठीक है। जो वह ६ थे वह तो रेस्पोंडेन्ट थे और जो दूसरे अपीलेन्ट थे, वह जिन्होंने परमिट मांगे थे। फैसला यह चाहते थे.......

**श्री भैरोंसिंह** : वह चाहते थे कि इन छः व्यक्तियों के परमिट कैन्सिल किये जायें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : ऐसा नहीं चाह सकते। ऐसा उनको राइट नहीं हो सकता।

**श्री भैरोंसिंह** : उनकी शिकायत थी कि क्योंकि इन ६ को परमिट दिये गये इसलिए इन २५ को नहीं दिये जायें। उन्होंने कहा कि अगर इनको नहीं दिये जाते हैं तो उनके भी कैन्सिल किये जायें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : पर शंकरलाल तो यही चाहता था कि परमिट मुझे ग्रान्ट किया जाये, और दूसरों को नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : यह उनमें से नहीं है जिन्होंने कि अपील की।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इन्होंने सूट इसलिए किया था कि मेरे जो ६ आदमियों को परमिट मिला है वह ६ओं की गाड़ियां तो चलती रहें और दूसरों की गाड़ियां न आयें।

**श्री भैरोंसिंह** : उनका कहना यह था कि हमारे खिलाफ जो २५ आदमियों ने एस० टी० ए० के सामने अपील कर रखी है अगर उनकी अपील मन्जूर हो गई तो यह हमारे साथ अन्याय होगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : एस० टी० ए० का फैसला हुआ कि परमिट इस रूट पर बढ़ेंगे वह चाहते थे कि इस रूट पर परमिट नहीं बढ़ें और ६ की ही गाड़ियां चलती रहें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि फैसला उसके खिलाफ

# Page No.73



( श्री नाथूराम मिर्धा )

इसलिए हुआ कि उस रूट पर ६ परमिट और बढ़े और ६ के बजाय १२ गाड़ियां हो गईं और इस वजह से जो रेमेडी चाहते थे कि कोई परमिट न बढ़ें वह उनके परमिट कैन्सिल करने की मांग दूसरों की तरफ से नहीं थी कि इनके कैन्सिल हों। यह मैं कह सकता हूं। ऐसा मामला एस० टी० ए० के सामने नहीं था और जब उसके खिलाफ फैसला हो गया तो कहा गया कि किसी तरह से शंकरलाल पर नाजायज दबाव देकर यह किया गया।........

**श्री भैरोंसिंह** : तो फिर केस को कन्टेस्ट क्यों नहीं किया गया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह तो उन्होंने सूट फाइल किया और फिर वह विड्रॉ कर लिया।

**श्री भैरोंसिंह** : तो फिर आप कॉस्ट क्लेम करते।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जब सूट ही विड्रॉ कर लिया तो फिर क्या है ? तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के कन्टेस्ट, एलीगेशन्स, जैसा कि पहले भी मैंने निवेदन किया था कि अगर हम उसकी वकालत करते फिरें तो फिर हम यहां काम करें या अदालतों के मुकदमों में पैरवी करते फिरें। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इस प्रकार के कामों में अपनी शक्ति का अपव्यय करूं। इसलिए मैं कहता था कि मैंने इसको ठीक नहीं समझा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य और उनके कुछ साथी, मैंने पहले भी कहा है कि वह जनसंघ की पार्टी से आने वाले माननीय सदस्य हैं और यह पार्टी वास्तव में एक राइटीज़ पार्टी है और एक तरह से सोचती है और वह अपना आधार केवल नुक्ताचीनी ही मानती है। इस पार्टी का हाल बिलकुल उस ह्वेल मछली की तरह है कि जब ह्वेल मछली का शिकार किया जाता है तो वह मछली अपने में से एक तरह का काला रंग छोड़ती है और शिकारी उसका शिकार करने के लिए उस काले रंग को पारकर के उस पर भाला मारता है और फिर वह मछली मरती है (करतल-ध्वनि) तो जन संघ को कांग्रेस रूपी शिकारी अपनी इन योजनाओं के जरिये जो लोगों को सब तरह का संतोष देते चले आये हैं; तो जनसंघ वाले तो सिर्फ यह मानते हैं कि हमारा फंक्शन आज केवल जनता में भाषण देने का रह गया है और वह यह सोचते हैं कि ट्रान्सपोर्ट के एक केस को इस तरह से रख कर जनता का बड़ा भारी कल्याण कर रहे हैं........

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : यह डिपार्टमेंट आपके यहां से निकल गया और उसका कल्याण हो गया।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह तो सदन के नेता का सवाल है कि वह मुझे क्या काम सौंपें। यह तो हम तय कर लेंगे कि हमको क्या करना है और कैसे कराना चाहिए। पर आपका जो काम है वह ह्वेल मछली वाला रह गया है और काली स्याही फेंकते

( श्री नाथूराम मिर्धा )

रहो और स्याही फेंकते फेंकते ही शिकार हो जाओगे तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करना चाह रहा था कि वह तो मामूली सी बात को किस तरह से धुंआ बनाते हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं है।

अब उन्होंने एक नई बात थोपी। एनीमल हस्बेन्डरी के ऊपर काफी जोर दिया इस बारे में कि इस विभाग के अध्यक्ष और खास तौर से दो मुद्दों को लेकर कहा। मैं इसके डिटेल्स में जाने के पहले कुछ भूमिका सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना आवश्यक समझता हूं। वह यह है कि एनीमल हस्बेन्डरी एक नया डिपार्टमेंट बना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे राजस्थान में पशुधन की तरक्की के लिए ३५ लाख रुपये का प्रोविज़न था और उसमें हम पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ २४ लाख रुपया ही खर्च कर पाये, अलग अलग योजनाओं के ऊपर और खर्च इस वजह से कम हो सका कि यह विभाग एग्रीकल्चर विभाग के साथ जुड़ा हुआ था। एक ही डाइरेक्टर होने के नाते एक डिप्टी डाइरेक्टर एनीमल हस्बेन्डरी का काम करते थे और वह इस काम को कितना तेजी से चला सके वे एचीवमेंट के आंकड़े हमारे सामने हैं। मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल की बात आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में करीब १६ लाख रुपये का प्रोविज़न एनीमल हस्बेन्डरी का था उसमें से पूरे साल में ४ लाख रुपया खर्च कर पाये। उसके बाद में दूसरे वर्ष के अन्दर डाइरेक्टर साहब ने कुछ काम शुरू किये और मैं यह कहता हूँ कि निश्चित रूप से इस विभाग ने विकास किया है। जब से हमारे मौजूदा डाइरेक्टर इस विभाग में आये और उन्होंने इस विभाग को अलग किया; वह स्कीम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नई तरह से लागू की गई, अगर उसके ऊपर डिटेल्स में कहूं तो........

**श्री श्रीभानसिंह** : आप तो खरीद की बात कर दो।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह भी आपके सामने रख दूंगा। इसलिए मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इस विभाग ने सही लगन से काम करना शुरू किया, जब से कि नये डाइरेक्टर ने इसके काम को संभाला। अब जो बातें उन्होंने कहीं, खास तौर से उन्हीं का मैं जिक्र करता हूं। एक मामला यह उठाया गया कि राजस्थान में एक शीप ब्रीडिंग फार्म और रिसर्च का स्टेशन है वहां पर गुरुदत्त नाम के व्यक्ति थे। वे ५६-५८ में इस फार्म के इन्चार्ज थे। ५६ के एण्ड की बात है कि जो भेड़ें वहां पर थीं वे चरने के लिए दौसा की तरफ गई थीं। वहां पर स्माल-पॉक्स की बिमारी उन भेडों में हुई। वह दो सौ, ढाई सौ का फ्लांक था, मगर उसमें ६०, ६५ वहां पर एकदम रोग से पीड़ित होकर मर गईं। वे भेड़ें जब चरचरा कर वापिस आईं तो गुरुदत्त नाम के व्यक्ति जो इन्चार्ज थे उनके सामने एक समस्या पैदा हुई कि इतनी तादाद में भेड़ें कैसे मर गईं, और अगर मर गईं तो कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को ध्यान में

# Page No.75



( श्री नाथूराम मिर्धा )

रखते हुए कुछ तरीके से पैसे इकट्ठे करके, उस समय कुछ लोगों की तनख्वाह वहां पर थी, तनख्वाह नहीं डी. ए. या टी ए. की रकम थी वह उन्होंने अपने पास में ले लिये और उनसे दस्तखत करवा लिये....

**श्री भैरोंसिंह** : Forgery in good Sense.

**श्री श्रीभानसिंह** : Forgery in good faith and not sense.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इसके अलावा जो भेड़ें मर गई थीं उनकी ऊन उतरवा कर बेचने से जो रुपये मिले और जो जानवर वहां फाटक में आते हैं उनसे इल्लीगल टैक्सेशन करके बहुत कुछ नई भेड़ें वहां रखीं।....

**श्री श्रीभानसिंह** : Without consulting the Finance Minister, you mean to say ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उनके एरिया में चले गये तो केटल पौन्ड में उनसे टैक्स वसूल करते थे। नई भेड़ें खरीदकर जो मर गई थीं उन भेड़ों की जगह उन्हें रिप्लेस कर दिया कि वे भेड़ें जिन्दा हैं। वे इन्फीरियर क्वालिटी की भेड़ें थीं। यह ऐसी बात उस समय नोटिस में आई थी जब कि शीप एन्ड वूल का महकमा इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट में था। वहां के डिप्टी डाइरेक्टर ने एन्क्वायरी की और उन्होंने अपने फाइन्डिग इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के पास भेजी। वह फाइल कई दिनों तक पड़ी रही। केस का पता नहीं लगा और कुछ कार्यवाही नहीं हुई।....

**श्री भैरोंसिंह** : अब तक नहीं मिली।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अब तो मिल गई। उस समय नहीं मिली थी। वहीं पड़ी रही। ५७–५८ की इन्क्वायरी की बात है।

**श्री भैरोंसिंह** : गायब कितने दिन तक रही।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : साल दो साल रही होगी। इसके बाद में मि. हलदिया रिसर्च स्टेशन के इन्चार्ज बने। उन्होंने इस मामले में काफी लिखा पढ़ी की और मामला एन्टी करप्शन में भेजा। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने जांच की और एन्टी करप्शन वालों ने जो फाइंडिंग भेजी कि इस प्रकार से रेकॉर्ड को दबा लिया और इतना रुपया जो दूसरों को देना चाहिए था नहीं दिया। इस तरह से उन्होंने ४०६ का सेक्शन लगा कर एडीशनल डी० एस० पी० ने एन्क्वायरी की और आई. जी. पी को लिख भेजा और गुरुदत्त के सुनने के लिए यह चीज़ लिखी....

**श्री भैरोंसिंह** : वह कब लिखा ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : दिसम्बर के एन्ड में लिखा था। गुरुदत्त ऑफिसर पंजाब गवर्नमेंट से डेपुटेशन पर था, तो गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा कि प्रोसीक्यूशन के लिए इजाजत देने की आवश्यकता है और इजाजत देकर जो कार्यवाही करने की आवश्यकता है की जाय।

उसके बाद में डाइरेक्टर को सदन में खेंचा जाय, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एन्टी करप्शन के जो डी वाई. एस. पी. ने एन्क्वायरी की उसमें उन्होंने लिखा है कि इस मामले में डाइरेक्टर ने

( श्री नाथूराम मिर्धा )

जो काम किया है वह यह किया है कि भेड़ें वहां खरीदी थीं उन भेड़ों का किलिंग किया जा रहा है। उस किलिंग के अन्दर डाइरेक्टर ने भेड़ों को बेचने के लिहाज़ से निकाल दिया या सब फार्म्स का जनरल तौर पर किलिंग किया गया तो किलिंग करने में जो प्रोसीज़र लिया है उसके लिए एक कमेटी थी। उस कमेटी के बजाय डाइरेक्टर साहब ने कर दिया। उसके अन्दर बेचने के अन्दर जल्दी की। डी. एस. पी. डाइरेक्टर साहब को इस काम का प्रोटेक्शन देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डी.एस.पी. की एन्क्वायरी रिपोर्ट को गवर्नमेंट कहां तक माने और क्या करे....

**श्री भैरोंसिंह** : आप मानें मत, लेकिन जो मैंने कहा वह सही है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आपने कहा उससे मैं डिनाई कहां करता हूं ? जितनी बात आपने कही उसको मैं मानता हूं। उसके बाद सरकार विचार कर रही है कि वास्तव में डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्ड्री ने जो काम किया है किलिंग का वह किस नीयत से किया है। अगर वह एक नीति से किया है जो कि जनरल किलिंग की और सारे फार्म्स में किया था, गायों के, भेड़ों के और बकरियों के, कि ऐसे यूज़लेस जानवरों को कहां तक फीड किया जाय, और अच्छे जानवर होने चाहिए, इम्प्रूव्ड ब्रीड के होने चाहिए, किस इरादे से किया है, और कितने प्रोटेक्शन की नियत से किया है, इस मामले पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। इस बारे में विभागीय तौर पर जांच करके पता लगायेंगे। अगर डाइरेक्टर साहब ने बचाने की नीयत से किया है, उस पर जो कुछ कार्यवाही होनी चाहिए वह की जायगी, नहीं होने की आवश्यकता होगी तो नहीं की जायगी।

**श्री भैरोंसिंह** : डी. एस. पी. की रिपोर्ट पर डाइरेक्टर साहब के खिलाफ प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है क्या, जिससे उनको सस्पेन्ड किया जाय या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय ?

**श्री श्रीभानसिंह** : Hand him over to the Police.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं नहीं मानता हूं।

**श्री भैरोंसिंह** : जो भी ऐसी गड़बड़ करते हैं उनको बचायेंगे। उनको क्यों नहीं पुलिस को हैण्ड ओवर किया गया ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उन्होंने किस इरादे से किया है; आया उनका इरादा खराब था या नहीं ?

**श्री भैरोंसिंह** : आप यह नहीं कह सकते हैं। जब कि एन्क्वायरी हो रही है तो आप अपनी ओपीनियन नहीं दे सकते हैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर !!

**श्री श्रीभानसिंह** : I think, let the Judicial Officer decide his good intentions.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सब जगह जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के डिसीज़न की जरूरत नहीं है। हम भी वहां बैठ कर देखते हैं। सारे मामले को देखेंगे, विचार करेंगे और जो सही दृष्टिकोण होगा और जो करने की बात होगी वह की जायगी। माननीय उपाध्यक्ष,

# Page No.77



(श्री नाथूराम मिर्धा)

यह मैंने जानकारी सदन के सामने रखी है।

दूसरा केस, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इन्टरफियर नहीं करें। दूसरा केस जो कि इन्स्ट्रूमेंट्स के पर्चेज़ज़ को लेकर इस सदन के सामने रखा गया उसमें खास तौर से दो-तीन मुद्दे हैं, उन पर मैं कहूंगा। जो टेन्डर इस खरीददारी के मामले में मांगे हैं उसमें २०-२५ हज़ार के इन्स्ट्रूमेंट्स के हैं....

**श्री भैरोंसिंह** : २०,०००) का नहीं, वहां पर १ लाख के खरीदे जायेंगे।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं आपकी जानकारी के लिए आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात तथ्यहीन है। वे २०,०००) के हैं और २०,०००) के खरीदे जायेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : बजट देख लें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उसमें ५०,०००) के वाउचर्स हैं। २५,०००) हॉस्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज़ के लिए है। इस तरह से १,००,०००) रु० होता है। हॉस्पिटल्स के इन्स्ट्रूमेन्ट्स के पिछले साल के बिल्स आउट-स्टैंडिंग हैं उनके पेमेन्ट में खर्च करेंगे। २०-२५ हजार इन्स्ट्रूमेंट्स के खरीदने के लिए रहेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : २०-२५ हजार के लिए भी वह लागू है। वह भी बियॉन्ड पॉवर्स हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : गवर्नमेंट की सेन्क्शन लेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : ली नहीं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : गवर्नमेंट की सेन्क्शन ली है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात है। उसमें एक लाख की खरीददारी की जाय। उसमें २०-२५ हजार के इन्स्ट्रूमेंट्स खरीदे जायेंगे और डिस्पेन्सरीज़ और हॉस्पिटल्स के लिए खरीदे जायेंगे।

दूसरी बात यह कही गई कि जिनसे चीजें खरीदी जा रही हैं वे बोगस फर्म्स हैं....

**श्री भैरोंसिंह** : यह नहीं कहा, बल्कि यह कहा कि टेन्डर्स देने वाली बोगस फर्म्स हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जिनसे खरीद रहे हैं उनके बारे में नहीं कहा क्या?

**श्री भैरोंसिंह** : टेन्डर देने वाली ऐसी फर्म्स हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : हमने कई फर्म्स को छोड़ दिया है....

**श्री भैरोंसिंह** : उनके बारे में सवाल नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब दूंगा....

**श्री भैरोंसिंह** : मैंने यह कहा कि कई बोगस फर्म्स ने टेन्डर्स दिये हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यदि बोगस फर्म्स ने टेन्डर्स दिये हैं तो वे कट गये हैं। यदि कोई विचार लें टेन्डर देना तो उसका इलाज दूसरा क्या है? आपको कुल जानकारी दे दूं कि ३१ फर्म्स ने टेन्डर दिये थे और

( श्री नाथूराम मिर्धा )

उन्होंने जो टेन्डर्स दिये हैं उनमें से जिन ग्राउन्ड्स पर बहुत से कट गये हैं ये करीब ५-६ कैटेगरीज़ में सारे कवर हो जाते हैं : They were not duly signed. Income Tax clearance certificate not received. In some tenders it was mentioned that packing charges will be borne by the Government unless the purchase is over one thousand. Rates were exclusive the ; ales Tax. इस प्रकार से जिनके अन्दर कमियें थीं उन सब टेन्डर्स को नामंजूर कर दिया उनमें से एक वह भी फर्म है जिसके इन्स्ट्रूमेंट्स इस सदन में माननीय सदस्य लाये थे और यह बतलाया कि इतने रुपयों में वह देने को तैयार है, उसको काट दिया और हाई रेट पर मंजूर किया, यह खास कहने की बात थी। उस फर्म का नाम शायद एशियन एण्ड कम्पनी था और उसके रिजेक्ट होने के कारण भी वन ऑफ दि एबव रीज़न्स है...

**श्री चन्दनमल वैद्य** ( सरदारशहर ) : आपने बताया कि कोई एक रीजन है । यह बताइये कि कौनसा रीजन है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : It was mentiond that freight and packing charges will be borne by the Government. unless purchase is over Rs.1 thousand, यह उनकी एक कंडीशन है ।

**श्री चन्दमल वैद्य** : यह रीज़न था, यह बता दीजिये ।

**श्री भैरोंसिंह** : और भी रीज़न्स हैं वे भी बता दीजिये ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : हर एक का रीज़न थोड़े ही देना है।....

**श्री श्रीभानसिंह** : Since you are replying, you should give reasons.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : Yes, I am giving you the reasons.

**श्री भैरोंसिंह** : This was the reason?

**श्री नाथराम मिर्धा** : No, No, one or two more.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मेरे पास अभी पूरी फायल नहीं है । ३ बातें उन्होंने लिखी थीं उनको मंजूर नहीं कर सकते, इसलिये उनका टेन्डर रिजेक्ट हुआ । अब वे जो चीजें यहां लेकर आये और सदन के सामने कहा कि ये इतनी कोस्टली हैं; इन चीज़ों की कोस्ट के बारे में मैं आपके ज़रिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

( इन्स्ट्रूमेन्ट्स बताते हुए )

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक एयर ब्लोवर है जिसको इन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया । इसकी अमाउन्ट उस फर्म ने २ रु० ५० पैसे कोट की थी और जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके बारे में यह बताया कि १३० रु० की चीज खरीद रहे हैं । एयर ब्लोवर पों-पों करता है इससे हवा भरते हैं और यह वाकई २ रु० ५० पैसे की चीज है, १३० रु० की जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है वह इलेक्ट्रिक मोटर मशीन है....

**श्री भैरोंसिंह** : यह भी बता दें :

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मन्त्री ) : He had his own say. Now let him finish his say.

**श्री उपाध्यक्ष** : आप एन्टरटेन मत करिये। इससे वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है और चेयर की स्थिति विषम हो जाती है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं बैठ जाऊं तब तो इसको एन्टरटेन करना माना जाय, लेकिन मैं तो लगातार बोलता जा रहा हूँ और मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं, आप मुलाहिजा फरमाइये १३० रुपये की यह मशीन है ( मशीन दिखाते हैं ) जिसका खटका लगाने से गर्म हवा आयेगी और दूसरी तरफ लगाने से ठंडी हवा आयेगी....

**श्री जनार्दनराय नागर** : Please don't point out like that.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह कोस्टली है। यह आर्टिफिशियल इनसेम्युनेशन के काम में आती है, आर्टिफिशियल रिजन को सुखाने के काम में आता है। आप खुद मुलाहिज़ा फरमाइये। माननीय सदस्य स्वयं काफी समझदार और अक्ल वाले हैं, वे भी विचार लें।

**श्री भैरोंसिंह** : पिछले साल यह चीज १ रु० ५ आना में खरीदी है....

**श्री उपाध्यक्ष**: ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !! एक्सप्लेनेशन का प्रश्न है तो मंत्रीजी के भाषण के बाद पूछ लीजिये।

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्ट्रपशन नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह जानना चाहता हूं, मंत्रीजी यह बतादें कि टेन्डर इन्वाइट किये तब उसमें यह मेन्शन किया था कि नहीं कि फलां स्पेसिफिकेशन की चीज़ चाहिये ?

**श्री भैरोंसिंह** : दूसरी बात, इसमें हवा सुखाने के लिये है, यह कोट की थी या नहीं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं अपने आपको इसके लिये एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ। जो काम एक्सपर्ट्स करते हैं उनको माननीय सदस्य करने लग जायेंगे तो यह अपने दायरे से दूर चला जायगा। आप क्यों इस झगड़े में पड़ते हैं। वे किस काम में लेते हैं यह न तो मैं जानता हूं और न आप जानते हैं। इसको एक्सपर्ट्स ही जानते हैं....

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !! I will be reluctant to allow any interruptions.

**श्री मुरलीधर व्यास** : एक सवाल आया था....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज़ !

**श्री मुरलीधर व्यास** : जांच करने के लिये...

**श्री उपाध्यक्ष**: ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !!

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : आप कहते हैं कि यह १३० रु० का है, लेकिन यह मेरे पास है इंगलिश मेक का है; जो ३०-३२ रुपये में मिलता है।

( सदन में अव्यवस्था )

**श्री नाथूराम मिर्धा** : असल में यह वह चीज़ है...

**श्री उपाध्यक्ष** : Which is this instrument ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : कुछ इन्स्ट्रूमेंट्स जो लाये थे वे स्पीकर महोदय को दिखाये थे। आपने बताया कि यह १३० रु० का है मैं इंगलिश मेक का ३०–३२ रु० में देने को तैयार हूँ....

**श्री उपाध्यक्ष** : आॅर्डर! आॅर्डर प्लीज़ !!

**श्री नाथूराम मिर्धा** : इन इन्स्ट्रूमेंट्स को खरीदने से पूर्व....

**श्री श्रीभानसिंह** : मैंने एक प्रश्न किया था, हांलाकि मैं इन्ट्रपशन नहीं करना चाहता, टेन्डर में स्पेसिफिकेशन दिया है क्या कि एयर ब्लोवर कैसा चाहिये तब तो मैटर क्लीयर है....

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह ठीक बात है कि टेन्डर में जिस चीज का नाम है वह किस स्पेसिफिकेशन की हो यह चीज उसमें दी हुई नहीं है लेकिन जो चीज काम में आ रही है वैसी ही तो चाहिये....

**श्री श्रीभानसिंह** : एयर ब्लोवर (Blouer) का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया यह। Is it given that this particular make the Government will purchase ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : But the Government has been purchasing this. It has been using this.

**श्री श्रीभानसिंह** : Do you mean to say that last year the same thing was purchased.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं इस बात को मानता हूं ...

**श्री श्रीभानसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके थ्रू लीडर से अपील करूंगा कि इस मैटर को वे क्लेरीफाइ करें, क्योंकि जब टेन्डर कॉल हुआ था तब उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं बताया गया था।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : No specification...

**श्री नाथूराम मिर्धा** . I think, I should not be disturbed like this, when I am on my legs.

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जैसा कि पहले निवेदन किया है, ऐसा कोई प्रश्न हो जिस पर एक्सप्लेनेशन लेना न्यायोचित हो तो वह इस आसन की आज्ञा से, जब ये भाषण समाप्त करें तब पूछने की इजाजत होगी; अन्यथा इन्ट्रपशन इसमें बाधा पहुँचायेगा।

**श्री श्रीभानसिंह** : मैं यह चाहता हूं कि वे यह मेन्शन करें कि इसका स्पेसिफिकेशन दिया था और वह इस प्रकार का है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री टेन्डर के स्पेसिफिकेशन के साथ भाषण करेंगे ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है; जैसा मैंने निवेदन किया कि टेन्डर के अन्दर एअर ब्लोअर की कौनसी, चीज होगी, इस प्रकार से साफ तौर से नहीं लिखी हुई थी। यह ब्लोअर....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह चीज़ है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अब यह कहे कि यह नहीं लिखा हुआ है, तो यह क्लोअर क्यों खरीदा....

**श्री भैरोंसिंह** : पिछले साल क्यों खरीदी ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अभी तक खरीद नहीं की गई है। वह चीज खरीदना चाहते हैं, जिसको डिपार्टमेंट एप्रूव करता है, यूज़ करता है....

**श्री श्रीभानसिंह** : But how will the other firms give tenders, when things are not specified ? It shows that the department wants to favour a particular firm.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : This is the lowest which they have tendered.

**श्री श्रीभानसिंह** : This is the highest that the department has purchased.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : We have been using...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह लास्ट इअर दो रुपये ७५ पैसे में एअर क्लोअर कैसे खरीदा ? आपने कहा, जो यूज़ करते आये....

**श्री नाथूराम मिर्धा** : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार मैं आगे नहीं बढ़ सकता।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !!

**श्री श्रीभानसिंह** : आपने रूलिंग दे दी है कि सब टेन्डर के स्पेसिफिकेशन के भाषण दिया जाय: यह चीज़ थी, यह कोट किया था और यह पर्चेज किया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह व्यवस्था दे दी गई है।

**श्री श्रीभानसिंह** : मेरा निवेदन है कि....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री) : मैं समझता हूं कि आपने एक बात कही, आपने आदेश दिया कि स्पेसिफिकेशन क्या थे, उसके मुताबिक क्या किया गया, उसको बतलायें। आपने कहा कि स्पेसिफिकेशन का मामला स्पष्ट नहीं था; यह किया गया, उस पर बहस का क्या प्रश्न आता है ? फिर आप चाहते हैं, यह मालूम हो जाय कि स्पेसिफिकेशन दिये हुए हैं या नहीं। यह बता दिया है। फिर आपस में बहस क्यों हो ? आप फेक्ट जानना चाहते थे वे बता दिये हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं यह क्लीअर कर देना चाहता हूं कि अभी परचेज नहीं हुआ है, परचेज नहीं हुआ है, टेन्डर फाइनलाइज़ नहीं हुए हैं....

**श्री भैरोंसिंह** : हो गये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नहीं हुए हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : They have been finalised.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : माननीय उपाध्यक्ष,....

# Page No.82



**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !!

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह इन्स्ट्रूमेन्ट है, इस तरह इन चीजों को लाकर यह कहना कि यह चीज इतने की है, यह इतने की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीज़ चीज़ में फर्क है। यह चीज़ है...

**श्री भैरोंसिंह** : स्पेसिफिकेशन के साथ, एप्रूव्ड रेट के साथ कहें, जो दी हुई है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह चीज़ है, जिसका नाम है चेन इरेजर। यह इन्स्ट्रूमेन्ट है, इससे आम तौर से घोड़े को खस्सी करते हैं, घोड़े की ब्रीडिंग को रोकने के लिए चेन इरेजर इन्स्ट्रूमेंट से काम लेते हैं। यह फर्म है जो इन्स्ट्रूमेंट देना चाहती है, उसने प्राइस कोट की है ८६ रुपये। यह इन्स्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, जिसको खरीदना चाहते हैं, जिसकी रेट है ४२ रुपये....

**श्री भैरोंसिंह** : सेम्पल आया था।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : सेम्पल आया था....

**श्री भैरोंसिंह** : टेन्डर के साथ सेम्पल आया था क्या ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : We have been using these things and we have been purchasing...

**श्री भैरोंसिंह** : टेन्डर के साथ सेम्पल आया था क्या ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !!

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह इन्स्ट्रूमेंट है, ४२ रुपये का है....

**श्री भैरोंसिंह** : स्पेसिफिकेशन के साथ बतायें, यह आपका आदेश है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह इस प्रकार की चीज है....

**श्री उपाध्यक्ष** : अगर स्पेसिफिकेशन हों, तो उसके साथ निवेदन कर दीजिये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : स्पेसिफिकेशन बहुत सी चीजों के हैं, मगर वे चीजें, जिन्हें आम तौर से डिपार्टमेंट खरीद रहा है, आम तौर से एक चीज दी हुई थी। जिस तरह स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, उस तरह नहीं है।

● **श्री श्रीभानसिंह** : जैसा माननीय नेता ने कहा, मैं उसके मुताबिक प्रश्न पूछूं जब डिपार्टमेंट के यूज़ में आ रही हैं....

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!! श्री श्रीभानसिंह।

**श्री श्रीभानसिंह** : The leader has permitted me...

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं सारे मामले....

**श्री उपाध्यक्ष** : He is not yielding the floor, Hon'ble Member please.

**श्री श्रीभानसिंह** : On a point of...में पूछ रहा हूं आपने कहा कि डिपार्टमेंट इन चीजों को काम में लाता रहा था, जब इन चीजों को काम में लाता रहा था....

**श्री नाथूराम मिर्धा** : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन अवर नहीं है, जिसमें सवाल पूछे जायं और जवाब दिये जायं।....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ फर्म की चीजों को यहां लाकर प्रदर्शन करना और फिर कहना कि यह चीज़ अच्छी है और यह बुरी है, यह इतने की है। मैं कहता हूं ...

**श्री श्रीभानसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं....

**श्री उपाध्यक्ष:** I would request the hon'ble. Member, he is not yielding the floor and as such, no right exists.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अभी तक पर्चेज़ के मामले फाइनलाइज नहीं किये गये हैं, कोई पर्चेज़ नहीं की गई है, पर्चेज़ नहीं की जायगी, जब तक स्पेसिफिकेशन क्लीअर होकर कम्परेटिव बैटर चीज़ को लेने की बात तय न हो जाय।

( करतल–ध्वनि )

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट का एक पैसा भी जाया नहीं किया जायगा। इस बात की पूरी जानकारी है और इसमें सतर्कता बरती गई है और बरती जायेगी

( करतल–ध्वनि )

न आज तक घोटाला हुआ है और न घोटाला होने दिया जायगा....

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अगर नहीं कहते तो हो जाता।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जिन लोगों ने आपके पास एप्रोच किया है, उनके रिप्रजेन्टेशन आये हैं, हमने उनको एग्ज़ामिन करवाया है, फाइनेन्शियल और टैक्नीकल विभाग से एग्ज़ामिन करवाया है, हमारे डिपार्टमेंट ने एग्ज़ामिन किया है। वह पर्चेज़ इतनी की जायेगी जो करीब २०-२५ हज़ार की होगी। जिन चीजों के कोटेशन, स्पेसिफिकेशन क्लीयर हैं, उनकी खरीद करेंगे और जिनके स्पेसिफिकेशन क्लीअर नहीं हैं, उनकी खरीद-दारी इस साल नहीं करेंगे। मैं आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे निश्चित होकर रहें, जनता के धन का एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होने दिया जायगा। इसकी सावधानी बरत ली गई है। इस केस के मामले में इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं; इस मामले के अतिरिक्त सहकारिता के मामले में दो बातें कह कर अपनी बात खत्म करता हूं।

सहकारिता के बारे में सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, खास तौर से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जो किताब कॉर्पोरेशन मार्चेंज़ ऑन नाम

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की किताब के पहले पेज पर फिगर्स दिये हुए हैं, नम्बर आॅफ सोसाइटीज़ इसके बारे में कहा। चार हजार का अोड नम्बर दिया हुआ है सोसाइटीज़ के बारे में और गवर्नर के भाषण में १७०० का नम्बर दिया है। उन्होंने कहा कि यह डिस्क्रीपेन्सी है। उनकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह चार हज़ार का नम्बर सोसाइटीज़ का दिया हुआ है, ये हमारी वे सोसाइटीज़ हैं, जो मल्टी पर्पजेज सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड थीं और सरकारी सेवा समितियां, मल्टी पर्पजेज सोसाइटी जैसी हैं, उनका एडीशनल फंक्शन है कि गवर्नमेंट के फन्ड्स का प्रोटेक्शन के साथ ही प्लान बनायें। वह मल्टी पर्पज सोसाइटी में एक और ड्यूटी जोड़ करके बाइलॉज़ को अमेंड किया गया है। ३–६–५६ तक के जो फिगर्स हैं, उसमें फिगर दिये हैं, वे चार हज़ार है, इसमें १७०० सेवा सहकारी समितियां बनी थीं, उसमें वे फिगर्स भी शामिल हैं। सहकारिता का वर्ष जून से शुरू होता है। फाइनेन्शियल ईयर शुरू होता है ३१ मार्च के बाद, फर्स्ट अप्रेल से शुरू होता है। इसमें सहकारी सेवा समितियों का फिगर भी शामिल है। जितनी सहकारी समितियां १७०० बनी थीं, वे बना लीं, आपने कहा कि उन्होंने बोर्ड लगा दिये। सेवा सहकारी समितियों का नाम हो गया। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सहकारी समिति का नाम बोर्ड लगाने से नहीं होता, काम करने से होता है। सदन के बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि जितनी पंचायत समिति बनी हैं, वहां सीड का डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्लीमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जितने अच्छे खाद का डिस्ट्रीब्यूशन, यह सारा काम सहकारी समितियों की मार्फत चला हुआ है और बहुत सारी सहकारी समितियों ने इस काम को किया है। इस नम्बर को बढ़ाया जाय, इसके लिए इस चीज़ को जन-आन्दोलन का रूप देना है। यह सारा काम बहुत बड़ा काम है, इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता है। इतना बड़ा काम है, इतने पैमाने पर चलाने के लिए। हमारे यहां पंचायत समितियां जिस रफ्तार से काम कर रही हैं और चार महीने में जो काम देखा तो पता लगता है कि पंचायत समितियां सरकारी मामले में काफी दिलचस्पी ले रही हैं और सहकारी समितियां काफी तादाद में रजिस्टर हुई। फार्मिंग सोसाइटीज़ का जिक्र किया गया जो करीब साढ़े पांच सौ की तादाद में बनी हैं, उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो लैंड-लैस को जमीनें देकर उनकी सोसाइटीज़ का गठन किया गया है। कुछ १०० की तादाद में ऐसी हैं जिन्होंने अपनी खातेदारी की लैंड्स को मिलाया है और साथ मिलकर कार्य करने के लिए सहकारिता का निर्माण किया है, उनको सरकार की ओर से लोन भी दिये गये हैं और सहायता भी दी गई है पर जिनको जितनी सुविधा की आवश्यकता है, उतनी नहीं मिल पाई है, जितना हमारे यहां प्रावधान था उतना ही हम दे पाये हैं। अब उनको शोर्ट टर्म की, मीडियम टर्म की या किस प्रकार की सहायता दी जाय इसकी ओर सरकार का ध्यान है।

तो इस तरह से सहकारिता में एनिमल हस्बेन्डरी में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के सम्बन्ध में जो मामले है, डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की चीज़ है, पंचायत समिति के जरिये, इसको

( श्री नाथूराम मिर्धा )

नजदीक जा कर देखने से जो पंचायत समितियों का तजुर्बा है उसके आधार-पर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सही दिशा में पंचायत समितियों ने कदम उठाया है और गये तीन-चार महीनों में ही काफी तरक्की हुई है। यदि यही रफ्तार रहती है तो हमारा टार्गेट अवश्य पूरा होगा और राजस्थान की तस्वीर आज भी बन रही है और जो हमें बनानी है वह निहायत अच्छी बनेगी।

एक बात मैं कहूंगा कि पहले दिन मुझे तार देते हैं कि आप इस मामले को देखें। मैं उस मामले को देख रहा हूं तो उस मामले को यहां इस रूप में रखना, सदन का काफी कीमती समय होता है, मैं समझता हूं डेढ़ घन्टा लिया गया, जब मैं खुद कह चुका था कि देख रहा हूँ तो ऐसा रूप देना कि जो कुछ हो रहा है खराब ही खराब हो रहा है, राजस्थान में कोई चीज़ अच्छी हो ही नहीं रही है। मानीनय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम सही रूप में दिल और दिमाग से काम करेंगे तो राजस्थान की जो तस्वीर हम बनाना चाहते हैं वह बना सकेंगे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : What about Deputy Registrars ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : समय काफी हो गया है बजट के समय कहूंगा।

**श्री भैरोंसिंह** : इन पर्चेजेज़ के सम्बन्ध में और जानकारी चाहें तो....

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैंने सारी बातें कह दी हैं।....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! ऑर्डर !!

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी मेरे साथी, मन्त्री, जब अपनी बात कर रहे थे तो सदन में ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पुराने जमाने में आर्य समाजियों और सनातन धर्म वालों में वाद विवाद होता था, दोनों तरफ से पिश्तौल दिखाई जा रही थीं, एक तरफ से अमेरिकन पिश्तौल...

**श्री जनार्दनराय नागर** ( मावली ) : आपके ख्याल में ये पिस्तौल नज़र आ गये ?

( हंसी )

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे भी आश्चर्य है यह पिस्टल्स कैसे आ गये सदन में ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह साहित्य एकेडेमी का नहीं है।

जो आपत्तियां उस वाद-विवाद के सम्बन्ध में आईं, उनका उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले अर्ज़ करूंगा कि हमको सदन की परम्पराओं का कुछ ध्यान रखना चाहिये। दो बातें अर्ज करूंगा, एक तो यह कि इन्डिविज्युअल ऑफिसर का मामला व्यक्तिगत मामला यहां सदन में नहीं लाना चाहिये और दूसरी यह कि एक बार जो मामला आ गया है उसको बार-बार ला कर सदन का समय खर्च नहीं करना चाहिए।

मैं अदब से अर्ज करूंगा कि कुछ मामले ऐसे हैं, डॉक्टर का मामला, एक मिसेज लाल हैं, वे तो ऐसी ऐतिहासिक व्यक्ति हो गई हैं कि जब कभी सदन होता है, चाहे

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

डिमान्ड्स का मामला हो, चाहे गवर्नर का एड्रेस हो, चाहे जैसी प्रोसीडिंग्स का मामला हो, वह आती हैं। मैं इसको साफ कर देना चाहता हूं और आशा करता हूँ कि फिर यह मामला यहां नहीं लाया जायगा।

सबसे पहले स्टेशनरी, प्रिंटिंग के पर्चेजेज़ के बारे में बातें कही गई और बड़ा जोर दिया गया कि इसमें गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को रोकना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, पर्चेज़ेज़ के बारे में अर्ज करूं कि स्टेशनरी प्रिंटिंग की पर्चेज़ेज़ होती हैं इसके रूल्स बने हुए हैं और एक हाई पॉवर कमेटी बनी हुई है, पहले इसके चेअरमैन रेवेन्यू बोर्ड के चेअरमैन थे और अब सेक्रेटरी हैं और इसमें एक फाइनेन्स का आदमी रहता है। डाइरेक्टर प्रिंटिंग प्रेसेज़ तो केवल मेम्बर है। तो यह ख्याल करना कि सब डाइरेक्टर प्रिंटिंग प्रेस की ज़िम्मेदारी है, कोई देखने वाला नहीं है, यदि इस तरह की धारणा है तो वह निराधार है। हाई पॉवर कमेटी बनी हुई है, टेन्डर दिये जाते हैं, सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में निकलता है, इसी तरह हर साल कार्यवाही होती है। इन्क के अलावा सब समान इसी तरह खरीदा जाता है। इन्क के सेंपल आते हैं, डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ एग्ज़ामिन करते हैं कि कौन कौन सा नमूना स्टेन्डर्ड के मुताबिक है। इनके द्वारा एग्ज़ामिन होने के बाद फिर दुबारा मामला पर्चेज़ेज़ कमेटी में आता है और पर्चेज़ेज़ होती हैं। ५७–५८ में, ५८–५६ में और ५६–६० में जितनी भी पर्चेज़ेज़ की गई हैं इसी माफिक की गई हैं। माननीय सदस्य के कहने पर मैंने फाइल मंगा कर देखी है और इसी माफिक पर्चेज़ेज़ की गई हैं, इसमें किसी तरह का लेकुना नहीं है, पूरे प्रोसीजर के फोलो किया गया है, और कोई गड़बड़ी नहीं है। यह ख्याल करना कि पहले साल में रेट्स लोअर थीं दूसरे साल में हाई गई, इसके लिए निवेदन करूंगा कि एक स्टेन्डर्ड रखा गया उसको इन्डस्ट्रीज़ के डायरेक्टर ने एग्ज़ामिन किया है, उसके माफिक पर्चेज़ेज़ कमेटी ने पर्चेज़ेज़ की हैं। माननीय सदस्य और कोई जानकारी इस बारे में चाहें तो मैं अलग से जानकारी दे सकूंगा, मैंने इसको अच्छी तरह एग्ज़ामिन कर लिया है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

पर्चेज़ेज़ का एक मामला स्वास्थ्य विभाग का पुराना चला आ रहा है, कई बार सदन में जिक्र हुआ, इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कई बार जबाब दिया गया। ५५–५६ की मार्च की बात है, इस सदन से पहले का सदन था तो यह ध्यान में लाया गया कि पर्चेज़ेज़ हो रही हैं। मैंने उस समय कहा था कि विभाग की एक कमेटी बनी हुई है, जिस तरह पर्चेजेज करना चाहिये उसी तरह वह कर रही है, लोएस्ट प्राइसेज़ पर सामान खरीदा जा रहा है। मैं पर्सनली भी इस बात को देखता रहता था क्योंकि सदन में यह सवाल उठाया गया था। इसमें मैं यह अर्ज करूंगा कि पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही थी, १५–१६ फरवरी को सेंक्शन मिली कि १०,४७,००० का सामान खरीदा जाय। मार्च के आखिर में सामान खरीदना था। वह नहीं खरीदते तो पंचवर्षीय योजना का रुपया लैप्स होने वाला था, उस समय नहीं खरीदते तो बाद में रुपया नहीं मिलने वाला था; तो ये दो समस्याएं हमारे सामने थीं। तो हमने यह उचित समझा कि समय

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

कम था तो भी हमने सामान को पर्चेज़ करना चाहा और मार्केट में कोई माल जो लिया गया वह लोएस्ट रेट में पर्चेज़ किया गया। ए. जी. ने हमारे रेकॉर्ड आदि को एग्ज़ामिन किया और उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक तो हमने सीमेन्ट की एक्सरे की मशीन खरीदी। वह दुनियां में सब जगह एक ही रेट पर मिलती है। कहीं पर भी आपको उसमें फर्क नहीं मिलेगा। चाहे आप उसको टेन्डर से खरीदें चाहे बिना टेन्डर के खरीदें। आप उसको एक ही रेट से खरीद सकते हैं। यह बम्बई में मेन्युफेक्चर होती है। आज भी उसके लिये मैं दावे से कह सकता हूं कि उस समय जिस कीमत में खरीदी गई उससे कम कीमत में नहीं मिल सकती है।

दूसरी चीजें भी भारत सरकार की जो रेट हैं उस रेट से खरीदी और उसके बारे में जन-लेखा समिति में भी प्रश्न उठा कि १० लाख की खरीद की गई। इसमें यह सोचना कि यह सामान चीप रेट से मिल सकता है मैं कहूंगा कि नामुमकिन है। इसके लिये मैं दो बातें जरूर कहूंगा। कुछ सामान ऐसा था जैसे हमको १० खरीदने की बात हो और उसके बजाय १५ खरीद लें, मगर टेन्डर काल करना था सो किया और अगर ५ की जगह १० खरीद सकते हैं। इसके लिये तो कोई रुकावट नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि सामान आया नहीं। इस बात को मैं खुद मानता हूं कि सामान वहां से रवाना हो गया था इसलिये उसके रुपये हमने बैंक में जमा रखे। सामान समय पर नहीं आया। इस गलती को हमने माना है और हमने ए. जी. को सेटिस्फाई किया है। यह तो एडमिटेड फेक्ट है कि सामान वहां से डिस्पेच हो गया था, लेकिन यहां पहुंच नहीं। इसके लिये रुपये बैंक में जमा करा दिये थे। यह फाइनेन्शियल डिफक्ट जरूर हो सकता है। फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटी अवश्य हुई हैं। इसलिये हमने जनलेखा समिति को लिख भेजा। हमने इसकी इन्क्वायरी करली और जो बात थी उसको ठीक कर दिया है। जनलेखा समिति ने डिपार्टमेंट से डिसकस किया और यह पाया गया कि यह अनियमितता हुई हैं। हमारे रुपये लैप्स होने वाले थे और अगर यह धनराशि लैप्स को जाती तो आगे मिलने वाली नहीं थी। इसलिये हमने उस धनराशि का पंचवर्षीय योजना में सामान खरीद लिया। मैं तो यह कहूँगा कि यह विभाग की होशियारी का काम है। यह उनकी शाबाशी का काम है। यह कोई इन्क्वायरी का काम नहीं किया। यह तो उन्होंने प्रशंसा का काम किया है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : आपने उनको वार्निंग दी तो क्या यह उनको इनाम था।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :** फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज़ हुई थीं। दूसरी बात मिसेज़ लाल के बारे में कही जाती है। जिसका राजस्थान के इतिहास में कई बार जिक्र हो चुका है। हालांकि समय बहुत हो रहा है फिर भी मैं उसके सम्बन्ध में आपको बताना चाहता हूं। जुलाई में हमने उसको दूसरी जगह जाने के लिये आदेश दिये और उसका ट्रान्सफर किया। मगर उसने उस ऑर्डर को डिफाई किया और नहीं माना और चार्ज नहीं दिया। वह सरकार के हुक्म को मानने में इन्कार करती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

आपके द्वारा माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि जब गवर्नमेंट जुलाई में उसको वहां से हटाने के ऑर्डर देती हैं और वह गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मानती है तो क्या किया जाए ? बार बार सदन में यह प्रश्न पैदा होता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है । माननीय उपाध्यक्ष, जब यह बात मेरे नोटिस में लाई गई तो मैंने कई बार इस पर विचार किया । कल मैंने फाइल मंगा कर देखा । जुलाई का ऑर्डर है और वह उसको केरी आउट नहीं करती व हुक्म लेने से इन्कार करती हैं । अगर कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिफाई करता रहे और गवर्नमेंट का हुक्म नहीं माने तो क्या किया जाए ? हमने पहले हुक्म भेजा उसने कहा कि हम गवर्नमेंट के हुक्म को नहीं मानते और चार्ज नहीं देती । उसके बाद हाई कोर्ट में गई । उसके बाद फिर जब गये तो उसके हस्बेंड ने बहुत अनह्यूमननेस दिखाई । कलेक्टर से.... यह बात ठीक है कि महिलाओं के लिये हमारे दिल में दया होनी चाहिये और मैं यह कहूंगा कि हर एक के लिये दया होनी चाहिये, लेकिन यदि कोई यह ख्याल करे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं और गवर्नमेंट के हुक्म को मानने के लिये तैयार नहीं हो तो करना ही पड़ता है । अगर गवर्नमेंट कुछ कदम ऐसा करने वालों के खिलाफ नहीं उठाएगी तो गवर्नमेंट खत्म हो जावेगी । गवर्नमेंट का काम किसी तरह से नहीं चलने वाला है । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे उसको सलाह दें बजाय इसके कि वे उसकी यहां पर नहीं वकालत कर के कि उसका कदम गलत है । इस तरह से यहां पर वकालत से काम नहीं चलने वाला है ।

**श्री भैरोंसिंह** : यह आपका ख्याल वन साइडेड है ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मेरे पास सारी फाइल है, मेरे पास ऑर्डर मौजूद है । उसने ऑर्डर को माना नही ।

**श्री भैरोंसिंह** : आप कहते हैं कि अभी तक ऑर्डर माना नहीं । मैं यह कहूंगा कि वह बेचारी सस्पेन्डेड है और जब तक अन्डर स्स्पेन्शन है कोई ट्रान्सफर और ऑर्डर को मानने का प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उसने चार्ज देने से इन्कार कर दिया और पुलिस के जरिये चार्ज दिलाया गया । यह सब मैंने देखा है । समय पूरा हो चुका है । मगर इसका जवाब भी दिया जाना चाहिये । डॉ. रतन के बारे में यह चार्जेज़ थे, उसमें एक चार्ज यह था कि वह गलत डिग्री काम में लेता है जिसके लिये इन्क्वायरी की जावे । दूसरा उसको फॉरिन में भेजा गया उसके लिये । फॉरिन में भेजा गया । उन्होंने कहा कि he is not upto the standard. मगर उन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा । उन्होंने उसकी डिग्री को माना, मगर यह कहा कि he is not upto the standard, हम इसको नहीं रखते । इसलिये वे वापस आ गये और उनको बीकानेर में ट्रान्सफर कर दिया । वहां पर वे काम कर रहे हैं । इसमें विभाग की ओर से कोई डिफिकल्टी नहीं है । हमने हमारे यहां एक कमेटी बना रखी है । भारत सरकार की भी कमेटी बनी हुई है । मैं यह कहूंगा कि बहुत से आदमी एल एल. बी. पढ़ते हैं और डिग्री हासिल कर लेते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि सभी होशियार होते हैं । इसी

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

तरह से इस डिग्री वाले सभी बहुत बडे डॉ. नहीं होते। इस दृष्टि से इन्क्वायरी कम्पलीट हो गई है और अब इस चैप्टर को फाइनली, हमेशा के लिये क्लोज़ करना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : हम इस चैप्टर को फाइनली क्लोज़ करते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या इन्होंने एल. डी. एस. की फाइनल परीक्षा पास कर ली है?

**श्री उपाध्यक्ष** : कर ली है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इसकी डिग्री एक तो करांची से मिलती है। इसके बारे में इन्क्वायरी हो गई है और दूसरी डिग्री जर्मनी से मिलती है।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि एल. डी. एस. की डिग्री जिसके कारण कोलम्बो प्लान में सिलेक्शन किया गया था पास कर ली थी?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मेरे पास जो इन्क्वायरी रिपोर्ट है उससे साबित होता है कि करांची से पास की है। इसकी इन्क्वायरी हुई है।

**श्री भैरोंसिंह** : इस सदन में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब देते समय यह बताया गया था कि उन्होने एल. डी. एस. की परीक्षा पास नहीं की, इसलिये वापिस बुलाया गया, बताया गया था?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : एक डिग्री करांची से मिलती थी और एक जर्मनी से मिलती है, वह डिग्री वहां से पास नहीं की। एल. डी. एस. की डिग्री जर्मनी से पास नहीं की थी।

**श्री उपाध्यक्ष** : That decides the issue. Let us proceed.

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं समझता हूं कि मैंने इसके बारे में बहुत स्पष्टीकरण कर दिया है; और छोटी मोटी बातें हैं और समय पूरा हो चुका है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मन्त्री ) : उपाध्यक्ष महोदय, बहस के दौरान में कुछ मेरे से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं उनका जवाब मैं पेश करूंगा। श्रीमाधोपुर से और जयपुर से आये माननीय सदस्यों ने एक बात पर जोर दिया, खास तौर पर नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट पर। उनके कहने का मतलब यह था कि नाथद्वारा कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं उन पर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने गवर्नमेंट को इम्प्यूट किया कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कार्यवाही नहीं की। जिस बात के लिए कमीशन मुकर्रर किया था उससे पहले जितनी बातें कहा करते थे, कह सकते हैं, और कह रहे हैं, उनके लिए वे बातें कहना आसान है कि चीफ मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर या गवर्नमेंट यह है, वह है; लेकिन क्या वे यह समझते नहीं हैं कि चीफ मिनिस्टर उनकी ताकत पर ही नहीं चुने गये हैं, उनकी ताकत पर नहीं बने हैं वे चीफ मिनिस्टर, उनको इस सदन ने चीफ मिनिस्टर चुना है और उनकी ताकत पर नहीं है.... । जिस किसी बात को

( करतल–ध्वनि )

वे यहां सदन में कहें तो वे पूरी जिम्मेदारी

( श्री दामोदरलाल व्यास )

के साथ कहा करें, केवल बाजारू बातों की तरह, सुनी-सुनाई बातें यहां कहें और जिम्मेदारी न समझें, सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल करके उनको बातें कहनी चाहिये अन्यथा सदन का समय इस तरह से बेकार चला जाता है और जो कुछ वे कहा करें उनकी ओर वे पूरा ध्यान रखें तो अच्छा है, बनिस्बत इसके कि गवर्नमेंट की इनएक्टिविटी को इम्प्यूट करें कि गवर्नमेंट ने कमीशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया । मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि नाथद्वारा कमीशन की क्या फाइंडिंग्स हैं और गवर्नमेन्ट ने क्या क्या एक्शन्स लिए, क्योंकि नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट की प्रति सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को मिल चुकी है और उन्होंने इसको पढ़ा होगा

( हंसी, )

क्योंकि यह रिपोर्ट ही पढ़ने से काबिल है। कमीशन की रिपोर्ट पर गवर्नमेन्ट ने क्या एक्शन लिया है, यह मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा । कोई एक्शन बाकी रह गया हो तो माननीय सदस्य उस ओर इंगित कर सकते हैं । १२ अक्टूबर १९५९ को कमीशन की रिपोर्ट आयी और १५ अक्टूबर को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इसको एग्जामिन करके सरकार के पास भेज दिया । कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स में जो रिकमन्डेन्स की हैं उनकी एक एक रिकमन्डेशन को लेंगे तो पता चलेगा कि हर एक रिकमन्डेशन पर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है जो कि कानूनी तौर पर लेना चाहिये था । १२ तारीख को रिपोर्ट आयी, १५ तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट ने एग्ज़ामिन करके १६ तारीख तक केबिनेट में भेज दिया । जो कुछ कार्यवाही करनी चाहिए थी उसको चार पांच दिन में ही कर लिया गया । श्री माधोपुर से आये माननीय सदस्य ने बार बार इस सदन का काफी समय लिया और कहा कि महन्तजी, गोस्वामीजी को गिरफ्तार गवर्नमेन्ट ने क्यों नहीं कर लिया ? वे यह नहीं समझते हैं कि गिरफ्तार कर लेना कोई मामूली चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट हर एक को गिरफ्तार कर ले । गिरफ्तारी करनी पड़ती है देश के अन्दर जो एक नागरिक की लिबरटी है । उसकी सुरक्षा के लिए संविधान बना हुआ है और कानून बना हुआ है उसके खिलाफ कहीं न हो, यह भी देखना पड़ता है । कमीशन की जो फाइन्डिंग्स हैं, प्रोसिडिंग्स हैं और जो उसका कन्क्लूज़न है उनके अन्तर्गत यह देखना पड़ेगा कि एक्शन क्रिमिनल हो या सिविल ।

**श्री भैरोंसिंह** : किसी भी बात के लिए नहीं है ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I don't want to be interrupted, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर !

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उनको यह समझ लेना चाहिये कि रिपोर्ट द्वारा जो रिकमन्डेशन्स कमीशन ने की थीं उनके लिए संक्षेप में अर्ज करूंगा कि वे क्या रिकमन्डेशन्स थीं और गवर्नमेन्ट ने उन पर क्या एक्शन लिया?

पहली बात यह है कि गहना घर के ताले तोड़ना और गहना लेना और उसकी

( श्री दामोदरलाल व्यास )

जिम्मेदारी कमीशन ने महाराज, राणावत और कन्हैयालाल दारोगा की ठहराई महाराज प्रोपर्टी ले गये। जो प्रोपर्टी कमेटी के मेम्बरों को बतायी वह पूरी नही बतायी। चौथी बात यह बतायी कि महाराज के ऊपर इसकी जिम्मेदारी। ये कमीशन की फाइन्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट सिविल, क्रिमिनल एक्शन लेना चाहे, अकाउन्टिंग का ले ले। इन ग्राउन्ड्स पर यह बात कही थी : "Action against Kanaiya Lal Daroga, civil, criminal or any other action, which the department or Government may think proper."

दूसरा सजेस्ट किया था वह यह किया था कि कन्हैयालाल दारोगा और पन्नालाल मुखिया मंदिर, वह काबिल नहीं हैं कि उनको मंदिर की सेवा में रखा जावे। तीसरा यह सजेस्ट किया कि महाराज ने अपने को इतना अयोग्य साबित कर लिया है कि वे इस हाइयेस्ट ओहदे पर नहीं रह सकते हैं। ये रिकमन्डेशन्स हैं नट शेल में। गवर्नमेंट ने तुरन्त एक्शन लिया, कन्हैयालाल दारोगा और पन्नालाल को हटा दिया गया। इस बीच में यह अर्ज करना चाहूंगा कि नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड एक्ट बना हुआ है। इस सदन में यह कानून पास हो गया था उस बोर्ड के प्रति भी स्ट्रिक्चर पास किया गया था, टेम्पल बोर्ड उस मंदिर के मैनेजमेंट का इन्चार्ज था। बोर्ड को खुद को ही एक्शन लेना चाहिये था, फिर भी रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेन्ट ने बोर्ड को आदेश देने की कार्यवाही की। कन्हैयालाल और पन्नालाल को अलग कर दिया गया और उनका चार्ज सम्हाल लिया। महाराज के ऊपर स्ट्रिक्चर पास हुआ था इसलिए बोर्ड का रीकॉन्स्टिट्युशन किया और उसमें महाराज, गोस्वामीजी को मेम्बर नहीं बनाया, इन्क्ल्यूड नहीं किया। अब रहा सवाल कि कार्यवाही जाब्ता फौजदारी के अन्दर की जाय या सिविल के अन्दर की जाय, उसको कानूनी नुक्ते से देखना था, यह देखना था कि कौनसी कार्यवाही कोर्ट के अन्दर हो सकती है। इस पर कमीशन ने भी राय दी थी। रिपोर्ट को भेज कर उनको भी लिखा गया कि कानूनी कार्यवाही करें। इसके लिखने मात्र से ही सरकार ने संतोष नहीं कर लिया लेकिन सरकार ने सरकार के एडवोकेट जनरल को, एडवोकेट को भी लिखा कि कानूनी तरीके से यह बताया जाय कि महाराज, राणावत, कन्हैयालाल और पन्नालाल के विरुद्ध किस तरह की कार्यवाही करनी है, जो कार्यवाही करनी है उसका सारा प्रोसिजर बतायें। चुनाचे उस रिपोर्ट को भेज दिया गया और दूसरे जो हमारे लॉ के ऑफिसर्स हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, उनको भी कहा गया कि इसको देख कर वे एडवाइस करें। १७ तारीख को डेफिनिट डिसिजन होने के बाद और २४ तारीख को तमाम एक्शन लेने के बाद लॉ डिपार्टमेंट में इसको भेजा गया। इसको वहीं तक नहीं रखा। हमने सोचा कि हिन्दुस्तान के जितने बहतरीन कानूनी दिमाग वाले कानून जानकार हैं उनकी भी इस विषय में राय ली जानी चाहिये। इसलिए सरकार ने इस पर अटोर्नी जनरल और सोलीसीटर जनरल से भी राय मांगी

तो पहले अटोर्नी जनरल चूंकि विदेश गये हुए थे इसलिये हमने सोलीसीटर जनरल ऑफ इन्डिया की इस केस में इस मामले में राय मांगी कि वे हमें कोई एक्शन सजेस्ट करें।

( श्री दामोदरलाल व्यास )

उन्होंने हमारे एडवोकेट जनरल को दिल्ली बुलाया उन्होंने जो राय दी वह भी मैं आप के समक्ष पेश करूंगा। श्री दफतरी की राय इसलिये पेश करना चाहता हूं कि आपको यह मालूम हो जाय की कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में हमने क्या क्या एक्शन्स लिये और क्या क्या लेना चाहते थे ?

**श्री चन्दनमल वैद** ( सरदार शहर ) : माननीय सदस्य (श्री भैरोंसिंह) केवल टेन्डर की बातें जानते हैं, कानून की नहीं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह बात आप कह दीजिये मैं तो नहीं कह सकता।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके लिये तो ये हमेशा बोलेंगे ही।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं श्री दफ्तरी की राय आपके सामने पेश कर रहा हूँ वह इस प्रकार है : "I have seen the report and the decision of the Cabinet following the report of the Nathdwara Enquiry Commission. The course determined upon is proper and sufficient and so for as I see, nothing farther is required"

आगे कहा है :—

"Criminal proceedings are out of question. Therefore, a suit of the nature above mentioned, (Civil natnre) can be maintained against ..."

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर) : दफतरी को कितना रुपया दिया कन्सल्टेशन का सरकार ने।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके बाद मैं अर्ज करना चाहता हूँ जिस तरह से माननीय सदस्य ने हाउस के अन्दर कुछ क्वेश्चन के तौर पर पोज़ किया और कहा कि श्री तिलकायतजी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ क्रिमीनल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं कीं, इसके बारे में उन्होंने कमीशन के फाइन्डिंग्ज़ का भी हवाला दिया। मैं माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूँ मैंने खुद ने दफतरी साहब को इस बारे में पत्र लिखा,

"The commission has in its report categorically held that the property belongs to Srinathji, "that breaking open the Ganganagar Kotha was unauthorised, as the same was not in possession of the Maharaj nor ye had any ownership in it. And in view of the Managing Committee being in possession of it the Tilkayat's action was unauthorised, and it has not been properly explained by Maharaj Shri. That means he has wrongly took the property or he has applied the property to his own use. All these points indicate that the opening of Kotha amounts to misappropriation of property in his capacity as trustee of the temple Board and I do not understand how Mr. Daphtari has opined that criminal case is out of question".

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : क्या दफतरी साहब को आपने यह भी पूछा कि चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं ?

**श्री चन्दनमल वैद** : वह तो आप पूछते।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Again he has given another opinion and said :— "I have also read the report as well as the note. The findings of the Commission are not classified as evidence for other proceedings, whether they are civil or criminal. My grounds for holding this have already been explained to the Advocate General."

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : एडवोकेट जनरल वे ही हैं ना जो गवर्नमेंट की ओर से खड़े हुए थे ?

**श्री दमोदरलाल व्यास** : I woul not be interrupted, Sir. If the Hon'ble Members want to ask any questions, they can definitely ask and I will reply. But this interruption in between I am not prepared to tolerate.

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes, the Hon'ble Members will please not interrupt.

**श्री दामोदरलाल व्यास** (जारी) : मैं यह निवेदन कर रहा था हम उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं या नहीं, जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है गवर्नमेंट ने अपने लॉ डिपार्टमेन्ट से, एडवोकेट जनरल से इस बारे में राय मांगी। उनसे कहा गया कि वे भी इस बारे में अपनी राय दें। अब रहा सवाल इस बात का कि महन्त जी मैनेजिंग कमेटी से एक्सक्लूड कर दिया गया। हमको इस बात पर विचार करना पड़ा कि आया कोई लेजिस्लेशन भी इस प्रकार का बना सकते हैं या नहीं जिससे हम उनको हाई प्रीस्ट के ओहदे से अलग कर सकते हैं या नहीं। इसमें हमें देखना पड़ता है कि किसी के फंडामेन्टल राइट्स पर तो आघात नहीं होता है? उस बारे में भी हमने अटोर्नी जनरल की राय लेना आवश्यक समझा। इस बारे में जो अटोर्नी जनरल की राय आयी वह कुछ संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ :

..."The Commission has observed that the present priest has completely forfeited his right to hold that high office. He has constantly been acting detrimentally to the interests of the temple and even during the course of proceedings he maintained throughout an attitude antugonist to the inveatigation. The temple Board and the Government should consider what proper action should be taken against him for recovery of these valuables which he has taken.

It is stated that according to the tenets of Vaishnava Sampradaya, the duties of the priest are to preside over the worship of the idol and act as spiritual head of the Pushti Marg and Vallabh Sampradaya and to devote himself to the Seva and Puja of the Srinathji. But the present priest instead of doing this, indulgesin luxuries of life provided in the cities of Bombay and so on.

It further appears from the report that the Udaipur Darbar has frequently exercised supervisory powers over the succession of the high priest of the temple and the governance of the temple and on the persons who have been found to be unfit to occupy that position. The question which arises for consideration is whether the persent Rajasthan Legislature can suitably legislate to

( श्री दामोदरलाल व्यास )

depose the Tilkayat from the high post. The difficulty is felt in regard to Articles 25 and 26. Article 25 creates fundamental right of freedom of religion; "all persons are equally entitled to freedom of consc ience and the right j freely to profess, practice and propagate religion". Such freedom, however, does not prevent the State from regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. Article 26 gives the right to every religious denomination or any section thereof to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire moveable and immoveable property and to administer such property in accordance with law. These rights are, however, subject to public order, morality and health. It appears to me that the proposed legsislation would certainly be an interference in religious affairs. It is for the Sampradaya to decide whom it shall worship,be he worthy or un-worthy. It cannot be for the Legislature to provide whom the Sampradaya should worship."

At the end he has written:-

"I, therefore, take the view that the proposed legislation would offend against the Article 25 of the Constitution of India." जो रिकमन्डेशन्स थी कमीशन की । उसके लिए अर्ज किया ।

**श्री भैरोंसिंह** : Proposed legislation Se kia matlab hai?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : No interference again, Sir, I would request.

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने पहले ही व्यवस्था दी है ।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं जानना चाहता हूं इस प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन से क्या मतलब है? कौनसा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने अंग्रेजी में पढ़ा है ।

**श्री भैरोंसिंह** : प्रोपोज्ड से कौनसे लेजिस्लेशन से आपका मतलब है? कौनसा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह पढ़ा है।

**श्री भैरोंसिंह** : पर वह है कौनसा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : महाराज को गद्दी से हटाने के लिये कोई कानून पास किया जावे । यह प्रपोज्ड लेजिस्लेशन ।

**श्री भैरोंसिंह** : यही पूछना चाहता था ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने हिन्दी में तर्जुमा कर दिया । अब आपकी समझ में आ गया ।

(हंसी)

**एक माननीय सदस्य** : वह अंग्रेजी नहीं जानते ।

**श्री भैरोंसिंह** : वे नाथद्वारा टेम्पल के अंग्रेज बने हुए हैं ।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जी हां।

**श्री भैर सिंह :** जी हां क्या ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** जहां तक गवर्नमेंन्ट लेवल पर एक्शन लेने का सवाल। था हमने बराबर लिया है। कमेटी ने राजस्थान पुलिस स्टेशन पर पुलिस ऑफिसर के पास में, मुझे ऐसी सूचना है, कि जिससे काग्नीजेबल ऑफेन्स बनता है उस तरह की रिपोर्ट लिखाई है। उस पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और चूंकि इन्वेस्टीगेशन चल रहा है इसलिये और कुछ नहीं कह सकता। यह तो नाथद्वारा के लिये कहा। क्या एक्शन गवर्नमेन्ट को लेना था, क्या लिया, क्या बाकी रहा, यह मैंने आपको बताया। इससे अन्दाज लगा लें। माननीय सदस्य जो हैं यहां जब कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसको बनाया गया, उस वक्त और उससे पहले किस तरह के लैक्चर्स दिये थे, किस तरह से स्टेटमेन्ट्स दे रहे थे; उनको भी माननीय सदस्यों ने सुना होगा और जयपुर से आये माननीय सदस्य ने बहुत जोरों से कहा था कि वहां से चुराये गये जेवरात और जवाहरात पचास करोड़ के हैं। यहां जौहरियों को बेचे हैं और कल श्रीमाधोपुर से आने वाले सदस्य ने कहा और बहुत कुछ कहा। पर मैं कहूं जब कमीशन बयान ले। रहा था, अपना काम कर रहा था तो वहां शहादत में अपने आपको पेश नहीं किया, बयान अपने नहीं कराये। उठकर नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट पर ओब्ज़र्वेशन तो पेश कर दिय। वे लायक वकील हैं। साधारण कानून को जानते हैं। वे जानते हैं दफा ११४ कानून शाहादत की। ये अपने को उससे वाकिफकार बताते हैं और खुद जब कानूने शाहादत में नहीं जाते तो प्रिज़म्पशन ऑफ लॉ यह होगा कि वह झूठे हैं। पर कमेन्ट्स की जरूरत नहीं है, राय की जरूरत नहीं है। यह तो दफा ११४ में साफ है।

**श्री भैरोंसिंह :** यह चीफ जस्टिस का प्रिज़म्शन नहीं है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैं तो उन लोगों के लिये कहता हूं जो अपने को वाकिफकार कानून का बताते हैं और बताते हुये कहते हैं।

**श्री भैरोंसिंह :** आपने अपने आपको वाकिफकार बताया या नहीं बताया। सदन जानता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** पर यह भी जानते हैं, दुनियां जानती है कि बकौल मुद्दई के इस मामले में उन्होंने क्या क्या पैरवी की है। केस आपने तैयार कराया है, वकील आपने पेश किये हैं, जितनी गवाहियां हिन्दुस्तान भर में मिल सकती थीं, उन सबको हमारे खिलाफ पेश करने की कोशिशें की हैं। किसी तरह की कोई कसर नहीं उठा रक्खी।

**श्री भैरोंसिंह :** दुनियां यह भी भलीभांति जानती है कि सरकारी पैसे और साधनों के बल पर बचने की आपने भी बहुत कोशिश की है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** मैं तो तारीफ कर रहा हूं।आपकी।

**श्री भैरोंसिंह :** बच गये, इसलिये तारीफ कर रहे हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अगर उस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी और कुछ हमें नहीं कह सकते तो उस कमीशन की रिपोर्ट को इन्ट्रोड्यूस करने में हम इनएक्टिव हैं, यही मोटिव इम्प्यूट कर दिया तो इस पर सदन को ताज्जुब नहीं होना चाहिये । पर दुनियां जानती है....

**श्री भैरोंसिंह** : दुनिया जानती है कि यह सब क्या हुआ है ?

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : चोर की दाढ़ी में तिनका ।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : यह किसके लिये कह रहे हैं आप ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : डे लाइट मर्डरर्स हैं आप यह दुनियां खूब जानती है

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने, खास तौर पर अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, बिस्वेदारी और जमीदारी अबोलिशन पर थोड़ा बहुत विरोध प्रकट किया है। उनको कुछ शंकाएं हैं । कहां तक हैं, इस डिटेल में जाना समय को देखते हुए मैं अभी पसन्द नहीं करूंगा । इस सम्बन्ध में सदन ने कानून पास किया है और बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी ऐतराज किया कि गंगानगर के मामले में गवर्नमेंट ने स्टे ऑर्डर क्यों दिया ? मैं उन्हें याद दिलाऊं कि बिस्वेदारी कानून यहां चल रहा था तब भी यह कहा गया था कि गंगानगर के मामले में कहीं रियायत न हो जावे, यह शंका उन्होंने तब भी प्रकट की थी तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि गंगानगर, अजमेर, भरतपुर, अलवर या और कोई जगह हो जमींदारी और बिस्वेदारी के उन्मूलनके मूल उसूल पर सरकार कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली है । यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ । कहीं भी ये सिचुएटेड हों इन्टर मीडियरी एबोलिश होंगे । अलबत्ता यह बात जरूर है कि जागीरदारी एबोलिशन के पहले या बाद में बहुत से जागीरदारों को जैसी दिक्कतें थीं और जिनमें बहुत सी जिनुआइन थीं, उनको हमने आपस में बैठ कर, आपसी बातचीत से तय किया, उनका हल निकाला और उन दिक्कतों को मिटाया । यह हमारा फर्ज था जो हमने किया । जहां कहीं भी इस कानून के इम्प्लीमेन्टेशन में दिक्कतें हों उनके असेसमेंट में, कम्पेन्सेशन में अलॉटमेंट आफ खुदकाश्त लैंड में, डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनल प्रोपर्टी में तो ऐसी स्थिति में मुख्य उसूल पर कोई कम्प्रोमाइज़ किये बिना, उसे स्मूथली इन्ट्रोड्यूस करने की नीयत से और सबके साथ फेयर डील कर सकें इस नीयत से यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनकी दिक्कतों को सुनें और समझें और अगर उनकी वे दिक्कतें जिनुआइन हों तो उनको पूरा करें। फरदर कार्यवाही वेस्टिंग तो हो चुकी । वेस्टिंग एक बार होने के बाद डिवेस्टिंग नहीं हो सकता। पर फरदर कार्यवाही महज़ उनकी दिक्कतों को समझते हुए, उनका रूख भी इस कानून के प्रति सहयोग का बनाने के इरादे से उनकी जिनुआइन डिफिकल्टीज़ को भी हमें दूर करते रहना चाहिये । मैं समझता हूँ इसमें आप भी हमारे विचार से सहमत होंगे । फन्डामेन्टल उसूल पर हमें कहीं किसी से कोई कम्प्रोमाइज़ करना नहीं है ।

रहा सवाल अजमेर की कुछ भूमि का ।

( श्री दामोदरलाल व्यास )

कुछ माननीय सदस्य इस बात पर आपत्ति करते हैं। हो सकता है। पर मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ, यहां किसी माननीय सदस्य से मेरा मतलब नहीं है। इस मूल बात को मान लेना चाहिये कि इन्टरमीडियरी को जहां भी हो हमें एबोलिश करना है। इस मामले में एक माननीय सदस्य ने सार्वजनिक सभा में विरोध में यहां असेम्बली में जो भाषण दिया था उसे पढ़ कर सुनाया और कहा कि मैंने तो इसका बहुत विरोध किया था। तो इस पर दूसरे माननीय सदस्य ने जिनका भाषण या लेख एक अखबार में छपा था उसको पढ़कर सुना दिया।

**श्री पी० के० चौधरी** : उनका नाम बता दीजिये। क्या नाम है उन माननीय सदस्य का ?

**श्री भैरोंसिंह** : कौन माननीय सदस्य हैं वे ?

**श्री पी० के. चौधरी** : Who is that Hon'ble Member ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : तो मैं....

**श्री भैरोंसिंह** : किसी भी सदस्य पर यह आक्षेप हो सकता है। आप नाम बताइये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कोई आक्षेप नहीं है। यह तो फण्डामेन्टल....

**श्री पी. के. चौधरी** : यह जो रेफेरेन्स दिया गया है यह आक्षेप है एक सदस्य पर।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर! प्लीज़ ऑर्डर !!

**श्री भैरोंसिंह** : आप नाम बतलाइये। On a point of order, Sir.....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : तो मैं यह निवेदन कर रहा था ....

**श्री भैरोंसिंह** : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय,

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

**श्री भैरोंसिंह** : point of order sir,...

**श्री उपाध्यक्ष** : What is the point of order ?

**श्री भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा कि विधान सभा के एक माननीय सदस्य ने विधान सभा में दिये हुए अपने भाषण को सार्वजनिक सभा में पढ़ कर सुनाया, दूसरे ने अपना अखबारों में छपा भाषण पढ़ कर सुनाया; तो इससे किसी भी मेम्बर पर आक्षेप आ सकता है, जब तक कि उस पर्टीकूलर मेम्बर का नाम न बता दें। माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध की जानकारी दें कि किस मेम्बर ने ऐसा किया।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इसको नियमापत्ति नहीं मानता हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : माननीय सदस्य कम से कम नहीं हैं।

(हंसी)

यह विश्वास वे रक्खें। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक बेसिक बात है हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसको मद्दे नजर रक्खें।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हमने यह विधान सभा में, यहां फैसला किया है कि इन्टरमीजिएरी का खत्म करना है। अब रहा, जैसे गंगानगर के लिये कहा ! उनके लिए भी कहता हूँ, जहां कहीं भी खेवटदार हों, बिस्वेदार हों अगर उनकी अपनी कोई दिक्कतें हैं तो उनकी ये दिक्कतें गवर्नमेंट सुनने को तैयार है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको समय भी दिया उनके डेपुटेशन को मिलने का। हम उनकी दिक्कतों को साफ करने के लिए भी हर सम्भव कोशिश करेंगे इससे हमारी भी कम से कम दिक्कतें होंगी अपने मकसद को पूरा करने में, इससे वे भी सहमत होंगे। हम भी चाहते हैं कि इस मकसद को पूरा करने मे वे भी हमारी मदद करें बमुकाबिले विरोध करने के। अगर हम उनकी जिनुआइन दिक्कतों को भी नहीं सुनेंगे तो इससे कॉम्प्लीकेशन्स होंगे। अब जो बेसिक बात है उसको तो गवर्नमेंट को पूरा करना ही पड़ेगा।

(४ म० प०)

तीसरी बात बांदीकुई—बस्वा से आये हुये माननीय सदस्य ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताई थी कि उनको बड़ी दिक्कतें पेश आईं और खास तौर से लैण्ड अलॉटमेंट के अन्दर और उन्होंने बहुत ही दर्दनाक किस्सा उसके बारे में सुनाया जिससे मालूम होता है कि उनको बहुत परेशानी इस बात की थी कि वे जंगलों में गए और उनको जमीन नहीं मिली और आखिर में वे मजबूर होकर बैठ गए। यह बात ठीक है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सवाल है मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अन्दर जयपुर डिस्ट्रिक्ट ही कोऑपरेटिव फार्मिंग के मामले में सबसे आगे है। यह ठीक है कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां जमीन का अलटॉमेन्ट वक्त पर नहीं हो सका है। खास तौर से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तो, जिसका नाम आपने बताया था, जिसमें एस० डी० ओ० ने खातेदारी राइट्स दे दिए। लेकिन आपने यह महसूस नहीं किया कि ज्यों ही कलेक्टर के नोटिस में यह आया उन्होंने पटवारी को सस्पेन्ड कर दिया और इन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट करवा दी और जितने भी पेपर्स ऑफिस कानूनगो के पास थे, या पटवारी के पास थे सब पकड़वा लिए और उन पर कार्यवाही करा रहे हैं। यह देखने के लिए कि किस लेविल पर किस तरह की गड़बड़ हुई है, वह इस चीज़ के बराबर लिए एक्शन ले रहे हैं। बाकी और आपके हल्के में चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं। आपका ख्याल है कि इनको ज़मीन पूरी नहीं मिली। मैं आपको बताऊं कि इनको १४५ बीघा ज़मीन मिल चुकी है। बाकी और सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज़मीन मिल चुकी है सिर्फ एक को नहीं मिली है जिसके लिए आप कह रहे थे। जयपुर डिस्ट्रिक्ट एज़ ए होल आप देखेंगे कि कुल १३०२३ एकड़ ज़मीन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलॉट हुई है। यह डिफरेन्ट सोसाइटीज़ बनी हैं इनमें से ६३० तो शिड्यूल्ड कास्ट की, १२४ शिड्यूल्ड ट्राइब्स की और ३६८ दूसरी हैं। और जो लैण्ड १३०२६ एकड़ अलॉट हुई है उसमें से २०८७॥ जनरल कल्टीवेशन में है और कल्टीवेशन में २००० के करीब एरिया आ चुका है। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कार्यवाही नहीं हो रही है। पोज़ीशन यह है कि लैण्ड अलॉटमेंट हो चुका है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने जमीन नहीं

( श्री दामोदरलाल व्यास )

ली। लेकिन जो शिकायत आप कर रहे थे उनको बाद में लैंड अलॉट हो गई है और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके ६० बीघा के ऊपर झगड़ा है उसका केस चल रहा है और इसी तरह से कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने लैंड के इनफीरियर क्वालिटी होने के कारण इन्कार कर दिया और कुछ सोसाइटीज़ को नहीं मिली है। इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा कि और वह अक्सर चरागाह के ऊपर खास तौर से बाड़मेर के ऊंट वाले, बकरी वालों के लिए कहते हैं। मैंने कहा कि हम इस राज्य के अन्दर धांधली नहीं कर सकते। यह ऑटोक्रेसी नहीं है। यहां विधान सभा कानून बनाती है और उनके तहत हमें हुकूमत को चलाना पड़ता है। वह चाहते हैं कि जिन लोगों के खातेदारी के राइट्स हैं उनके ऊपर चारने के लिए हर एक को अधिकार दे दें। यह हम नहीं कर सकते....

**श्री अनोपसिंह** (बलोतरा) : यह मैंने कब सजेस्ट किया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इस विधान सभा में आपने बीस दफा सजेस्ट किया। वह चाहते हैं कि हर बकरी के लिए दो-तीन बीघा ज़मीन दे दें, यह कैसे हो सकता है ? मगर यह बात जरूर है कि कैटल ब्रीडिंग और शीप ब्रीडिंग के लिए गवर्नमेन्ट की एक डेफीनिट पॉलिसी है और इसके लिए गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट करने का निश्चय किया है, लेकिन उस एरिया में किया है जो कि डेज़र्ट एरिया है और जिनका मेन आकुपेशन शीप ब्रीडिंग और कैटल ब्रीडिंग है। लेकिन रेबारी वगैरह को खातेदारी ज़मीन के ऊपर इजाज़त दे दें, वह बात ठीक नहीं रहेगी। बाकी रहा लैंड रिफॉर्म्स के इम्पलीमेंटेशन का सवाल और जहां सेक्शन १५ और १६ खातेदारी राइट्स का सवाल है मैं समझता हूं कि एक-दो महीने के अन्दर ये सारी बातें पूरी हो जायेंगी। वैसे कोशिश तो मार्च में ही कर रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं राजस्थान बहुत बड़ा है और काम भी बहुत बड़ा है। इस लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको खातेदारी के राइट्स जल्दी से जल्दी मिल जायें। बस इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन से राज्यपाल महोदय के भाषण पर वादविवाद चल रहा है। उनके भाषण में चार-पांच लाइनें सुरक्षा और शांति-व्यवस्था के बारे में थी। उस पर कुछ सम्माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की। कहीं तो साधारण सी बात थी कि इस वर्ष गये वर्ष की भांति सुरक्षा शान्ति की व्यवस्था संतोषप्रद रही और कुछ डाकुओं के गैंग भी कम हुए। इस पर काफी वाद-विवाद रहा और कुछ भाइयों ने कहा कि डाकू कम हो गए, उससे क्या कुछ सुरक्षा और शांति का पता चलता है ? सुरक्षा और शांति की जांच करने के लिए कि ठीक है या नहीं, उसके लिए तो और कसौटी है। डाकू तो कम हो गए तो। असल में बात यह है कि सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था ऐसी है कि जब वह ठीक होता है तो उसकी अहमियत कम मालूम होती है। जब कहीं गड़बड़ी होती है तो फील होता है कि न्याय सुरक्षा ठीक है या नहीं। थोड़े दिनों के लिए धौलपुर सब-डिविज़न में थोड़ी सी

( श्री रामकिशोर व्यास )

गड़बड़ी आ गई थी। देखिये किस कदर परेशानी थी ? जब किसी चीज़ का अभाव होता है तो उसकी ओर नज़र जाती है और नहीं तो अभाव नहीं होता तो कहा जाता है कुछ नहीं, कुछ नहीं....। तो अब कसौटी क्या बताई कि दैनिक जो रोजमर्रा के कामकाज हैं उनमें किस तरह से क्या हो रहा है उससे जांचना चाहिए कि न्याय सुरक्षा ठीक है या नहीं। कुछ मिसालें दी गई कि जिससे पता चल सकता है कि शांति सुरक्षा की व्यवस्था ठीक थी या नहीं। एक उदाहरण दिया कि बीकानेर के सेशन्स जज ने ७ आदमियों को एक्विट कर दिया। मैं कहता हूं कि अगर ७ आदमियों को एक्विट कर दिया तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था से क्या मतलब ? मुक़दमा बना, अदालत में गया और अदालत ने उनको छोड़ दिया, इसमें सुरक्षा व्यवस्था क्या करेगी ? आपका यह कहना कि वह इसलिए छूट गए होंगे कि पुलिस ने कुछ कोताई रख दी होगी। पर आपने यह नहीं कहा कि क्या कोताही रख दी जिसमें मुलज़िमों को बरी कर दिया गया। मैं इत्मीनान इस बात का दिलाना चाहता हूं कि अदालत में ऐसा होता है कि अगर वह इस प्रकार का नोट दे दें कि पुलिस की कोताही के कारण ऐसा हुआ है तो हम पुलिस के खिलाफ़ कार्यवाही भी करते हैं। आप कोई जनरल बात कह दें तो उससे तो काम नहीं चलता। मैंने उसके जजमेंट की कॉपी मंगाई है लेकिन वह समय की कमी के कारण नहीं आ सकी। मगर पुलिस की कोताही की वजह से हुआ, तो certainly we will look to it,

दूसरी बात पर जो आपने जोर दिया कि सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि ऑफिसर्स को इत्तला दे दी और फिर भी आदमी मार दिया जाये तो यह कैसी सुरक्षा व्यवस्था है और उसकी मिसाल बूंदी की दी। उसमें एक महिला थी उसका दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया और उसकी ऑफिसर्स को इत्तला दे दी। मैंने इसकी जानकारी की और मुझे मालूम पड़ा कि जिस तरह से आप फर्मा रहे थे उसी तरह का वाक़या था। एक मुसम्मात मांगली थी। वह सरकिट हाउस में गई और उसने कहा एस० डी० ओ० को कि एक मदन नाम का व्यक्ति है उसको उससे खतरा है और उससे मेरी हिफ़ाजत की जाये। उस समय एस० पी० ने कोतवाली को टेलीफोन किया कि यह औरत आ रही है और इसके केस को देखना। वह कोतवाली गई और उसने अपने वाकयात बताये और जब वह कोतवाली से वापिस आ रही थी तो मदन ने उसका तलवार से कतल कर दिया और कत्ल करके वह अपने घर गया और बन्दूक से अपने आपको शूट कर लिया। उसका कारण क्या था कि मांगली और उसके बीच में कुछ संबंध थे और फिर गहने लेकर वह चली गई तो उनके आपस में नाराजगी हो गई। तो इसमें आप समय देखेंगे, वक्त देखेंगे। जैसे ही वह गई टेलीफोन किया। वह कोतवाली गई और वापिस आई। यह सारी ही कुछ घंटों की बात थी। इसमें क्या गलती है पुलिस की, आप बतायेंगे ?

दूसरा केस आपने बताया, रतनगढ़ का एक बलबीर हलवाई था उसको मर्डर कर दिया। मैं समझता हूं कि बलबीर वाले मामले में तो पुलिस की गलती कतई पैदा ही नहीं होती है। इसमें इस कदर पुलिस ने एतियाती बरती है उसके पूरे वाकेआत मैं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि वाकई पुलिस

( श्री रामकिशोर व्यास )

ने होशियारी से काम लिया। आपका यह फर्माना है कि पुलिस को इत्तला दी। यह बिल्कुल बात सही नहीं है कि इत्तला दी है वे सारी बातें आपके सामने रख दूंगा। फलां आदमी से जान का खतरा है उसकी व्यवस्था की जाय, ऐसी इत्तला नहीं दी। वाकेआत इस तरह के हैं कि किसी तारीख में जिसकी कोई विशेष बात नहीं है। एक रोज रात को बलबीर और उसका लड़का दूकान से आ रहे थे। रास्ते के अन्दर कुछ लोग जो कि बाद में इस मुकद्दमे के मुलज़िमान बने उन्होंने लकड़ी से मुहाफा किया। दोनों गिर गये। पड़ोस के आदमी थे उन्होंने सुना, वे आ गये। उन्हें हॉस्पिटल में ले गये और पुलिस को इत्तला दी। तो पुलिस इमीजियेटली आई और हॉस्पिटल में गई और उसका मुआयना करवाया। रात को पुलिस के आदमी जिन जिन लोगों के खिलाफ उन्हें शक था कि पॉसिबली ये मुलजिमान हैं, उन सबके मकानों पर चले गये कि कहीं रात को ही चुपके से बाहर नहीं निकल जायं। उनसे कहा गया कि रातको उन्हें जगाने की ज़रूरत नहीं है। वे सुबह जब बाहर जायं तो बाहर नहीं जाने दें। उसी वक्त इन्तज़ाम कर दिया गया, और सुबह होते ही ६ बजे उनको पकड़ लिया गया। उससे ज्यादा आप क्या आशा करते थे पुलिस से ? पुलिस ने इसमें क्या बेपरवाही की। उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करा दिया। मुलजिमान बाहर नहीं निकल जायं, उसकी निगरानी रखी। रात को १॥ बजे सोते हुए आदमी जगाने के बजाय सुबह होते ही पकड़ लिया तो क्या कोताही की बात की पुलिस ने ? मैं उसके फेक्ट्स बताना चाहूं कि उसको टोका क्यों था। काफी लम्बे वाकेआत हैं। समय की कमी की वजह से उसमें नहीं जाना चाहता हूं। उनकी अदावत थी, चन्द वजूहात थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से किया। एक दफा पहले भी उनको पीटा था, और ३२३ का केस था। उन्होंने पुलिस में जाकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे फलां आदमी ने मारा तो पुलिस ने ३२३ का केस उस पर आयद कर दिया और अदालत में दावा कर दिया। ऐसी कोई इत्तला कि उसकी जान को खतरा है, कोई उसको मारना चाहता है, कोई इत्तला नहीं दी।

दूसरा केस जिसमें आपने मेरे खयाल से यह फर्माया है कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है,,उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्स को बगैर देखे ही आपने कह दिया। इसमें सुरक्षा व्यवस्था का कौन सा ऐसा काम हो गया जिसकी वज़ह से सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा। मैं मुख्तसर वाकेआत आपको बतलाऊंगा। सरदारशहर में बापू सदन नाम की एक संस्था है। उसके पास में कुछ आराज़ी एक मुसम्मात सूखी हैं उनकी थी उस पर शहीद स्मारक बापू सेवा सदन वहां पर एक स्कूल चला रहा है। यह सब कुछ हुआ ५७ में। उसके बाद में सन् १९५९ में एक शख्स जो कि चेअरमैन थे वहां की म्युनिसिपैलिटी के उन्होंने उस ज़मीन को खरीद लिया। खरीदने की बातचीत सन् ५७ से चल रही है,और फाइनल सन् ५९ के दिसम्बर के अन्त में जाकर हुआ। उस समय बापू सेवा सदन के पज़ेशन में वह ज़मीन थी। उन्होंने उस पर स्मारक बनाया था जो कि वहां पर मौजूद था। पूरा अधिकार उन लोगों का था। बाद में उन्होंने टाइटल ट्रान्सफर करवाने की

( श्री रामकिशोर व्यास )

कोशिश की । रात के समय उन्होंने ( चेअरमैन ) ने जिस समय कि लड़के पढ़ रहे थे कहा कि खाली करो । वहां पर जो स्कूल के हैड मास्टर थे उन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट की कि इस तरह से मोहनलाल जो चेयरमेन हैं म्युनिसिपैलिटी के वह और दो आदमी आये हैं और उनको हटाना चाहते है । थाने में रिपोर्ट की तब थानेदार ने ४ कॉन्सटेबिल और एक हैड कॉन्सटेबिल को मौके पर भेजा । उन्होंने मौके पर जाकर ११ बजे रिपोर्ट की कि समझा दिया है दोनों को और झगड़े की पॉसिबिलिटी नहीं है । वह आ गये । उसके बाद में चेयरमैन साहब की पार्टी ने रात को उसको तोड़ दिया । जब वह तोड़ रहे थे तो रात के २ बजे फिर वह हैड मास्टर पुलिस में गये और इत्तला की और उस वक्त रात को सब इन्स्पेक्टर ने इन्कार कर दिया मौके पर जाने के लिए । उसके बाद में सारा किस्सा चला । यह जो चीज़ थी वह एस. पी. तक मामला गया और १४५ की कार्यवाही करके उस लैण्ड को अटेच कर दिया और केस एस. डी. एम. की अदालत में भेज दिया । उन्होंने तोड़ने की कार्यवाही की तो उनके खिलाफ केस बना और केस रजिस्टर होकर दायर हुआ । मैं जिस पोर्शन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और खास तौर से इस पर कि उन्होंने कहा कि पुलिस की नज़र के अन्दर तुड़वाया । तो यह कहना कि पुलिस की नज़र के अन्दर तुड़वाया गलत है, गलत है । यह समझ में आता है कि सब इन्स्पेक्टर को रात को जाना चाहिए था और वे नहीं गये; यह उनकी शिकायत होती तो वाजिब बात भी थी । लेकिन यहां पर यह कहा गया कि वह पुलिस की नज़र में टूटा या तुड़वाया गया यह, बात बिल्कुल गलत है । सब-इन्स्पेक्टर की गलती थी कि वह रात को नहीं गया उसको जाना चाहिए था । जब यह मामला मेरे नोटिस में आया तब उसको सस्पेन्ड कर दिया । यह मैंने फेक्ट्स बताये हैं कि इस तरह की सूरत थी । He is under Suspension तो सरदार शहर के बापू सेवा सदन के मामले का जहां तक सुरक्षा का ताल्लुक है इसमें कौनसी बात है कि जिससे पता चलता है कि सुरक्षा व्यवस्था खराब है, शान्ति व्यवस्था खराब है । लैण्ड डिस्प्यूटेबल है । दो आदमियों का झगड़ा था । पुलिस पहुंची । १२ व १ बजे वे नहीं गये । उन्हें जाना चाहिए था वह उनकी गलती थी । उसको ( सब-इन्स्पेक्टर ) को सस्पेन्ड कर दिया । उसके बाद में कार्यवाही होगी ।

तीसरा केस और मैं बतलाता हूं उसके वाकेआत । वैसे एक दो इन्डिविजुअल केसेज़ में गलती हो सकती है, मेरा दावा इस तरह का नहीं है कि बिल्कुल गलती नहीं हो सकती है । लेकिन एक जनरल कन्क्लूज़न निकाल लें कि शान्ति व्यवस्था खराब है । यह नतीजा निकालना नामुनासिब है ........

**श्री मनोहर कोठारी** ( कुम्भलगढ़ ) : सोशल एक्सटेन्शन ऑफिसर की जो ट्रेनिंग पार्टी थी उसको धौलपुर के पास में डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया ।

**डॉ० बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : वह मध्यभारत की थी ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : उनको तो पूछना है चाहे वह धौलपुर की हो या मध्यभारत की

(हंसी)

( श्री रामकिशोर व्यास )

कुछ और बातें सदन के सामने लाई गई, और कहा यह गया कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस कदर निकम्मा है. इस कदर खराब है कि उसमें रखा क्या है। आगे बढ़ने की बात नहीं है उसमें नाथद्वारा कमीशन को मेन्शन नहीं किया, वह निहायत दो कौड़ी का भाषण है। It is nothing at all. और हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने वाकई इसकी पाबन्दी की है। जो कुछ राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। पूरी तरह से उसको निभाया है। जितने प्रिन्सिपल्स उन्होंने ले डाउन किये थे, जितनी बातें कहीं थीं, उनको टच नहीं करके उससे अलग कहा। जो बातें उसमें थीं वे नहीं कहीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत सी बातें इस तरह की इन्ट्रेस्ट की हो सकती थीं जो कि हमारी पंचवर्षीय योजना की बातें हैं, विकास की बातें हैं, डिसेन्ट्रलाइज़ेशन की बातें हैं, कहीं न कहीं तो उनकी दिलचस्पी हो सकती थी। मैं इन पर खास कोई सुझाव न रख कर चन्द मुद्दों पर ही महदूद रखूंगा। ज्यादातर इसमें यही रहता है कि यहां भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, दुराचार है, अनाचार है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया है। यह भी एक जरूरी अंग समाज का है तो इस ओर भी ध्यान जाना चाहिये, इनमें कमी करनी भी चाहिये इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन सब कुछ यही नहीं है और भी कंस्ट्रक्टिव साइड हैं। लेकिन आपका ध्यान इविल साइड की ओर ही ज्यादा रहा। और भी महकमों की तरफ है इसकी ओर ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहेंगे। पुलिस की ओर ध्यान दिलाया। झुन्झुनू का वाकिया था, एक शिवदानसिंह थानेदार था उसके बारे में फर्माया, रेप की शिकायत थी। ६ महीनों के लिये उसको डिग्रेड करके हैड कॉन्स्टेबल बनाया, इसका मतलब यह हुआ कि उसको ६० या १०० रु० का नुक्सान हुआ। रेप की कीमत ६० या १०० ही हुई, राजस्थान गवर्नमेन्ट का यही फैसला हुआ। इसकी इन्क्वायरी हमने करवाई, सस्पेन्शन का मैंने ऑर्डर दिया, इन्क्वायरी कराने का ऑर्डर दिया, उसके बाद जब यह मामला आया तो आई० जी० पी० साहब ने ६ महीनों के लिये उसे हैड कॉन्स्टेबल बनाया। उसके बाद जब जब सेक्रेटेरियेट में अपील आई तो हमने लिखा कि यह सजा कम है, और दी जाय। इधर उसने भी अपील की उसको नियमानुसार पी० एस० सी० के पास भेजना पड़ा। वहां से यह लिखा हुआ आया कि यह सज़ा गैर मुनासिब है, पर्सनली उसको हियर नहीं किया, हालांकि उसको पूरा मौका दिया था, आई० जी० पी० ने हियर किया था। मैंने खुद ने फील किया कि बाकायदा कार्यवाही होनी चाहिये। इसमें एक बात देखने की यह भी है कि ६ महीने की जो उसको सजा दी थी वह रेप के बारे में नहीं थी। रेप कमिट होना साबित नहीं हुआ लेकिन उसका सरिपश्यस कंडक्ट था, उसने इर्रेगुलेरिटीज़ कमिट की थीं, इस पर उसको सजा दी थी।....

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : डी० आई० जी० ने क्या लिखा है, डिसमिसल का लिखा या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इस बारे में मुझे मालूम नहीं है, इसको मैंने नहीं देखा।

**श्री भैरोंसिंह** : इसे भी देखना चाहिये।

**श्री रामकिशोर व्यास** : देख लेंगे। दूसरी बात जो है, जनरल रेफरेन्सेज़ आपने दिये थे जैसे बांदीकुई का केस था। इसके बारे में भी निवेदन करू कि यह प्रश्न भी कई बार आया और उसका जवाब भी दिया लेकिन इसके भी फेक्ट्स बता दू। एक महिला दरख्त के नीचे बैठी थी और वह तकलीफ की हालत में थी। बस में वह गीजगढ़ गई और वहां उसकी डैथ हो गई। पुलिस में इसकी इन्फोर्मेशन आई, उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हुआ; लेकिन आइडेन्टिफिकेशन नहीं हुआ फिर भी काफी इन्क्वायरी पर पता चला कि रेलवे के इंजिन ड्राइवर थे और भी लोग थे जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की थी, उनका चालान किया और अदालत में भेजा। इसका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। रेल्वेवालों की शिकायत थी ....

**श्री भैरोंसिंह** : मजिस्ट्रेट ने फैसले में पुलिस के खिलाफ क्या लिखा है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मुझे पता नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : इसका पता आपको क्यों होगा ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आप बता दें। लैक ऑफ एविडेन्स की वजह से हुआ। काफी मेहनत के बाद चालान पेश किया गया था। आप व्यभिचार की बात कहते है, वैसी बात नहीं है। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पुलिस का काफी बड़ा महकमा है, इसमें कई आदमी कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि अगर आपको कोई शिकायत हो तो वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के सामने लानी चाहिये, मेरे नोटिस में लानी चाहिये, फिर भी अगर सन्तुष्ट नहीं हों तो यहां लावें। जैसा आप कहते हैं वैसी बात नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आप मुझ पर खास कृपा रखते हैं, मेरे लिये आपके दिल में जगह है इसलिये अक्सर याद करते रहते हैं, वक्त तंग रहता है तो भी याद करते हैं और कई अच्छे अच्छे शब्द भी काम में लाते हैं; नाकाबिल है, नालायक है, उनकी मोहब्बत मुझ पर है। कभी किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो कानून-कायदे ताक पर रख दिये जाते हैं। मोहब्बत में बंधिश रहती नहीं है। आपके लिये पाबन्दी नहीं है लेकिन मुझको अगर कुछ कहना पड़ता है तो पाबन्दी के साथ कहना पड़ता है लेकिन आपके साथ किसी तरह के खुशकिस्मती से बंधन नहीं है....

**श्री चंदनमल वैद** (सरदारशहर) : Everything is possible in law.

**श्री रामकिशोर व्यास** : जाती मामले में भी आपने कुछ फर्माया, उस पर मुझे खास कुछ कहना नहीं है। जिन अलफाजों में आप कहते हैं उनमें मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरी तहजीब उनको गवारा नहीं कर सकती। लेकिन यह बात जरूर है कि आप अक्सर कहते हैं कि मैं गृह मंत्री नहीं रहूं। आप मेरी जगह हों और मैं आपकी जगह होऊं, फिर दो-दो बातें हों तो मजा जरूर आवे।

(श्री रामकिशोर व्यास)

एक आपका शिकार छोटासा महकमा डी० पी० आर० का है। उस पर आप इतनी तकलीफ फर्माते हैं, इन्क्वायरी करवाते हैं। आप कहते रहते हैं कि यह मंत्री कोई एक्शन नहीं लेते, पता नहीं क्यों चुप रहते हैं। मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हू, आपके ज़रिये, यह कहा जाता है कि इन्क्वायरी नहीं होती, यहां बेईमानी है। पहले भी मैंने कहा था और अब भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि डाइरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी या और कोई मेरे नीचे के महकमे का कोई अफसर अपनी पॉवर्स को मिसयूज़ करता है या पैसा खाता है तो I am always open to enquiry. गवर्नमेंट प्रोपर्टी का मिस यूज़ करता है तो I am always open to enquiry. I am ready to make enquiry what is possible.

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूं कि यहां एक चीज को कई बार दोहराया जाता है। हकीकत यह है कि कहीं कोई ऑफिसर बनना चाहता है, कोई डी. पी. आर., डिप्टी डाइरेक्टर बनना चाहता है तो वे आपको वक्तन व वक्तन तकलीफ देना चाहते हैं........

**श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा): सदन का तो कोई मेम्बर डिप्टी डाइरेक्टर नहीं बनना चाहता।

**श्री रामकिशोर व्यास**: वे आपको इत्तला नाकाफी और इकतरफा देते हैं। मेरी बदकिस्मती यह है कि मुझे दोनों तरफ से देखना पड़ता है। सदन इस बात को हमेशा के लिये समझ ले। एक डी. पी. आर. हमारे डिपार्टमेंट के थे, उनके खिलाफ इन्क्वायरी करने के लिये लिखा। मिस्टर आहुजा ने उनकी इन्क्वायरी की। इन्क्वायरी के दौरान में उनके महकमे का जब जवाबदावा पेश हुआ तब उन्होंने उसमें दस-पांच बातें और बता दीं और लिखा कि जब हमारी गलतियां ये निकालते हैं तो इनकी भी ये ये गलतियां हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिये। कमिश्नर ने जो फाइन्डिंग्स दी उसमें लिखा कि ये ये बातें हमारे नोटिस में आई हैं। यह कागज घूमता घूमता हमारे नोटिस में आया तो हमने कहा कि इसकी भी इन्क्वारेयरी होनी चाहिये। इस बारे में बहुत जोर से कहा गया कि न मालूम क्या इन्ट्रेस्ट है जिसकी वजह से छिपाया जा रहा है, नोटिस में नहीं लाया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि इसमें क्या बात है। जितने १०-१५ पॉइन्ट हैं, वे करीब करीब पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में हैं, वे ही आप साहब फर्माया करते हैं, बजट के मौके पर, राज्यपाल महोदय के भाषण के मौके पर, १०, १५ पॉइन्ट है, जो रिपीट होते रहते हैं, रोटेशन चलता रहता है। दो चार सदस्यों द्वारा, जिनकी ज्यादा मेहरबानी है। मैंने आपसे कहा कि वही पॉइन्ट हैं, उनके लिए आलरेडी ऑर्डर दे चुका हूं कि इन्क्वायरी की जाय, वह कमिश्नर ऑफ इन्क्वायरी के पास पेडिंग है। पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी ने जो पॉइन्ट्स रेज़ किये हैं, उनमें से बहुत सारे कवर हो जाते हैं, ८० पर्सेन्ट पॉइन्ट हैं, जो अन्डर इन्क्वायरी हैं। जो पी. एस. सी. की रिपोर्ट आई है, उस पर जवाब पूछा है कि क्या क्या कहना है ताकि फरदर कार्यवाही कर सकें। मैं सदन को इत्मिनान दिलाना चाहता हूँ कि न तो कुछ छिपाने का सवाल है, जो एक्शन लेने की बात है, वह लिया जायेगा,

( श्री रामकिशोर व्यास )

और जो पॉइन्ट्स हैं, उन पर ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं; पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में जो पॉइन्टर हैं, जो इससे कवर हो गये हैं। एक सदस्य ने कहा कि इन्क्वायरी की जाय, वह हमने किया। फिर यह कहना कि इन्क्वायरी नहीं होती, तो यह आपके गौर करने का प्रश्न है। यह फर्माना कि इन्क्वायरी नहीं हो रही है, ना मुनासिब है।

एक बात और जो ऑल इंडिया लेवल पर पब्लिक रिलेशन डाइरेक्टर के लिए हुई है, जिस पर........

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : गवर्न करना चाहिए।

**श्री रामकिशोर व्यास** : कर सकते हैं। आज के अखबार में पढ़ा है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर एग्ज़ीबिशन हुई, उसमें राजस्थान की एग्ज़ीबिशन थी, उस पर चार इनाम मिले हैं, किसी स्टेट को जो इनाम मिले हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान को मिले हैं

( करतलध्वनि )

इसके अलावा थर्ड प्राइज़ नहीं मिले हैं, फर्स्ट प्राइज़ मिले हैं, वे भी मिले हैं। जैसा कि फर्माया गया कि पांच रुपये का घड़ा खरीदा था, वह क्या था। मैं निवेदन करूं कि उस पर इनाम मिला है

( हंसी )

वह बात यह है, भैय्याजी, वह दो रुपये में खरीदे, उस पर ऑइल पेंटिंग का वर्क था, उसका दर्वाज़ा बनाते हैं, सुराख होता है, सुन्दर करके बनाते हैं। उसके लिए दो रुपये जरूर दिये गये, पांच रुपये नहीं दिये हैं, लेकिन इनाम भी मिला है, यह राजस्थान के लिए अच्छा है। गये साल जो एग्ज़ीबिशन हुई थी दिल्ली में, उसमें भी इनाम मिले थे........

**श्री भैरोंसिंह** : मेन्योवर करने में एक्सपर्ट हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मेरिट की बात है तो मेन्योवर है। नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट आ जाय, तो कहते हैं न्याय बिकता है। आपकी मर्जी के माफिक चीज़ हो, तो अच्छी लगती है, मर्जी माफिक चीज़ न हो तो कहेंगे गलत है।

समय हो गया है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आशा है आयन्दा भी रचनात्मक सुझाव मिल सकेंगे। इतना ही निवेदन करना है।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : ( मुख्य मंत्री ) माननीय उपाध्यक्ष....

(करतल—ध्वनि)

महोदय, इस बार राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण यहां पर हुआ और उसके बाद जो वादविवाद हुआ और उस वादविवाद के बाद जो अभी इस तरफ से उत्तर देने पड़ रहे हैं, उस सब पर, मैं समझता हूं जो भी गम्भीरता से विचार करता होगा, सबको यह ख्याल जरूर आता होगा कि राज्यपाल महोदय के भाषण के अवसर पर कुछ बड़ी बड़ी नीतियों पर चर्चायें करने का, पहले जो कुछ हुआ, पिछले वर्ष में, उस पर और आगे के

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

बारे में कुछ वादविवाद हो और वादविवाद होकर उससे कुछ रास्ता सुगम बने। मैंने यह देखा कि यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने तो इसकी तरफ ध्यान आकर्षित कराया और कुछ चर्चायें की, लेकिन जिस बात का ज्यादा जवाब इस तरफ बैठे हुए सदस्यों को देना पड़ रहा है, वह एनीमल हज़बेन्ड्री के अलग अलग इन्स्ट्रूमेंट और दूसरी चीजें और इधर उधर की जो बातें बहुत सी सदन में आई, उन चीज़ो पर दुबारा फिर से ज्यादा वक्त समझा इरा करने में लगता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे, अगर मैं यह निवेदन करूं तो कि अच्छा यह हो कि कहीं किसी के बारे में शिकायत हो तो वे अलग अलग सम्बन्धित मंत्रियों से, इस सदन की बैठक के अलावा भी बात की जा सकती है और शायद उस प्रकार से किया जाय तो उनको ठीक करने में भी मदद मिल सकती है। एक तरफ फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि बैंगलोर में एक प्रस्ताव पास हुआ है और हमको इस बात की कोशिश करनी है कि जिम्मेदारी हम कुछ ऑफिसर्स पर फिक्स-अप करें और इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या दरअसल यह सदन उस प्रकार का वातावरण बनाने में इस प्रकार की चर्चाओं से वातावरण बनाता है। मैं ठीक निवेदन करना चाहता हूं झिझक के साथ, फिर भी कटु सत्य कहना चाहता हूं, कि आज के दिन जो इस प्रकार की चर्चायें होती हैं, उनसे बहुतसों के अन्दर ऐसी मनोवृत्ति पैदा होती जा रही है कि फैसला न किया जाय, कागज को आगे टाल दिया जाय, अगर अकेले फैसला किया तो न मालूम क्या जिम्मेदारी आ जायगी। इस प्रकार इनीशियेटिव को खत्म कर रहे हैं कि आदमी एक हिम्मत के साथ वाजिब फैसला करे, उसकी हिम्मत कम हो जाती है। आज जो चर्चा हो रही थी, एनीमल हस्बेन्ड्री की चर्चा करना चाहते थे, काफी चर्चा हो जाती, अगर माननीय सदस्य कहते कि टेन्डर में स्पेसिफिकेशन स्पष्ट नहीं थे और फिर पर्चेज़ेज़ की जा रही हैं, वह वाजिब नहीं है, उसके बारे में रोकथाम की जानी चाहिए, क्या किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ से सेम्पल लेकर आये और उन्होंने बताये। मुझे क्षमा करें, इससे असर पड़ता है कि सेम्पल क्यों लाये जा रहे हैं, कौन दे रहा है, किसकी पैरवी हो रही है। एक एक सेम्पल को दिखाया जाय तो जनरली कहा जा सकता है। जो सेम्पल लाये गये और फिर कहा कि यह सेम्पल है, कौनसी दूसरी चीज़ खरीदनी चाहिए, यह जनरल तरीके से कहें तो उचित नहीं है कि स्पेसिफिकेशन के बिना यह क्या किया जा रहा है।

दूसरी बात मैं निवेदन करूं कि इस सदन में यह बात चर्चा में आई कि इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड द्वारा क्रोमटम कम्पनी को टॉवर इरेक्ट कराने के लिए बिना टेन्डर के काम सौंपा गया है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, यह कह दिया जाता कि जानकारी नहीं है, जानकारी की वजह से कह दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह कहा साथ में कि यह मद्रास की कम्पनी है इसलिए कॉन्ट्रेक्ट इस कम्पनी को दिया गया, इस बात को दिखाने के लिए कि यह मद्रासी कम्पनी है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेअरमैन मद्रासी हैं, इसलिए मद्रासी को फेवर किया गया है। मैं यह कहता हूं कि इसके फेक्ट में जायें तो फेक्ट की बात है कि टेन्डर इन्वाइट किये

Page No.108



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

गये और टेन्डर्स इन्वाइट करने के लिए एक नहीं, उन टेन्डर्स को एग्ज़ामिन किया गया, जो सी० पी० डब्ल्यू० सी० जो ऑल इंडिया का पॉवर कमीशन है, उसके हैयात चेअरमैन हैं, वे और बालाई और चीफ इन्जीनियर ने मिल कर टेन्डर एग्जामिन किये, एग्जामिन करके, जो बहुत से टेन्डर आये थे, उनमें से दो को तय करके उनमें से एक को टेन्डर देना तय किया था, वह क्रोमटम कम्पनी को देने की बात तय हुई। इसको इसलिए दिया जाना चाहिए था कि काम जल्दी होगा और बड़े तरीके से होगा। यह उस कमेटी तरफ से फैसला किया गया। उसके बाद यह सारा मामला चम्बल कंट्रोल बोर्ड के सामने गया, चम्बल कंट्रोल बोर्ड ने एप्रूव किया। उसके बाद यह काम सौंप गया। तो मैं नहीं समझता कि हम उस बात को इस तरह से यहां रखने की कोशिश करें जैसे यह बात इम्पूयूट करना चाहे कि सारी बातें बेइ-मानी की निगाह से हो रही हैं। इस तरह की चर्चा करने से किसी व्यक्ति पर भी यह असर हो सकता है कि यह सब काम काज करने के बाद कोई व्यक्ति यह कहने को उतारू हो और यह कहना शरू करें कि काम किया गया है, उसके पीछे यह नीयत है। मैं निवेदन करू कि नाथद्वारा कमीशन नियुक्त किया, यह अपने ढंग का एक उदाहरण है। जब यहां पर आक्षेप किये, मुझ पर आक्षेप किये गये तो मैंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस को इस मामले में मुकर्रर करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे इन्वोल्ड बताया गया था; वे देखें और अपनी राय जाहिर करें कि क्या है, क्या नहीं? उन्होंने देखा और फसैला कर दिया। जो पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से विरोधी दल में माननीय सदस्य बैठते हैं वे इस बात को एप्रीशियेट करते कि कमीशन ने राय जाहिर की है, वह गलट है और इसमें किसी मिनिस्टर का हाथ नहीं रहा। लेकिन बात उन पर असर नहीं कर सकती। जिस वक्त अविश्वास का प्रस्ताव था, उस समय जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अगर कमीशन मुकर्रर कर दिया तो अविश्वास का प्रस्ताव वापिस ले लेंगे। लेकिन वह वापिस नहीं लिया गया। कमीशन मुकर्रर हो गया। उसने अपनी राय दे दी। लेकिन अब कहें कि हमको संतोष नहीं, एक जुडिशियल कमीशन मुकर्रर होना चाहिये, हम और कुछ कहना चाहते हैं। मैं निवेदन करू कि हम भी इतना समझ सकते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं? निश्चित बात तो यह है कि आधार भूत नीति पर, किसी कार्यक्रम, किसी सेवा के आधार पर, कुछ व्यक्ति राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जनता के अन्दर स्थान प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए रोज भ्रष्टाचार के नारे लगाये जाते हैं

(करतल—ध्वनि)

वे अच्छी तरह समझ कर चलें कि जो सत्य होगा वही सत्य टिकेगा, नारों से किसी की ताकत कम नहीं होने वाली है। वे कहते हैं जनता में असंतोष हो रहा है, जैसे जनता में कुछ ही व्यक्ति घूमते हैं, हम हवा में घूमते होंगे, हमने जनता को पहले से जाना है, इस जगह आकर बैठे उससे पहले जाना है, जनता के बीच में इससे पहले काम किया है, और कई लोगों से आज यहां बैठे हुए भी ज्यादा काम करते हैं। जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं। तो आप जनता की बात तो छोड़िये, आप अपनी तरफ से कहिये कि

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

आपको असंतोष है। हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी की ओर से राजस्थान की, भारत की सेवा करें, जनता पर ज्यादतियां होंगी तो यह हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिये अहित में होगा, जनता पर ज्यादतियां होती हैं तो आपको तो खुश होना चाहिये, इससे आपको लाभ मिलेगा, वैसी स्थिति में दो साल बाद चुनाव में आप आ सकते हैं। पर प्रश्न यह नहीं है ! वे जानते हैं कि जनता में गड़बड़ी नहीं है, अब क्या किया जाय। लोग जानते हैं सड़कें बन रही हैं, तालाब बन रहे हैं, स्कूलें खुल रही हैं, जनता के जीवन स्तर पर असर पड़ रहा है ! तो एक नारा ढूंढा गया, पुरजे लाये गये, कहीं थानेदार को ढूंढा, कोई मिसेज लाल को ढूंढा। मै निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई बिजनेस मैंन को बिज़नेस नहीं मिले तो वह नाराज, किसी को परमिट नहीं मिले तो वह नाराज, किसी को प्रमोशन नहीं मिले तो वह नाराज, किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले लें तो वह नाराज, वे अगर किसी न किसी जरिये इस फ्लोर को यूज़ करने की कोशिश करें, इस फ्लोर को यूज़ करने की बात आये तो क्षमा करें कि वह उचित नहीं होगा। मिसेज़ लाल और और लोगों के लिये और जगहें हैं, और मौके हैं कि वे प्रूव कर सकते हैं, जो उचित होगा वह मिलेगा, वरना न डिसिप्लिन रहने वाला है न इनिशियेटिव रहने वाला है। जब कि मैं मानता हूं लोएस्ट टेन्डर्स की बात चलती है, मैं इस व्यक्तिगत राय का हूं कि लोएस्ट टेन्डर करना है, रहे; पर एफिशि-येन्टली जो माल दे सकता है, जल्दी दे सकता है उसको टेन्डर देना चाहिए। कहा यह जाता है कि लोएस्ट टेन्डर जिसका हो उसको देना चाहिये दो रुपया सस्ता है उसको देना चाहिये, फिर परिणाम चाहे बुरे ही रहें, काम चाहे अधूरा ही पड़ा रहे, वेस्टेज ज्यादा हो, समय से पहले ही वे चीजें खराब हो जायं। पर यहां वातावरण बनाया जाता है कि एक पैसा भी इधर से उधर न हो।

एक बात मैं निवेदन करूंगा कि हम सदन में इतनी चर्चाएं करते हैं, इससे चर्चा का महत्व कम हो जाता है, जैसे चर्चा करने का सिलसिला बना है। चर्चा का असर तो यह पड़ना चाहिये कि एक प्रश्न भी उठाया गया है तो वह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हो कि उसके पीछे गहराई हो, इधर वाले भी यह न कह सकें कि जवाब देना पड़ा, यह कहें कि एन्क्वायरी करेंगे, न कि यह, एक एक बात को जिसके पीछे तथ्य ही न हों उनको इस सदन में लाया जाय। जो बहस का विषय यहां रखा गया, जो माननीय राज्यपाल महोदय ने चर्चा रखी, अपना अभिभाषण रखा, उसमें बहुत सी बातें ऐसी थीं जिन पर काफी विचार जाहिर किये जा सकते थे। आज राजस्थान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण का कदम उठाया गया है, उसकी तरफ सारे देश की ही नहीं विदेशियों की भी निगाहें उठी हुई हैं, वे देखते हैं कि इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। मैं भी आशा करता था कि यह सेशन हो रहा है, इसमें इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होगी, जो खयाल जगह जगह बन रहे हैं, वे यहां आयेंगे। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने तो प्रकाश डाला, सुझाव भी दिये पर जिन माननीय सद-स्यों ने जनता में असंतोष की बातें कहीं, उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया; जैसे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण से उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं। एक तरफ तो जनता से बहुत सम्बन्ध है,

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

दूसरी तरफ वे विकेन्द्रीयकरण की तरफ कुछ कहना ही नहीं चाहते तो इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा एक लक्ष्य बन गया है, जिसके जरिये भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार कहते जांय और नीचे से लेकर ऊपर तक यह बात कहें।

कुछ बड़ी बातें हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करते, उन पर प्रकाश डालते, उससे हमें भी मालूम होता, जनता को भी मालूम होता, क्योंकि सदन की तरफ सारा राजस्थान देखता है कि यहां क्या चर्चाएं हो रही हैं, राजस्थान के लिए क्या हो रहा है।

यह अभिभाषण दिया, इसमें विकेन्द्रीकरण के बारे में जो कुछ हुआ कहा और आगे के बारे में भी एक नई बात कही कि जो विकेन्द्रीकरण किया है गांवों में, उसको शहरों और कस्बों में भी फैलाना चाहते हैं और वहां के लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहते हैं जिससे लोक शक्ति का निर्माण होकर राजस्थान को आगे बढ़ने का मौका मिले, यह एक नया विचार था। हमने यह भी कहा कि कुछ रिसर्च के मामलों में, कुछ चीजों के बारे में लोग ज्यादा सोचने लगें, इसके बारे में इवेल्यूएशन के बारे में भी कुछ काम कर रहे हैं, इसके बारे में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार जाहिर किये और चाहा कि इवेल्यूएशन के बारे में विचार करते हैं वहां अच्छा यह हो कि इसमें चेअरमैन नॉनऑफिशियल को, जो अच्छी विचारधारा पैदा कर सके उसको रखा जाय, उन्होंने यह कहा कि अच्छा यह हो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इसके साथ एसोसियेट किया जाय तो ज्यादा अच्छा हो। मैं उनकी राय का स्वागत करता हूं, उसकी राय अच्छी है, मैं उन्हें सूचित कर देना चाहता हूं कि नॉन ऑफिशियल को ही इसका चेअरमैन बनाया जायगा और संभव हुआ तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ही नियुक्त करेंगे क्योंकि असल में कोई चीज़ छुपाने की नहीं है, जो काम हो रहा है, उसमें जहां कमी है, उसको दूर करके ठीक करना है, यह नहीं कि अभी डिसेंट्रलाइज़ेशन हुआ है तो उसको छुपाना है। हमारा लक्ष्य यह है कि आम लोगों की शक्ति का निर्माण हो, आम लोग समझें कि उन्हें निर्माण करना है, इस दिशा में आगे बढना है, इस दिशा में जो विचार जाहिर करें उनका स्वागत होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा पिछले वर्ष में सारे राजस्थान में प्लान जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह तो इसी तरह से सारा राजस्थान चल रहा है, पिछले वर्ष में राज्यपाल महोदय ने इसके सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया मैं निवेदन करूं कि अभिभाषण संक्षेप में हो और माननीय सदस्य चर्चा कर लें, इसलिए रखा गया था। मेरे ख्याल से पिछला साल तो राजस्थान के लिये ऐतिहासिक निर्णय का था। विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया गया, यह निर्णय एक वर्ष में लिया गया, वह कई वर्षों तक असर रखने वाला है, जिससे नई शक्तियों का निर्माण होने वाला है। और अगर हम इस वर्ष में और कोई भी काम नहीं करते, केवल एक विकेन्द्रीकरण को ही लागू किया होता तो हम कह सकते थे कि हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन इतना ही नहीं यह हमारा वर्ष जो अब बीतने वाला हैं एक महीने के बाद, इस वर्ष में भूमि सम्बन्धी जो हमारी नीतियां थी,

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

जो हमारे प्लानिंग कमिशन का आधार था, जागीरदारी, बिस्वेदारी सीलिंग और दूसरे दौर पूरे करने का राजस्थान में जो ध्येय था वह इस वर्ष में समाप्त किये गये। वह भी राजस्थान ने अपने इसी वर्ष में संपूर्ण किये। वह ही नहीं इस वर्ष में जो हम करने जा रहे हैं। वह यह कि ६६ प्रतिशत हमारे यहां एक्सपेन्डीचर कर लेंगे, जो काम ऐसा समझा जावे कि यह आसान काम है सो यह कोई आसान बात नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में काफी कोशिश की, उसके बावजूद भी हम पूरा अमाउन्ट खर्च नहीं कर सके। हमारी स्टेट सेक्टर में शायद २७ करोड़ रूपया था उसमें से २१ करोड़ ही खर्च कर पाये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इतनी गेयरअप हो गई है कि हम आज इतना कहने की स्थिति में हैं कि ६६ प्रतिशत अमॉउन्ट को पूरा कर लेंगे और यह बात बहुत कम जगह पर होने वाली हैं। राजस्थान में यह ६६ प्रतिशत अमॉउन्ट खर्च कर दिया जायेगा, यह बहुत अच्छी बात हैं, जो हमारा प्लानिंग प्रोग्राम है ५ करोड़ का। अजमेर से आने-वाले माननीय सदस्य ने बताया कि अजमेर में पूरा प्लानिंग प्रोग्राम है उसके अनुसार कोई काम नहीं हुआ। मैं यह कहूँगा कि उसका इतना पर्सेन्ट नहीं हुआ जितना होना चाहिए, मगर उसकी एक वजह तो यह थी कि बिजली के लिये अजमेर को पॉवर हाउस लगाने के लिए ६० लाख रुपया रखा है। उसके लिये सुप्रीम कोर्ट में केस है वह रुपया यो का यो रखा हुआ हैं, उसको हम युटीलाइज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि इर्रिगेशन के लिए जो रूपया रखा गया उसके साथ साथ योजना के विस्तार के साथ-साथ सर्वे भी करना आवश्यक होता है। इसके बारे में जब इंजीनियरों ने जांच की तो उनको पता चला कि वहां पर जो रुपया खर्च होने को है। वह खर्च नहीं हो सकता क्योंकि उससे इतना रिर्टन हो नहीं सकता और खास तौर से दो जगह शोर्ट-फाल हुआ है। बाकी दूसरी जगह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में कामयाब हुए हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में योजनाएं लागू कीं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ जगह खामियें हो सकती हैं, कुछ जगह आपसी संघर्ष चुने हुए व्यक्तियों और अधिकारियों में होने की बात कही गई। हम और सारी केबिनेट जिलों में घूमें और खुशी की बात तो यह है कि जो खतरा जिस हद तक समझा जाता है उतना आम तौर से खतरा नहीं है, सिवाय कुछ जगहों के और मैं यह कहूंगा कि आज वे लोग तेजी से काम में लग गये है। वैसे तो अभी चार ही महीनों का समय हुआ है और वह बहुत समय नहीं कहा जा सकता अभी तो शुरूआत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि लोगों में उत्साह है और उसके लिये आज ही एक उदाहरण पेश हुआ था कि जब भरतपुर के बारे में एनरोलमेंट ड्राइव का काम शुरू हुआ तो उसमें कितने विद्यार्थी भर्ती हुए और कितने लड़के और लड़कियां पढ़ने के लिये भर्ती हो रहे हैं। लोग इस काम में बड़ी दिलचस्पी से लगे हुए हैं। पहले मैने कहा था कि परीक्षण है। लेकिन आज जो कुछ हुआ इसको देखते हुए मैं

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि राजस्थान में काम शुरू किया गया है उसके बड़े अच्छे परिणाम होने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पे पूर्ण सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस अभिभाषण में कहा कि पहले चर्चा में कहा गया था कि जुडिशियरी और एग्जिक्युटिव को अलग कर दिया जावे । मैंने कहा कि साथ ही साथ छोटी पंचायतें करके चुनाव करा दिये जावेंगे । शायद यह बात अभिभाषण में नहीं थी । यह बात कार्य क्रम में है ।

शायद इस साल माननीय सदस्यों ने भाषण में देखा होगा कि जहां बिजली की कमी रही है, बिजली की वजह से विकास के काम रुके हैं तो इस वर्ष में हमने इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट की दृष्टि से कुछ ज्यादा कन्सेशन के लिये कहा है कि हम यह कन्सेशन देना चाहते हैं जिससे हमारी इन्डस्ट्रीज़ की प्रगति हो सके । मैं समझता हूं कि हमने सारे कन्सेशन इसमें दर्ज नहीं किये हैं । इसका जिक्र इसलिये नहीं किया कि हमने देखा कि इतना लिखना माननीय सदस्यों के लिये काफी है क्योंकि वह चीज प्रकाशित हो चुकी और आप के सामने आ गई है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में बिजली की समस्या थी । हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में सुधार हो और एक तरफ सुधार हुआ भी है । दूसरी पंच वर्षीय योजना में कार्य ठीक तरह से हुआ है और आगे तीसरी पंच वर्षीय योजना आने वाली है जो जुडी है । इस बारे में राना प्रतापसागर के डेम के बारे में बराबर जोर लगा रहे हैं और उससे बिजली मिलेगी और वह उद्योगीकरण में बड़ी सहायक होने वाली है । इसका काम शुरू हो गया है । माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि प्रतापसागर का काम शुरू हो गया है वहां छोटे माइनर इरिगेशन काम लोगों के निगाह में आये । इस प्रकार का आभास हुआ । एक तरफ राजस्थान फीडर प्रगति कर रहा है और दूसरी ओर राना प्रताप सागर का काम शुरू हो गया है ।

दूसरी बात यह बताई गई है कि इरिगेशन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है । मगर इसके बारे में कृषि मन्त्री ने अपने भाषण में जो जो बातें बतानी थीं आपके सामने रख चुके हैं इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता ।

दूसरी बातें कही गई वे सबसे बड़ी घटना विकेन्द्रीकरण को कार्यरूप में किया गया उसके सम्बन्ध में व इसके अलावा राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें क्या करना है और सोचना है उसका भी अभिभाषण में जिक्र किया गया है । जो भाषण हुए उनसे ऐसा मालूम होता है कि इन दिशाओं में भी कोई कार्य नहीं हुआ और यह कहा जाता है कि सरकार के सामने कोई प्लान जैसी चीज़ नहीं है और इसके लिए कोई कल्पना नहीं है । मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हम लोगों ने इस बात का काफी प्रयत्न किया है कि जो कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं पूरे हुए या नहीं थे, उसका पूरा ध्यान रखा जावे और दूसरी योजना का काम पूरा हो ।

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

हनुमानगढ़ में फर्टीलाइजिंग फैक्ट्री के बारे में कहा गया कि हनुमानगढ़ में यह फैक्ट्री नहीं होकर किसी दूसरे स्थान पर होनी चाहिये । मैं यह कहूंगा कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री के लिए स्थान के बारे में सिफारिश करने के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उसने हनुमानगढ़ में फैक्ट्री बनाने के हमारे दावे का समर्थन किया है और उसने यह मान लिया है कि हनुमानगढ़ ही इसके लिए उपयुक्त स्थान है ।

स्मेल्टिंग प्लान्ट की मशीनरी के लिए पहले लाइसेन्स देने के लिए जो उदयपुर में लगने को थी उसके लिए इस बात का निर्णय हो गया है और स्मेल्टिंग प्लान्ट के लिये एक बहुत बड़ी कम्पनी रीओ टिन्टो जो इसके लिए मशहूर है उसको दे दिया गया है और जो कुछ पहले सूचना थी उससे बड़े आधार पर स्मेल्टिंग प्लान्ट लगेगा ।

( ५ म० प० )

डिजिल लोकोमोटिव के लिये लाइसेन्स के बारे में कहा गया । आज काम उस दिशा में शुरू करने की बातें हैं, मगर इससे आगे की स्टेज पर आगे बढ़े हैं । इसलिए हमने यह कहा कि काम शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है । जो कदम आगे बढ़ाते हैं और ये काम ऐसे हैं कि जिनमें करोड़ों रुपया लगाकर बनते हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो काम किये जा रहे हैं उनका पूरा पूरा लाभ उठाना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य किये गये हैं उनके आधार पर एक स्वरूप बना कर चला जाय । इसी दृष्टि से हमने एक प्लान फ्रेम किया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हमारा स्वरूप आगे के लिए क्या है, उस पर चर्चा हो, विचार हो और एक पूरा चित्र आगे के लिए क्या हो सकता है यह निर्धारित करें । मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा पूरे तौर पर सदन में अभी आयी नहीं है और हम चाहते हैं कि इस प्लान फ्रेम पर चर्चा के लिए एक—दो सदन के रखे जांय और हम रखना चाहते हैं जिससे कि इस प्लान फ्रेम पर चर्चा की जा सके । आखिर कोई मसला रखा गया है जिस पर हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमारा क्या बेकिंग है, उस पर ज्यादा चर्चा करना चाहिये जिससे कि एक स्वरूप बनाने में मदद मिले । इसमें यह भी कहा गया है कि राजस्थान के इलाकों से प्लान का डेवलपमेंट किस तरह से हो जिस पर हम चलें, वह भी निश्चित दिशा है जिसके बारे में जिक्र किया गया है और चर्चा की जा सकती है, अगर हम समझते हैं कि इस पर चर्चा करना उचित है । मैं समझता हूं कि यह पहला ही उदाहरण है ।

( घंटी )

श्री उपाध्यक्ष : I hope, I have the sense of the House for a few minutes more.

**एक माननीय सदस्य** : yes, yes.

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इस सदन की जानकारी में यह आ चुका है कि हमने यह अमल किया है कि फर्स्ट डिविजन में जो लड़के पास होते हैं लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से जो आगे नहीं पढ़

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

सकते हैं पहली बार यह राजस्थान में तय किया है कि उनको आर्थिक मदद दी जावेगी जिसके कारण, आर्थिक कारणों के कारण जो लड़के न पढ़ सकें और बैठ जाते हैं, वे आगे पढ़ सकें। इसलिए फार रीचिंग फैसलों के कार्यों के बारे में विचार रखे गये हैं। आगे के लिए भी यह उचित होता है कि आज के कार्यों के साथ साथ आगे क्या करना चाहिये, किस तरह से राजस्थान को आगे ले जाना चाहिये जिससे आगे बढ़ने में हमको मदद मिले।

उसी प्रकार मैं निवेदन करूं कि माइनर इर्रीगेशन की तरफ भी सोचा गया है। एक तरफ जब पंचायतों का निर्माण किया है तो बहुत सा सर्वे होकर पूरी डिटेल्स नहीं होगी तो काम में रुकावट आवेगी इसलिए खास तौर पर सर्वे पार्टी १३ इन्जीनियर्स, और पहले थे वे अलग हैं, को लगाया जिससे कि वे पूरी जांच करके बतावें और एक नक्शा बन जाना चाहिए की क्या क्या काम हो सकते हैं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य, अभी यहां उपस्थित नहीं हैं, ने कहा कि वहां इर्रीगेशन वर्क्स शुरू नहीं किये गये हैं, इतने वर्षों से रुके हुए हैं। मैं अर्ज करूं कि हम जब जोधपुर डिविज़न के दौरे पर गये थे बहुत सी जगह। हमारे सामने बाड़मेर, जालोर के रहने वालों ने इस बात को रखा और उन्होंने कहा कि अगर पाली से पानी आता है, उसको रोक लिया गया तो इस स्थिति का अन्दाज कर लिया जाय कि सांचोर में इतनी पैदावार होती है, बाड़मेर में थोड़ा बहुत पीने को पानी मिल जाता है, जालोर में थोड़ा बहुत कुओं में पानी रहता है तो ये सारे इलाके सूख सकते हैं। अगर यह पानी रोक दिया गया तो इससे भयंकर परिणाम निकलेगा और एनीमल हस्बेन्डरी और दूसरी दूसरी बातों से आज वहां के किसान टिके रहते हैं वे टिक नहीं सकेंगे, इस पर विचार करना चाहिये इसलिए हमने कहा कि धीरे से समझ कर इन्जीनियर्स से कहा कि वे इस गहराई में भी जायें कि कहीं इस प्रकार से एक जगह कार्य किया जाय और फिर दूसरे इलाकों को उसका विपरीत परिणाम न भुगतना पड़ जाय और इकोनोमिक डेवेलपमेंट रुक न जाय। तो वहां इसलिए नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उसका ज्यादा असर दूसरे इलाकों पर पड़ता है। तो ऐसे फैसले करने की नौबत आती है और ऐसे फैसले किये गये हैं।

मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि राजस्थान में बहुत बड़ा इन्डस्ट्रियेलाइजेशन कर लिया है लेकिन यह सही है कि शुरुआत के तौर पर हम कुछ कर पाये हैं और यह इतना तो निश्चित है कि बीच के अर्से में जो कुछ किया है उसके सुनिश्चित और जबरदस्त परिणाम अगले पांच छः वर्षों में राजस्थान को देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ लगाने के लिये प्रयत्नशील हैं, जैसे फर्टीलाइजर, लिग्नाइट, ज़िंक। साल्ट वर्क्स के लिए भी प्रयत्नशील हैं। टैक्सटाइल के लिए माननीय सदस्य ने कहा था तो मैं निवेदन करूं कि वहां पर मशीनें पहुँच चुकी हैं। आशा है कि इसी वर्ष वह शुरू हो जावेगा। नाइलोन की फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो ये इन्डस्ट्रीज़ स्थापित की हैं। पांच जगह के लिए कहा कि और शुरुआत कर रहे हैं। अब तक बिजली सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी, अब हम समझते हैं कि

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकने के लिए कामयाबी मालूम होती है।

बिजली के लिए कहा गया कि विशेष प्रगति नहीं हुई। मुझे निवेदन करना है कि दुर्भाग्य से यह सत्य है कि पिछले वर्ष जो प्रगति बिजली में करनी चाहिये थी नहीं कर सके। स्थिति यह है कि ५६-५७ में बिजली के प्लान में ५४ लाख खर्च किये, ५७-५८ में ८५ लाख खर्च किये और ५८-५९ में ३ करोड़ ९ लाख खर्च किये और इस वर्ष आशा करते हैं कि ४ करोड़ ४० लाख के आस पास इस पर खर्च कर पायेंगे और उसके साथ साथ भाखरा की बिजली है, वहां पर दुर्भाग्य से एक मिस्हेप हो गया और उस कारण उसमें विलम्ब हो रहा है। वह बिजली भी हमको मिलेगी और उसका हम लाभ उठा सकेंगे, उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। चम्बल से भी जल्दी से जल्दी लाभ मिलने वाला है, उसका लाभ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों पर ज्यों २ उसका विकास होता जावेगा मिलता जावेगा। इसमें भी इतना आसान नही है। हमारे सामने भी आखिर मुश्किलें हैं। हमको इरेक्टेड टॉवर्स मिल जांय, बनिस्बत इसके कि स्टील फेब्रिकेटेड मिले। मुश्किलें हैं। सवाई माधोपुर के लिए इरेक्टेड टॉवर्स का ऑर्डर प्लेस किया, वे टॉवर्स भी आगये, इरेक्शन भी हो गया। दूसरी जगह भी करना चाहते हैं। कोटा से गांधी सागर और दूसरी लाइन लेकिन स्टील फेब्रिकेटेड करने में फोरिन एक्सचेन्ज की आवश्यकता है जिसकी कि आज हमारे देश में कमी है। आखिर प्रगति कर लेना ही हमारे हाथ की बात नहीं है। कई फेक्टर्स ऐसे आ सकते हैं और आते हैं, फोरिन एक्सचेन्ज आदि कि जिन कारणों से प्रगति में कुछ बाधा आ ही जाती है। राजस्थान केनाल का भी प्रश्न है। प्रगति हो रही है लेकिन कोयला समय पर बराबर मिले, जो मजदूर काम करते हैं उनको पेरीनियल पानी मिले, पीने को पानी न मिले तो दिक्कत हो सकती है। तो रात-दिन दौड़-धूप करके सभी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस काम को आगे बढ़ाया जाय। जो परिस्थितियां रही हैं वे ऐतिहासिक, भौगोलिक कई कारणों से रही हैं, उनको एक रोज में नहीं बदला जा सकता है। मैंने उदाहरण दिया है। मैं नहीं कहता कि कहीं पर कोई गलती करता ही नहीं होगा, कहीं गलती हुई होगी, लाखों सरकारी सर्विस में लगे हुए हैं, कोई दुरुपयोग भी करते होंगे लेकिन उन छोटी २ बातों को सदन में इतना जोर से कहना और सदन का समय इसी चर्चा में लगायें यह इतना क्या हो गया कहां हो गया; जो विकास हम तेजी से करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आखिर यहां जो चर्चा होती है वह हिन्दुस्तान से बाहर जाती है, जो रुपयों की मदद हमको मिलती है उसमें देरी पड़ती है। राजनैतिक पार्टियों की नीति सम्बन्धित बातें हैं, आज हमारी दूसरी पार्टी से नीति नहीं मिलती है तो यह तो समय आवेगा और जनता फैसला कर सकेगी। ज्यादतियां होती हैं उसका जिक्र करें लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि छोटे मोटे सवाल हों तो पहले भी नोटिस में ला सकते हैं जिससे सदन का समय बच जाय। जैसे एनिमल हस्बेन्डरी की बात है। पहले सूचना दी गई उस पर सेक्रेटेरियेट में कार्यवाही हुई है, ऐसा नहीं है कि सूचना

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

दी हो और उसको रख कर बैठ गये हों।

सरदार शहर के बारे में, वहां के स्मारक के बारे में भी यहां कहा गया। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने कार्यवाही की, गृह मंत्री जी ने कार्यवाही की है। इसको दबाने की कोशिश किसी ने नहीं की। हम तो अब जिले जिले में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, आपके साथ बैठकर स्थानीय समस्याओं का हल करने जा रहे हैं, आप ऐसी बातें तो वहीं कह सकते थे, यहां चर्चा करने से तो कोई ज्यादा पर्पज़ हल होता हो सो बात तो नहीं है। यह जरूर है कि यहां कहे बगैर अखबारों में, प्रेस में कैसे छपे? हम आपके जिलों में हाजिर हैं आपकी बातें सुनने के लिये। ऐसी। ऐसी बातें तो आप हमें वहीं कह सकते हैं।

**श्री चन्दनमल वैद** ( सरदारशहर ) : अब वे मान गये हैं, ऐसी बातें नहीं कहेंगे।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्री कोटा के बारे में उसको स्कैन्डल करके कहा है; उसके साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी का भी जिक्र किया। इस बारे में माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनका नाम चर्चा में लाना उचित नहीं होगा। इसके लिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी चिट्ठी पर कोई पहले की डेट लगा कर कार्यवाही कर दी गई यह कहना बिल्कुल गलत है। अब रहा, सवाल कि उनको लीज क्यों दिया गया और कोऑपरेटिव को क्यों नहीं दिया गया और यह भी कहा गया कि यह फैसला डी० एम० जी० ने कर दिया, यह बात भी नहीं। हमारे उस वक्त के डिप्टी मिनिस्टर ने यह बात कर दी हो यह बात नहीं। यह जिम्मेदारी मैं अपने पर लेना चाहता हूं। इस फैसले की जानकारी है और उसके अन्दर मेरा पूरा हाथ है। यह फैसला डी० एम० जी० या डिप्टी मिनिस्टर ने कर दिया हो, यह बात नहीं। यह जो फैसला किया गया मेरी जानकारी से किया गया। जो कोटा स्टोन कम्पनी है वह कम्पनी कोटा स्टेट के वक्त से काम करती आ रही है उसके पास ३०० वर्गमील का एरिया था यानी उसकी मोनोपोली थी। अब उसको एरिया दिया गया केवल सात स्क्वायर मील।

दूसरी बात यह कि उस वक्त से इस काम के पीछे इस कम्पनी का ५० लाख रुपया बाकायदा इन्वेस्टमेन्ट है। इस प्रकार का स्टोन जैसा कि कोटा में है उस प्रकार का पत्थर हमारे राजस्थान के दूसरे इलाके में भी है। मैं जिस इलाके से आता हूं उसके तीन डिस्ट्रिक्ट्स चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा इस प्रकार का पत्थर है जहां का काला पत्थर पोलिश होकर मारबल की तरह जाता है, लेकिन वहां का सेट अप और माइनिंग मैथड है वह डेवलप्ड नहीं है। दूसरी तरफ जो कोटा का स्टोन है वह माइन्स डेवलप्ड है उसका काफी एडवरटिज़मेन्ट हुआ है। आज हम दिल्ली के स्टेशन पर देखते हैं सारा कोटा स्टोन से बनाया गया है, इलाहाबाद का स्टेशन भी इसी पत्थर से बनाया हुआ है। हरेक चीज को आगे बढ़ाने की एडवरटिज़मेंट कैपेसिटी भी होती है, उससे वह काफी स्थान पाता है। हमारे पास इस बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिप्रेजेन्टेटिव भी आये थे, मैंने उनसे कहा

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

आखिर हमारा उद्देश्य है कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर को लाना चाहते हैं । जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है वह फाल नहीं होना चाहिये, लेबरर्स को ज्यादा काम मिलना चाहिये और ट्रेड भी ज्यादा बढ़ना चाहिये । हमने पूछा आपकी क्या कैपेसिटी है ? मैं आपको बताऊं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की शेयर कैपीटल ४२० रुपया थी और दूसरी १६४० की । यह स्वाभाविक बात हो सकती है कि वे ज्यादा शेयर कैपीटल कर पाते, उनके लिये यह मुश्किल था । जिस प्रकार एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो सुविधा लोन इत्यादि की मिलती है वह इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं मिलती । बैंक्स से भी कुछ प्राप्त करना माइनिंग सेक्टर के लिये डिफीकल्ट है । एक तरफ तो ये फैक्टर हैं और दूसरी तरफ प्रश्न यह है कि हमारे यहां पर ऑलरेडी जो काम हो रहा है उस काम को क्या बन्द कर दिया जाय ? मैं आपसे निवेदन करूं, उस कम्पनी को सात मील का एरिया देने के बाद २६३ मील का एरिया बच रहता है, हमने उनसे कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी इस इलाके में एफर्ट क्यों नहीं करती ? हमने उनसे कहा जब हमें करना ही है तो हमें ऐसा रास्ता निकालना चाहिये ताकि एडीशनल प्रोडक्शन हो, लोगों को एम्पलोयमेन्ट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले । आप यह निश्चित मानकर चलिये, जितनी कैपिटल उन्होंने लगा रखी है वह इनके लिये असम्भव बात है; वह पत्थर काफी दूर दूर जाता है, अन-पोलिश्ड भी काफी बिकता है । इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूं हमने उनसे लीज़ का एग्रीमेन्ट फिर से बनवाया । उसमें हमने ४०० लेबर क्वार्टर बनाने के लिये जोर दिया । वे पर्मानेन्टली इन मजदूरों के निवास स्थान के लिये ४०० क्वार्टर बनायेंगे । उसका फरदर डेवलपमेंट हो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हों, इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए इस बात को तय किया गया, इसका एरिया कम कर दिया जाय । जहां पर हम उनसे डेड रेन्ट के तौर पर १ लाख ५० हजार रुपया लेते थे उसकी बजाय हमने सात स्क्वायर मील का ही २ लाख रुपया डेड रेन्ट का तय किया है । यहां की रॉयल्टी पहले १ लाख के करीब आती थी अब वह भी रिवाइज करके २.५८ लाख का तय किया गया है । जिस जगह ऑलरेडी कैपिटल इन्वेस्टेड है वहां से सरकार को रॉयल्टी के रूप में ज्यादा पैसा मिलेगा, डेड रेन्ट का ज्यादा मिलेगा वैसी हालत में माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम जहां उसको चालू रक्खें वहां हमें कोऑपरेटिव सेक्टर द्वारा एडीशनल चीज पैदा करें तो ज्यादा ठीक है । किसी से नाराजगी की वजह से या किसी और कारण की वजह से किसी चीज़ को खत्म कर देना और वह भी कोऑपरेटिव के नाम पर, उचित नहीं कहा जा सकता । तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फैसला करना पड़ा । मैं समझता हूं, यह कोई अनुचित नहीं । कुल मिलाकर यहां की इन्डस्ट्री और लेबर की दृष्टि से फैसला किया ।

इसके अलावा एक प्रश्न और आया । श्री सत्संगी के बारे में कहा गया कि सरकार द्वारा अपील क्यों नहीं की जा रही है, उनके खिलाफ । मैं इस संबन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि पहले भी कुछ कारणों की वजह से फैक्ट्स की वजह से मुकदमा चला और गवर्नमेंट ने उस कदम को उठाया, उसके बाद

( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

अदालत से जब फैसला हो जाता है और उनको बरी कर दिया जाता है; अगर उस मामले को दबा दिया गया होता तब तो आप कह सकते थे। मैं ऐसा मानता हूं जब कि एक अदालत फैसला दे चुकी, उसके बाद आगे उसको ले जाना उसके मेरिट्स आदि के बारे में आपको गवर्नमेंट पर छोड़ देना चाहिये। कुछ आदमियों को जबरदस्ती से जलील करना है, उसके लिए कोई कदम उठाते हैं तो उसको उचित नहीं कहा जा सकता। जिसका एक बार ट्रायल हो चुका अदालत द्वारा फैसला हो चुका; गवर्नमेंट की इस बारे में राय जरूर बनती जा रही है कि अपील में नहीं जाना चाहिये इससे लाभ नहीं हो सकता। इसमें गवर्नमेंट किसी को शील्ड करना चाहती हो, यह बात नहीं है। दूसरी तरफ ऐसी बातों को लेकर कहा जाता है, मैं नहीं जानता इसमें क्या छिपा हुआ है जो लोग केवल एडमिनिस्ट्रेशन को कोसने की दृष्टि से कहना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि जो लोग यह कहते हैं कि किसी को खुश करने के लिये ऐसा किया गया इसके पीछे और और कारण काम करते हैं। मैं उनको, ऐसा सोचने वालों को कह देना चाहता हूं कि ऐसे कारण होंगे तो भी हम अपने तरीकों से काम करेंगे, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत से छोटे-मोटे और भी प्रश्न यहां पर आये। उन सबके बारे में कहना, कुछ यहां आवश्यक नहीं समझता। पर जोबनेर से आने वाले....आपको भी तसल्ली हुई अब थोड़ी सी?

(हंसी)

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** ( दूदू ) : पांच मिनिट इसमें और भी लग जावे तो बीच में या आखीर में पांच मिनिट मुझे भी दिये जावें, उपाध्यक्ष महोदय।

(हंसी)

**श्री उपाध्यक्ष** : वह सुविधा तो नहीं मिल पावेगी।

(हंसी)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जोबनेर के सम्बन्ध में शायद माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि वहां के एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में मेरी पूरी हमदर्दी रही है। यह तो मेरा दुर्भाग्य है कि वह इसको पूरे तौर से नहीं मानते हैं।

(हंसी)

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : मैं विवाद में नहीं पड़ता। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेन्टरी चीजों में नहीं जाकर यही निवेदन करूंगा कि यह छिपी हुई बात नहीं है और फेयर प्ले पर जाऊंगा मैं ....

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : तो मैं निवेदन करना चाहता था कि इसको जब सरकार ने लिया, जब आप चला रहे थे इसको तो उस वक्त इसमें चालीस विद्यार्थी तो लिये जाते थे और सलाना बजट इसका ८६ हजार का था और मैं आपकी जानकारी के लिए यह आपके समक्ष रक्खूं कि इस वक्त में इसका सालाना बजट २,७५,०००) का है। अब इस कॉलेज के बारे में दूसरी कोई राय होती........

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : उदयपुर का कितना है, यह भी फर्मा दीजिये ।

(हंसी)

मैंने उस वक्त भी अर्ज कर दिया था ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : उदयपुर और जोबनेर का क्या मुकाबला ?

(हंसी)

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : मुकाबले का तो सवाल यह है कि वह १२ वर्ष का है और यह ५ वर्ष का ही है । यह मुकाबला है ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मैं समझता हूं कि जोबनेर कॉलेज को जोबनेर की दृष्टि से देखा जावेगा और उदयपुर के कॉलेज को उदयपुर की दृष्टि से देखा जावेगा ।

(हंसी)

और जहां विकास की सम्भावना हो ....

**श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : और दोनों को दोनों की दृष्टि से भी देखा जावे ।

(हंसी)

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : दोनों को दोनों की दृष्टि से देखने के लिए एक्सपर्ट की दृष्टि से देखा जावे ।

(हंसी)

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : एक्सपर्ट ने तो यह कहा है ........

**श्री उपाध्यक्ष** : Order Please! Order!

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय उपाध्यक्ष, आप, इसमें बीच में बोलते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं, इससे मुझे भी विश्राम मिल जाता है बीच बीच में ।

(हंसी)

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : क्योंकि आपको भी जितनी देर होगी थकावट मिटेगी, थक गये होंगे तो एक्सपर्ट...........

**श्री उपाध्यक्ष** : एक्सपर्ट की ओपीनियन तो आ चुकी है पहले ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : तो यह कॉलेज अच्छे ढंग से चले, इस बारे में सरकार पूरी कोशिश में है । मुश्किल यह है कि आप स्वयं भी जानते हैं अच्छी तरह कि आज टेक्निकल एजुकेशन को अच्छे ढंग से चलाने के लिये टी. सी. एम. से मदद मिलती है, उससे कॉलेज के विकास करने में मदद मिलती है । टी. सी. एम. को सरकार ने अपनी ओर से कहा । अभी अभी आपको पता होगा डॉ० जो ओहियो (अमेरिका) के एग्रीकल्चरल कॉलेज के प्रिन्सिपल हैं, यहां तशरीफ लाये थे । उनसे दोनों कॉलेज वालों ने चर्चा की । सारी बातें कीं और उनकी जो राय है वह यह है कि अब इसके अन्दर जोबनेर कॉलेज को मदद देने की नहीं है उनकी राय । पर फिर भी राजस्थान सरकार जितना होगा अवश्य उसको मदद करेगी ।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : मैं इसमें भी पीछे अर्ज करूंगा । आप फरमावें तो पहले भी अर्ज कर दूं ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : मुझे ज्यादा नहीं कहना है। जितना थोड़ा कहना था अर्ज कर दिया।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : क्योंकि टाइम का खयाल मुझको भी है........

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : दूसरा यहां पर नवयुग के सम्बन्ध में एक चर्चा आई और काफी जोर से इसके बारे में कहा गया। और बातों के बारे में तो जाना नहीं चाहता, पर एक बात खास तौर मे यह कही गई कि कुछ पेपर उसका बिकता है और सेल्स टैक्स का पैसा जमा नहीं हुआ है। मैंने जानकारी करने की कोशिश की और मुझे मालूम हुआ कि एक दो-साल का सेल्स टैक्स जमा नहीं हुआ है। इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है और मैं कह सकता हूं कि जो वस्तुस्थिति होगी, वह कोई हो, गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लेने में किसी प्रकार का अन्तर नहीं लाने देगी।

टीचर्स के बारे में जो ग्रेड का रिविज़न हुआ अभी उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने लेक्चरार्स के बारे में कहा कि टीचर्स का और ऊंचा होता थोड़ा तो अच्छा था। इस प्रकार की कुछ मूल भावनाएं थीं। नीचे वालों की जितनी बढ़ा सकें इसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता। पर मूल प्रश्न यह आ रहा था कि लेक्चरार्स के ग्रेड कम होने से जो गवर्नमेंट सर्विसेज़ के लिये ऐसे मौके बहुत से आये जो अच्छे ब्रिलियेन्ट लेक्चरार्स होते थे वे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिये आर. ए. एस. में काफी संख्या में आने का प्रयत्न करते थे और उसमें आ जाने के बाद उसमें चले जाते थे। हमने विचार किया कि जब हम शिक्षा को अपने विकास का आधार मानते हैं तो इसमें अच्छे ब्रिलियेन्ट लेक्चरार्स रहें, वे इसे छोड़कर न जावें तो अच्छा है। पर एक व्यक्ति आज के दिन यह समझता है कि आर्थिक दृष्टि से और स्टेटस की दृष्टि से, वे आर. ए. एस. में उनको अच्छा ग्रेड और स्टेटस मिलता है तो स्वाभाविक है उनके लिये कि वे उधर जावें। तो हमने समझा कि यह लेक्चरार्स का स्तर और ग्रेड भी इनके स्तर का क्यों न कर दिया जाय? इससे उनका आकर्षण उधर से हटकर शिक्षा में ही लगा रहे। आज हमने इस दृष्टि से इस अन्तर को समाप्त कर दिया है। आज दोनों के बीच में कोई अन्तर नहीं है। आज कोई आर्थिक कारणों से उधर आकर्षित नहीं हो सकता और दूसरे कारणों से जाय तो बात दूसरी है और इसे आज ज्यादातर ने पसन्द किया है और उचित दिशा में ही वह कदम उठाया गया है।

मावली से आने वालों ने शिक्षा विभाग के बारे में यह कहा कि कुछ शिक्षण संस्थाएं जो काफी अर्से से काम कर रही थीं उनकी आर्थिक स्थिति आज हमारे ग्रान्ट-इन एड के रूल्स स्पष्ट नहीं होने से बहुत दिक्कत में पड़ गई है और उनके एग्ज़िस्टेन्स का प्रश्न सामने आ जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस राय से मैं सहमत हूं और मैं यह मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम गैर सरकारी जिसे हम कहें उस प्रयत्न का जितना सम्बन्ध हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोत्साहन देना चाहिये। शिक्षा में सारे के सारे क्षेत्र सरकारी हो जावें यह न उचित होगा न आवश्यक है। इस दृष्टि से मेरे पास जब

# Page No.121



( श्री मोहनलाल सुखाड़िया )

शिक्षा विभाग आया। मैंने कुछ करने का प्रयत्न किया फिर, भी कुछ चीजों के बारे में यह सवाल बार बार उठता है और अलग अलग जगह प्रश्न आया करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले की बात है, चार रोज पहले की बात है हमने १६। २। ६० को एक कमेटी सैट अप की है जो इस बात को सजेस्ट करेगी कि हमारे आज के जो ग्रान्ट इन एड के रूल्स हैं उनमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जावे और उसमें विशेष तौर से एप्रूव्ड एक्सपेन्डीचर के बारे में ज्यादा सवाल खड़े होते हैं, कुछ को मानते हैं, कुछ को नहीं तो इसको एग्ज़ामिन करना है ।

साथ साथ यह भी कहा है, बता दूं टर्म्स ऑफ रेफेरेन्स :

"1. to suggest modifications as are found necessary in the existing Grant-in-Aid Rules-

2- to examine additional items which may be considered as approved items of expenditure ;

3. to report on the avoidable procedural delays and suggest measures which can enable aided institutions to secure grants in time and regularly ;

4. to recommend mesures to ensure that the grants are utilised for the purpose for which they are given"

क्योंकि यह भी हम साथ देखना चाहते हैं कि कुछ संस्थाएं जिस पर्पज से एड लेती हैं उसमें यूटीलाइज नहीं करतीं । तो ऐसे लूपहोल को भी ठीक किया जावे । दूसरा यह भी रक्खा है :

"(5) To suggest steps that are considered necessary to safeguard the interests of the teaching staff in respect of their service conditions etc." जो संस्थाओं में काम करते हैं, उनके टीचरों की सर्विस कन्डीशन्स के भी सेफ गार्ड का सवाल आया । उसे भी सेफ करना चाहिये। ऐसी भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, कहीं किसी को निकाल दिया, किसी को रख लिया ।

और छटा रक्खा है :—

"(6) to recommend measures which the State Government should take (a) in case of failure of management to run the aided institution properly and efficiently (b) in case of the decision of the management to close down the institution." ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रक्खीं । हमारे सामने ऐसी भी बातें आईं कि किसी संस्था विशेष को लक्ष्य में रखकर कुछ किया जाता है तो इसमें किसी ऐसी बात को लक्ष्य में न रख कर इसे ठीक किया जा रहा है । सबके खयाल से यह किया है ।

संस्कृत की परीक्षाओं के बारे में भी कहा गया । बिल्डिंग के लिये ६ हजार दिया गया, यह कम है ऐसा कहा गया । मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि इसके लिये ८० हज़ार और सैंक्शन किया है संस्कृत पाठशाला और दूसरों के बारे में ।

इसी तरह लेबर के लिये पांच हजार की बजाय २५ हजार सैंक्शन किया गया है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जिससे उसमें मदद मिल सके । ज्यादा विस्तार से तो जब बजट का सिलसिला आवेगा उस वक्त और जानकारी सदन के समक्ष रख सकूंगा ।

पी० डब्लू० डी० के सम्बन्ध में भी कहा गया कि ज्यादा प्रगति नहीं हो रही है । उनसे मुझे यह निवेदन करना है कि सड़कों पर जो हमारी ५१ में १०७७० मील थी, प्लान पीरियड खतम होने पर १३३५८ हुई । पहली प्लान, इसके बाद इस वक्त १६००६३ मील के करीब रोड बन चुकी है । जहां तक मूल्य का प्रश्न है पहली प्लान में २३११ लाख था तो आज ४७०७ लाख तक ले आये हैं और एक्सपेन्डीचर के लिहाज से भी काफी ठीक ढंग से हुआ है । अब मैं ज्यादा आपका वक्त न लेकर....

**श्री उपाध्यक्ष** : आयुर्वेद रह गया ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : आयुर्वेद की तरफ सब की सहानुभूति है । अब अन्त में, मैं माननीय उपाध्यक्ष जी आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि मैं समझता हूं जो राज्यपाल महोदय ने यहां आकर अभिभाषण दिया है उसे हम एक मत होकर स्वीकार करें, उनके धन्यवाद के प्रस्ताव को ।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक बात सुन ली जाये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर....

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : मुझे ५ मिनट का ही समय दे दिया जाये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर....

प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत प्रस्ताव, "इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो कि उन्होंने सदन में कृपा भाषण दिया है अत्यन्त कृतज्ञ हैं" स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजकर ३१ मिनिट पर, बुधवार, दिनांक २ मार्च, १९६० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

———

## संक्षिप्त-विवरण

( मंगलवार, १ मार्च, १९६० )

स्तम्भ स्तम्भ

**तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** ७१५

भरतपुर जिले में 'स्कूल चलो अभियान ।'

टौंक जिले के उद्योग-धन्धे ।

श्री छोगाजी खटीक निम्बाहेड़ा (मांडल) द्वारा जमा कराई गई किश्त का गबन ।

टौंक ज़िले के मिडिल स्कूलों का हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तन

राजकीय सचिवालय में स्टेनोग्राफर्स की संख्या ।

ग्राम बगडी (लालसोट) के ठिकानेदार द्वारा चरागाह की भूमि को अपने पर्चे में दर्ज करवाया जाना।

विकास अधिकारी सांगानेर के विरुद्ध शिकायतें ।

उदयपुर में हुए दलित वर्ग सम्मेलन के हिसाब में घोटाला ।

गंगानगर जिले में सहायता प्राप्त राजनैतिक पीड़ित

उदयपुर में सूती कपड़े की मिलें ।

गवर्नमेन्ट कॉलेज अजमेर के लिए "दी कॉलेज टाइम्स" का प्रकाशन ।

लालसोट में कन्या मध्यमिक शाला की स्थापना ।

पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था में संशोधन

धावडा, तहसील माण्डल के भूतपूर्व सैनिकों को भूमि अलॉटमेंट तथा बेदखली ।

ग्राम सैंथल (दौसा) में हायर सेकन्डरी स्कूल की स्थापना ।

प्रान्त के किन्हीं भागों में अध्यापकों की कमी

कोटपूतली हाई स्कूल का हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तन

पुलिस यूनियन बनाने हेतु चन्दा इकट्ठा करने तथा रसीद न देने आदि कार्यों के सम्बन्ध में गिरफ्तार शुदा व्यक्ति ।

तहसील कोटपूतली के ठेकेदारों में खानों की बकाया रॉयल्टी की वसूली ।

भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों द्वारा नौकरी दिलाने हेतु प्रेषित दरख्वास्तों पर कार्यवाही ।

जन सम्पर्क विभाग के कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियां

जैसलमेर जिले से बीकानेर जिले में तबदील किये गये गांवो का सैटलमेंट ।

राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के अन्तर्गत हो रहे शोध कार्य।

कोतवाली भीलवाड़ा तथा रेल्वे थाने में पुलिस अधिकारियों द्वारा वकीलों के साथ किया गया अभद्र व्यवहार।

शिक्षण तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को दिये गये अनुदान ऋण तथा सहायता अनुदानों (Subsidies) की राशि।

देवस्थान विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता राजस्थान प्रदर्शिनी, १९५९ में दुकानें (Stalls) बनाने के निमित दिया गया ठेका

लालसोट-कोथून रोड

**कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन**

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

**पुरः स्थापित किया गया विधेयक**

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० पुरःस्थापित किया।

**कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार**

सदन द्वारा निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकार किया गया:—

',यह सदन कार्य सलारकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।"

**राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद** ७८२

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री ज्वालाप्रसाद, सदस्य, विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का आज अंतिम दिन था जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री सोहनलाल भटनागर

(२) श्री नरोत्तमलाल जोशी

(३) श्री नाथूराम करौल

(४) श्री रामचन्द्र

(५) श्री परसराम

(६) श्री अनोपसिंह

(७) श्रीमती प्रभा मिश्रा

सरकार की ओर से श्री नाथूराम मिर्धा, (कृषि मन्त्री), श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, (स्वास्थ्य मन्त्री), श्री दामोदरलाल व्यास, (राजस्व मन्त्री), श्री रामकिशोर व्यास, (गृह मन्त्री), एवं श्री मोहनलाल सुखाड़िया, (मुख्य मन्त्री) ने उत्तर दिया। तत्पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव सदन द्वारा अभि-स्वीकृत हुआ।

Page No.125



**बुधवार, दिनांक २ मार्च, १६६० की कार्य–सूची**

**पुरःस्थापित विधेयक**

१ राजस्थान गृह व्यवस्था योजना (भूमि अवाप्ति) विधेयक, ६० ।

**विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक**

१. राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, ६० ।

२. राजस्थान टिनेन्सी ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, ६० ।

३. राजस्थान लैंड एक्वीज़ीशन (संशोधन ) विधेयक, १६५६ ।

———

## परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये )

### LIST OF THE NAME OF THE TEACHERS WITH PLACE OF POSTING

| S. No. | Name | Posting. |
|---|---|---|
| 1. | Shri Aydhya Pd. | Ps. Akta. |
| 2. | Shri Laxmi Nath | MS B' pur. |
| 3. | Shri Bhimsingh | Ps. Bhadira. |
| 4. | Shri | ,, Siras ( Weir ) |
| 5. | Shri Bhanwar Singh | Santruk |
| 6. | Shri Pooran Singh | ,, Tehari. |
| 7. | Shri Shiv Charan Lal | ,, Supabas ( Deeg ) |
| 8. | Shri Prabhu Dayal | ,, Kunkuta. |
| 9. | Shri Jagdish Pd. | ,, Chonkerwar ( Weir ) |
| 10. | Shri Prem Ram | MS Gadauli |
| 11. | Shri Genda Lal | P S Kharagpur. |
| 12. | Shri Shanker Lal | ,, Bhamatipura ( Dholpur ) |
| 13. | Shri Omdutt | M S Sudawal. |
| 14. | Shri Om Prakash | P S Nagar. |
| 15. | Shri Badri Pd. | Weir. |
| 16. | Shri Radhey Shyam | ,, Bilabari. |
| 17. | Shri Nathi Lal | ,, ,, |
| 18. | Shri Ram Swaroop | ,, Gadhi Sukha |
| 19. | Shri Gyan Chandra | ,, Gadhi Jalamsingh ( B' pur ) |
| 20. | Shri Pooran Singh | ,, Tamror. |
| 21. | Shri Lalit Kishore | ,, Sarkona. |
| 22. | Shri Basu deo Pd. | ,, Chaprauli |
| 23. | Shri Ram Babu. | ,, Rajora Khurd. |
| 24. | Shri Brahm Dutt. | ,, Bijwari. |

# Page No.127



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 25. | Shri Swaroup Chand. | Ps Nadbai. |
| 26. | Shri Ramesh Chand | M S Awar. |
| 27. | Shri Shanker Lal | Ps. New Mandi. |
| 28. | Shri Lakhi Ram | ,, Biloth ( Nadbai ) |
| 29. | Shri Jagdish Pd. | ,, Therawar. |
| 30. | Shri Jhamman Lal | ,, Therawar. |
| 31. | Shri Gulab Singh | ,, Bilothi. |
| 32. | Shri Ladli Mohan | M S Tasimo. |
| 33. | Shri Rupram | Ps. Dahram ( Nadbai ) |
| 34. | Shri Ramsehwar Pd. | ,, Japawali. |
| 35. | Shri Chavi Ram | M S Lalpur Rahse |
| 36. | Shri Bhullan Ram | Ps. Mahua Kheda. |
| 37. | Shri Nemi Chand | ,, Harjan Kolani |
| 38. | Shri Sita Ram | ,, Bari |
| 39. | Shri Shyam Kishore | ,, Khanpur Mena |
| 40. | Shri Ganga Ram | ,, Chavni. |
| 41. | Shri Hira Lal Sharma | ,, Nahroli |
| 42. | Shri Bhagwat Pd. | ,, Kalsada |
| 43. | Shri Gya Pd. | M S Rarah |
| 44. | Shri Dwarka Pd. | Ps. Musapur |
| 45. | Shri Nemi Chand. | ,, Laloni Rar ( Dholpur ) |
| 46. | Shri Kashi Ram | M S Basseri. |
| 47. | Shri Data Ram | ,, Sarani Kheda. |
| 48. | Shri Tej Singh | M S Gadauli |
| 49. | Shri Umedi Lal | P S Khadraya ( Weir ) |
| 50. | Shri Girraj Pd. | ,, Randhirgarh ( Weir ) |

# परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०१ का उत्तर देखिये )

**टौंक जिले में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज जो,जो चलाई जा रही है उसकी सूची निम्न प्रकार है :**

१. **उद्योग जो फैक्ट्रीज एक्ट १६४८ के तहत आती हैं ;**

   १. नवीन भारत इन्डस्ट्रीज, मालपुरा ।
   २. मोदी जिनिंग एन्ड आयल फैक्ट्री, निवाई
   ३. गनेश आयल व जिनिंग मिल्स, निवाई
   ४. ईद मोहम्मद निजामुद्दीन बीड़ी फैक्ट्री, सुभाष बाजार, टौंक

२. **स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एवं जिनके द्वारा चलाई जा रही हैं, बीड़ी बनाने का उद्योग**

   १. ईसरदास को ब्रादर्स फैक्ट्री, आजाद मारकेट, टौंक,
   २. मोहम्मद उसमान प्रो० राज बीड़ी फैक्ट्री, काली पलटन रोड, टौंक
   ३. रामेश्वर बीड़ी फैक्टरी, रामनारायणजी वकील का नोहरा, टौंक
   ४. अन्य इकाइयां जो बिखरी हुई व घरों पर काम करती हैं ;

३. **नमदा बनाने वाले**

   १. मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रशीद नमदा फैक्टरी, टौंक
   २. जहीरुद्दीन नमदगर, पुरानी टौंक
   ३. मारवाड फैल्ट वर्कस, पुरानी टौंक
   ४. हाजी अब्दुल सुब्हान निजामुद्दीन नमदा फैक्ट्री, पुरानी टौंक
   ५. रफीक बुनरा, पुरानी टौंक
   ६. अब्दुल कासिम नमदा फैक्ट्री, पुरानी टौंक
   ७. जुम्मा नमदगर, पुरानी टौंक
   ८. सजिदनुमदगर, पुरानो टौंक

९. जुन्नाखां, पुरानी टौंक

१०. नजीरखा नमदगर, पुरानी टौंक

११. हाजी खटीक, पुरानी टौंक

१२. बशीर नमदगर, मालपुरा

१३. अमीर नमदगर, मालपुरा

१४. निजाम नमदगर, मालपुरा

४, दरी उद्योग

१. खादी आश्रम, टौंक

२. उद्योग मन्दिर, टौंक

३. सर्वोदय दरी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड बजीरगंज, टौंक

४. श्री कन्हैयालाल वल्द दूलचन्द, दरी निवार उद्योग काली पल्टन, टौंक

५. हाथ कर्घा उद्योग

१. टौंक कोली उत्पादक सहकारी समिति लि०, टौंक

२. टौंक जुलाहा ,, ,, ,, ,,

३. कृष्णा वस्त्र उत्पादक ,, ,, ,, ,,

४. गुजराती योमिन वस्त्र उत्पादक ,, ,, ,,

५. देसवाली ,, ,, ,, ,,

६. लावा महावर बुनकर सहकारी समिति लि०, लावा

७. मेघवंशी मतकार समिति लि०, पचेवर

८. राजमहल बुनकर सहकारी समिति लि०, राजमहल

९. टोडारायसिंह ,, ,, ,, टोडारायसिंह

१०. निवाई ,, ,, ,, ,, निवाई

११. अन्य बिखरे हुये कर्घे जो व्यक्तिगत रूप से चलाये जाते हैं।

६. चमड़ा रंगाई उद्योग

१. मालपुरा टेनर्स कापरेटिव सोसायटी, मालपुरा.

२. गंगा चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, मालपुरा

३. रामा चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, पचेवर

४. टेनर्स कोआॅपरेटिव सोसायटी पारली, लि० मालपुरा

५. निवाई रेगर समिति, निवाई।

७. घाणी तेल उद्योग व तेल की मीलें

१. शिवशंकर तेल उत्पादक सहकारी लि०, टौंक

२. सीताराम तेल उत्पादक सहकारी समिति लि०, टौंक

३. सहोदर ,, ,,

४. डिग्गी ,, ,,

५. मालपुरा ,, ,,

६. छोगालाल जीवनलाल, तेल मील, उनियारा

७. माणकलाल रामप्रकाश तेल मील, टौंक

८. खातीपने के उद्योग

१. राष्ट्रीय फर्नीचर उत्पादक सहकारी समिति लि०, टौंक

२. खलीलउल रहमान फर्नीचर वर्क्स, टौंक

३. अतीक फर्नीचर वर्क्स, टौंक

४. शादत फर्नीचर वर्क्स, टौंक

५. रामगोपाल पिता श्री बक्स डिग्गी, मालपुरा

६. नेशनल फर्नीचर वर्क्स, टौंक

७. यंत्र उत्पादक सहकारी समिति लि०, टौंक

९. आरा मशीन

१. भोजराज आरा मशीन, टौंक

२. मलका जमिलु उमानी बेगम, आरा मशीन, टौंक

३. शिवनारायण ,, ,, ,, निवाई

१०. बिस्कुट फैक्टरी

१. गनेश बिस्कुट फैक्ट्री, सुभाष बाजार, टौंक

१२. छापाखाना उद्योग

१. भारत प्रिंटिंग, सुभाष बाजार, टौंक

१२. लुहारी उद्योग

१. ब्लेक रिमथी एसोशियेशन, टौंक

२. रहमतुल्ला, लुहार, टौंक

३. श्री इब्राहीम वल्द अलाबन्दा, अमीर दरवाजा, टौंक

४. मोहम्मद मुसुफ लोहार, टौंक

५. आजाद मोटर एन्ड आइस वर्क्स, टौंक

६. शाम टूल्स एन्ड आयरन वर्क्स, टौंक

७. जनरल इन्जिनियरिंग वर्क्स, टौंक

८. अहमद उल्ला वल्द अब्दुल्ला लोहार, टौंक

१३. जनरल इन्जिनियरिंग वर्क्स

१. महबूब मोटर रिपेयरिंग कलेक्टर दफ्तर के सामने, टौंक

२. अब्दुल हामिद रिपेयरिंग, घंटाघर, टौंक

३. एस० एच० हमीद, रिपेयरिंग वर्क्स, टौंक

४. नेशनल वर्क्स सुभाष बाजार, टौंक

५. मुरतजा वर्क्स, सुभाष बाजार, टौंक

६. मोहम्मदनूर, ,, ,,

आईस कैन्डी फैक्ट्री

१. करांची आईस कैन्डी, टौंक

२. गांधी आइस कैन्डी फैक्ट्री, टौंक

३. श्री कृष्ण आइस कैन्डी फैक्ट्री, टौंक

४. गोपाल ,, ,, ,,

५. नाजिम हुसेन ,, ,, ,,

१५. बटवा बनाने का उद्योग

१. रंगरेज पेन्टर, टौंक

२. अच्छा बेगम पेन्टर, टौंक

१६. बर्तन बनाना, पीतल व तांबा इत्यादि

१. भंवरलाल पुत्र लालूराम ठठेरा, जवाहर बाजार, टौंक

१७. रस्सी बनाना

१. श्री अजीज मीया, काफ़ला बाजार, टौंक

१८. जूता बनाने का काम

१. गंगाराम, शू मेकर, सुभाष बाजार, टौंक

२, हरीराम ,, ,,

१९. गोटा फैक्ट्री,

रतनलाल पारसमल गोटा फैक्ट्री, टौंक

२०. रंगाई एवं छपाई उद्योग

१. कैलीको प्रिंटिंग कापरेटिव सोसाइटी, लांबा हरीसिंह, मालपुरा।

२१. चांवलों के हलरस

१. साहिब जादे सरदार मोहम्मद खां, गांव शौरन, टौंक

२. मोहम्मद मुसफ, याकूब गंज, टौंक

२२. बंदूक ठीक करनेवाले

१. मोहम्मद मुसफ बाजार वजीर गंज, टौंक

२. सीताराम प्रभुलाल, काफ़ला बाजार, टौंक

२३. कुम्हारी उद्योग

१. छोटू कुम्हार, काफ़ला बाजार, टौंक

२, भवाना कुम्हार, ,, ,,

३, गोपाल ,, ,, ,,

२४. लाख के चूड़े बनाना

१. निजाम मौहम्मद, पुरानी टौंक
२. मौहम्मद अहमद, पुरामी टौंक
३. अब्दुल्ला, पुरामी टौंक
४. गोपी, पुरानी टौंक
५. मूतिया, पुरानी टौंक
६. मूरिया, पुरानी टौंक
७. गुल्ला, पुरानी टौंक
८. नन्दा, पुरानी टौंक
६. देवीलाल, नई टौंक
१०. अब्दुल्ला, नई टौंक
११. अब्दुल गफूर ,, ,,
१२. मोहम्मद ,, ,,

२५. काटन कारडिंग और ऊन बनाने वाले

१. नानग राम खटीक मोहल्ला खटीकान, टौंक
२. जमाल ,, ,, ,, ,,
३. घीसालाल ,, ,, ,, ,,
४. मोतीलाल ,, ,, ,, ,,
५. ग्यारसीलाल ,, ,, ,, ,,
६. हरदेवा ,, ,, ,, ,,
७. रामदेवा ,, ,, ,, ,,
८. सामरा ,, ,, ,, ,,
६. अलाखा ऊन उत्पति, निवाई
१०. शकूर ,, ,,
११. मुन्ना ,, ,,

२६. काटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्रीट्ज,

१. राकप्रकाश काटन जिनिंग फैक्टरी, निवाई
२. श्रीचन्द समीरचन्द ,, ,, मालपुरा

३. श्री गनेशलाल घनश्याम दास, मालपुरा

४. श्री केसरीसिंह पदमसिंह गांव तिलंज, पो. मालपुरा

५. श्री कमामसिंह गांव लाम्बा हरिसिंह, मालपुरा

६. श्री मोतीलाल जेठमल जिनिंग फैक्टरी, मालपुरा

७. श्री चुन्नीलाल जिनिंग फैक्टरी, पचेवर

८. श्री गजानन्द मदनलाल जिनिंग फैक्ट्री, टोडारायसिंह

९. श्री गुलाबचन्द सूरजमल गुप्ता मालपुरा ब्रन्द टोडारायसिंह

१०. श्री महावीर जिनिंग फैक्ट्री, दनोबद, त० टोडारायसिंह

११. श्री सूरजनाराण वैद्य कॉटन जिनिंग फैक्ट्री, राजमहल तहसील देवली

१२. श्री लक्ष्मीनारायण हनुमान बक्स जिनिंग फैक्ट्री, टोडारायसिंह

१३. श्री लक्ष्मीप्रकाश फलोर जिनिंग फैक्ट्री, देवली

## परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०२ का उत्तर देखिये )

### प्रतिलिपि प्रमाणपत्र

नमसमर्थ

बिजौलिया ता० ६-३-५७

श्री छोगाजी खटीक,

पत्र तुम्हारा मिला। समाचार मालूम हुए। तुमने चार रुपयों के लिये लिखा था लेकिन जो रुपये तुमने मुझे नहीं देकर सहनाजी को दिये हैं अतः इनका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बकाया और कोई बात है तो तुम बेफिक्र रहो, मैं होली बाद आ रहा हूं सो तुम्हारा सब फैसला कर दूंगा। तुम्हें कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। पत्र इस पते पर देवें।

तुम्हारा राधेश्याम
पटवारी

पत्र पटवारी उप-तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
और कोई काम लिखें, गांव में सबको याद करें।

# परिशिष्ट ४

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२१ का उत्तर देखिये )

(a) तहसील कोटपूतली के निम्न लिखित ठेकेदारों में रायल्टी की रकमें बाकी हैं।

१. श्री मदनलाल किशोरसिंह किशनगढ़
२. श्री प्रह्लाद दास
३. श्री भूरामल
४. श्री जगदीश चन्द्र
५. श्री मुरलीधर
६. श्री गुलजारी लाल ठेकेदार

(b) बकाया रकमों का विवरण निम्न प्रकार है।

| | | | समयावधि | रॉयल्टी | ठेका रायल्टी कलेक्शन |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) श्री मदनलाल किशोरसिंह | चाइना मिट्टी | बुचारा | 1950–55 | 3778·52 | |
| (ii) श्री प्रहलाद दास | ठेका R.C. बिल्डिंग स्टोन | कोटा | 1954–55 | — | 199/- |
| (iii) श्री भूरामल | ठेका R. C. | कोटपूतली | 1957–58 | — | 105/- |
| (iv) श्री जगदीश चन्द्र | ठेका R. C. | अजीतपुरा | 1957–58 | — | 156/- |
| ,, | ,, | मोहनपुरा | 1957–58 | — | 22/- |
| ,, | ,, | कोटपूतली | 1956–57 | — | 350/- |
| (v) श्री मुरलीधर | पट्टी कातला | कोट | 1943–44 | 326·53 | × |
| (vi) श्री गुलजारी लाल ठेकेदार | ठेका R. C. | कोटपूतली | | | |
| | | लाइम स्टोन | 1956–57 | — | 6200/- |
| | | | Rs. | 4105.05 | 7032/- |

कुल योग 11,137.05

(c) उपरोक्त रकमों की वसूली के सम्बन्ध में गुलजारी लाल को छोड़कर P. D. R Act के तहत कार्यवाही की हुई है तथा श्री गुलजारी लाल के मामले में मेजर मिनरल के तहत आवेदित उसकी माइनिंग लीज़ की दरख्वास्त बकाया रकम जमा न कर देने तक रोक ली गई है। और अब इसकी वसूली P. D. R. Act के तहत की जा रही है। P. D. R Act के तहत पार्टी को शीघ्र कार्यवाही करने के लिये हाल ही में नायब तहसीलदार ( माइनिंग रेवेन्यू ) की नियुक्ति हो चुकी है और अब वे इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रयत्न कर रहे हैं।

(d) शीघ्र वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है। कितना समय लगेगा यह नहीं कहा जा सकता।

# परिशिष्ट ५

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२१ का उत्तर देखिये )

| | नाम जिला व विभाग | प्रार्थना पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| १. | कलेक्टर, अलवर | ५ |
| २. | कलेक्टर, भरतपुर | ३० |
| ३. | डिप्टी कक्लेटर, जयपुर | ८२१ |
| ४. | डिप्टी कलेक्टर, सीकर | ३८८ |
| ५. | कलेक्टर टोंक, | ७ |
| ६. | डिप्टी कलेक्टर, झुन्झुनू | ५०१ |
| ७. | डिप्टी कक्लेटर, सवाई माधोपुर | ३३४ |
| ८. | कक्लेटर, अजमेर | १ |
| ९. | कलेक्टर, जोधपुर | २४२ |
| १०. | कलेक्टर, जैसलमेर | ३१ |
| ११. | डिप्टी कलेक्टर, जालौर | ३७ |
| १२. | डिप्टी कलेक्टर, पाली | ३९४ |
| १३. | कलेक्टर, बाड़मेर | ७० |
| १४. | डिप्टी कलेक्टर, नागौर | १९९ |
| १५. | कलेक्टर, सिरोही | २९ |
| १६. | डिप्टी कलेक्टर, उदयपुर | ४७ |
| १७. | कलेक्टर, डूंगरपुर | २० |
| १८. | कलेक्टर, बांसवाड़ा | — |
| १९. | डिप्टी कलेक्टर, चितौड़गढ़ | ३९ |
| २०. | डिप्टी कलेक्टर, भीलवाड़ा | ६५ |
| २१. | डिप्टी कलेक्टर, कोटा | ५४ |
| २२. | कलेक्टर, बूंदी | ५ |
| २३. | कलेक्टर, झालावाड़ | ६ |

| १ | २ | |
|---|---|---|
| २४. | कलेक्टर, बीकानेर | १७ |
| २५. | कलेक्टर, गंगानगर | ६ |
| २६. | कलेक्टर, चुरू | ३१ |
| २७. | इन्सपेक्टर गर्ल्स स्कूल, चितौड़गढ़ | ६ |
| २८. | निरीक्षक, चितौड़गढ़ | ६१ |
| २९. | इन्सपेक्टर, भीलवाड़ा | २ |
| ३०. | शिक्षा निरीक्षक, करौली | १ |
| ३१. | इन्सपेक्टर, टौंक | ६६ |
| ३२. | इन्सपेक्टर, कोटा | ६ |
| ३३. | डिप्टी इन्सपेक्टर शिक्षा, जैसलमेर | ६ |
| ३४. | इन्सपेक्टर, अलवर | २ |
| ३५. | सेटिलमेंट ऑफीसर, जयपुर | १ |
| ३६. | राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज, उदयपुर | ५ |
| ३७. | संचालक पशुपालन विभाग, जयपुर | २२ |
| ३८. | संचालक आयुर्वेदिक विभाग, अजमेर | १८ |
| ३९. | पंचायत संचालक कार्यालय | २ |
| ४०. | डिप्टी डाईरेक्टर माइन्स ज्योलोजी, उदयपुर | १३ |
| ४१. | रजिस्ट्रार रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर | २४ |
| ४२. | एग्जीक्युटिव इन्जिनियर चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा | १ |
| ४३. | जागीर डिपार्टमेंट | ५ |
| ४४. | लेबर कमिश्नर | १ |
| ४५. | कृषि विभाग | ३ |
| ४६. | चीफ इन्जिनियर बी. एण्ड आर. | ३ |
| ४७. | चीफ इन्जिनियर इलेक्ट्रिसिटी | २ |
| ४८. | वन विभाग | ६० |

| १ | २ | |
|---|---|---|
| ४६. | अतिरिक्त संचालक शिक्षा विभाग, बीकानेर | १ |
| ५०. | उप संचालक समाज शिक्षा, जयपुर | १ |
| ५१. | संचालक संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर। | १० |
| | | ३७४१ |

## परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२७ का उत्तर देखिये)

### सूची

| क्र० सं० | नाम | पद | योग्यता | कार्य |
|---|---|---|---|---|
| १. | २. | ३. | ४. | ५. |
| १. | श्री गिरधारीलाल शर्मा | अध्यक्ष | साहित्य रत्न एवं पत्रकार आलोचक | राजस्थानी भीलों के गीत भाग १, २, ३ का सम्पादन, "राजस्थानी दोहावली" का सम्पादन, प्राचीन राजस्थानी गीत भाग १, २ का सम्पादन, प्रबन्ध सम्पादक शोधपत्रिका साहित्य-संस्थान के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। |
| २. | श्री मोहनलाल जी | निर्देशक | शास्त्री, सा० भूषण | राजस्थानी लोकगीत भाग ४, ६, राजस्थानी वार्ता भाग ५ तथा रासो विवेचना प्र० खं० प्रकाशित रासो विवेचना द्वि० खं० का सम्पादन जारी, श्री शास्त्री जी ने संगीत एवं हस्तरेखा विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें लिखी हैं। |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ३. | श्री कविराव मोहनसिंह जी | सं० निर्देशक | डिंगल-पिंगल, राजस्थानी भाषा के विशेष ज्ञाता एवं कवि । | पृथ्वीराज रासो भाग १-४ का सम्पूर्ण सम्पादन, प्रा० राजस्थानी गीत जारी भाग ३,४,७,८,१०,११,१२ का सम्पादन, राणा रासो का सम्पादन जारी. रावसा: के स्वप्रणीत १० अतिरिक्त ग्रन्थ । |
| ४. | श्री शान्तिलालजी भारद्वाज | ,, | एम० ए० हिन्दी एवं राजस्थानी के कवि, कहानीकार, आलोचक एवं पत्रकार—४ वर्षों का अनुभव । | शोधनिर्देशक, शोधपत्रिका का सम्पादन, आधुनिक एवं नवीन साहित्यसृजन सम्बन्धित गतिविधियों का संयोजन, रासो विवेचना सम्पादन में सहयोग; राजस्थानी लोक साहित्यों पर शोध कार्य जारी । |
| ५. | श्री नाथूलालजी व्यास | ,, | इतिहास; पुरातत्व, ताम्रपत्र, शिलालेख आदि के ज्ञाता । | इतिहास; पुरातत्व संग्रहालय का गठन शिलालेख, ताम्रपत्र एवं हस्तलिखित ग्रन्थों का मनन एवं-विवेचन, शोध कार्य के ऐतिहासिक पक्ष का निर्देशन, श्री नाथूलालजी व्यास ने प्रसिद्ध वेत्ता स्व० श्री गौरी शंकर हीराचन्द ओझा के साथ १५ वर्ष रह कर राजपूताने के इतिहास-सम्पादन एव प्रकाशन में योग दिया, ओझा निबन्ध डा० रामनरेश त्रिपाठी के पास बनारस जाकर किया । |
| ६. | श्री सोभाग्यसिंह जी | सा० संग्राहक | राजस्थानी भाषा के ज्ञाता एवं वार्ताओं के संपादक । | राजस्थानी वार्ता भाग ३, ४, ५ एवं राजस्थानी पट्टूतर का संपादन, वार्ताओं का शोध कार्य जारी । |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ७. | श्री सांवलदान जी | संस्थान सा० संग्राहक | चारण होने से राजस्थानी भाषा के ज्ञाता एवं-कवि । | प्राचीन साहित्य का संग्रह, राजस्थानी लोकगीत भाग ४, प्राचीन राजस्थानी गीत भाग १,२,१०,११,१२ के संग्रह संपादन में सहयोगी ( वर्तमान में प्राचीन राजस्थानी गीतों का अर्थ जारी ) |
| ८. | श्री कृष्णचन्द्रजी | संस्थान साहित्य संग्राहक | साहित्य शास्त्री, काव्य तीर्थ, सा० रत्न, सा० रत्नाकर, मैटिक । | रासो विवेचना ग्रन्थ के सम्पादन में सहयोग, प्राचीन राजस्थानी गीत भाग ३,४ के सम्पादन में सहयोग, शोध पत्रिका में एक वर्ष प्रबन्ध सम्पादक का कार्य ( वर्तमान राणा रासो के सम्पादन में सहयोग ) |
| ९. | श्री बिहारीलालजी व्यास | ,, | साहित्य रत्न, साहित्य भूषण, व्या० मध्यमा बनारस । | रासो विवेचना में सहयोग, राज प्रशासित काव्य का सम्पादन जारी है । |
| १०. | श्री उमा शंकर | कार्यालय मंत्री | साहित्य मध्यमा (कलकत्ता) वेद मध्यमा । | श्री राव साहब के साथ पृथ्वीराज रासो भाग १ से ४ के सम्पादन एवं प्रकाशन में सम्पूर्ण सहयोग, प्राचीन राजस्थानी गीत भाग ७, ८ के सम्पादन में सहयोग, कार्यालय सम्बन्धी समस्त कार्य । |

## परिशिष्ट ७

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर देखिये )

STATEMENT SHOWING THE AMOUNTS OF GRANTS ETC GIVEN IN

THE YEAR 1958-59 and 1959-60. (Distt. wise).

| Sl. No. name of the distt. | 1958-59 | 1959-60 |
|---|---|---|
| 1. Jaipur | 5,03,872 | 5,42,507 |
| 2. Ajmer | 35,076 | 43.115 |
| 3. Alwar | 77,967 | 59,447 |
| 4. Jodhpur | 5,76,170 | 5,56,688 |
| 5. Pali | 72,923 | 68,721 |
| 6. Jalore | 614 | 631 |
| 7. Jaisalmer | 3,263 | 5,792 |
| 8. Barmer | 3,822 | 3,338 |
| 9. Nagaure | 85,299 | 1,28,876 |
| 10. Sirohi | 27,864 | 11,262 |
| 11. Bikaner | 1,85,326 | 2,20,046 |
| 12. Churu | 2,32,555 | 2,01,690 |
| 13. Ganganagar | 1,28,634 | 1,75,496 |
| 14. Jhunjhunu | 2,70,674 | 2.81,634 |
| 15. Siker | 1,60,759 | 1,87,124 |
| 16. Kota | 28,679 | 31,537 |
| 17. Bundi | 23,694 | 26,567 |
| 18. Jhalawar | 4,125 | 1,637 |
| 19. Tonk | 4,875 | 5,977 |
| 20. Sawaimadhopur | 3,155 | 3,143 |
| 21. Bharatpur | 54,679 | 72,915 |
| 22. Udaipur | 4,75,177 | 4,88,348 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | Bhilwara | 88,610 | 90,046 |
| 24. | Chittor | 26,281 | 37,577 |
| 25. | Dungarpur | 10,203 | 13,252 |

Note :— The amounts of grant-in aid shown above includes the aid given to the cultural institutions given below :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kala Bharti, Alwar | 3,098 | 2,799 |
| 2. | Rastriya Kala Mandir, Jodhpur. | 7,953 | 9,208 |
| 3. | All India Sangit College, Churu. | 6,087 | 5,698 |
| 4. | Bhartiya Lok Kala Mandal, Udaipur. | 26,310 | 31,926 |
| 5. | Sangit Nratya Niketan, Udaipur | 1,322 | 1,589 |
| 6. | Music College, Ajmer | ... | 2,543 |

## परिशिष्ट ८

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३१ का उत्तर देखिये )

STATEMENT OF STALLS CONSTRUCTED AT THE RAJASTAHN EXHIBITION 1959, JAIPUR.

| Sector | Size of Stalls. | No. of Stalls. |
|---|---|---|
| A | 10'x40' | 108 |
| B | 10'x30' | 38 |
| C | 10'x15' | 38 |
| D& E | 10'x10' | 36 |
| F | 10'x15' | 100 |
| Refreshment Sector | 10'x15' | 18 |
| Panwala | 10'x 10' | 1 |
| Office Gate No. 1: | | |
| 1. Enquiry office | 10'x20' | 2 |
| 2. Exhibtiion office | 10'x20' | 4 |
| 3. D. P. R.' s office | 10'x20' | 2 |
| Gate No. 2: | | |
| 1. Booking office | 10'x20' | 2 |
| 2. Exhibition office | 10'x20' | 4 |
| 3. Police outpost | 10'x20' | 4 |
| Lalit Kala Pradarshni | 10'x50' | 17 |
| Electric Stores ) | 20'x10' | 3 |
| ) | 103 rft. | 1 |
| Latrine Sathrooms etc. | 10'x15' ) 24 stalls 2 sets<br>10'x15' ) in Market.<br>10'x15' ) 2 Sets in Main Exhi. | |
| Compound Wall. | 1216 rft. | |
| Total. | 21635 rft. | |

# Page No.147

## शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १ मार्च, १६६०)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ७१६ | १४ | कितने २ सूची | कितने कितने ? सूची |
| ७१६-२० | शीर्ष | १माच, ६० | १ मार्च, ६० |
| ७२७ | ५ | संख्या प्रश्न १०८ | संख्या १०८ |
| ७३१ | ११ | instal wment | instal ments |
| ७४२ | ४ | जायगा : | जायगा ? |
| ७४४ | १६ | बानकर | बना कर |
| ,, | २३ | पहन कर | पहना कर |
| ७५१ | अन्तिम से २ | (मालवी) | (मावली) |
| ७५३ | १२ | में दकाने | में दुकानें |
| ७५५ | अन्तिम से ५ | line they, | line, they |
| ७७२ | ३ | हुकुम | हुकम |
| ७८६ | १२ | निराश हुई है, | निराशा हुई है। |
| ७६० | १८ | सकता | सकता है। |
| ,, | अन्तिम से ६ | पर ractionalism | पर rationalist |
| ७६८ | ,, ,, ७ | speek | speak |
| ७६६ | ११ | हमारी है, | है, हमारी |
| ८०० | ८ | आर्चाय | आचार्य |
| ८०१ | ८ | चायतों में | पंचायतों में |
| ,, | ६ | रकम हिस्से | रकम अपने हिस्से |
| ,, | अन्तिम | परा नहीं | पूरा नहीं |
| ८०३ | अन्तिम से ७ | कम्लीशन | कम्प्लीशन |
| ८०४ | १८ | चोरियों ।........मन्त्रीजी | चोरियों से ।.... मन्त्रीजी |
| ,, | अन्तिम से ५ | ऑफिस है। | ऑफिसर हैं। |
| ८२६ | ४ | ज्वालाप्रशाद | ज्वालाप्रसाद |
| ८३२ | ६ | डाइन्मड | डाइमन्ड |
| ,, | अन्तिम | मेग्मिट्यूस | मेग्नीट्यूड |
| ८३७-३८ | शीर्ष | १ माच, १६६० | १ मार्च, १६६० |
| ८४३ | ४ | अन्य चीजं | अन्य चीजें |
| ,, | २१ | (दांताराम गढ़) | (दांता रामगढ़) |
| ८४६ | ७ | उन्हीं | मैं उन्हीं |

(२)

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ८४७ | ६ | improvsd | improved |
| ८५४ | अन्तिम | में अब | मैं अब |
| ८५५ | ६ | किया हैं | किया है |
| ,, | ११ | चन्दमल | चन्दनमल |
| ,, | २३ | कह था | कहा था |
| ८५७ | अन्तिम से४ | निर्धा | मिर्धा |
| ८६६ | १० | exclusive the ales | exclusive of the sales |
| ,, | २१ व २६ | वैद्य | वैद |
| ८७० | ८ | नाथाराम | नाथूराम |
| ८७४ | अन्तिम से५ | कौनसी, चीज | कौनसी चीज़ |
| ८७६ | ५ | नारथूाम | नाथूराम |
| ,, | १० | श्र नाथूराम | श्री नाथूराम |
| ८६० | अन्तिम से३ | श्रीर | श्रौर |
| ६०० | शीर्ष | ६०० | ८८६ |
| ८६३ | १६ | से काबिल | के काबिल |
| ८६७ | अन्तिम से५ | natnre | nature |
| ८६८ | १४ | "that | that |
| ,, | १७ | ye | he |
| ८६६ | १३ | दमोदरलाल | दामोदरलाल |
| ६०० | २६ | indulgesin | indulges in |
| ६०३ | १६ | कॉन्स्टिी ट्युश्न | कॉन्स्टीट्‍युशन |
| ६०६ | १७ | डिकरेशन | डिक्लेरेशन |
| ६०८ | ६ | उपध्यच्च | उपाध्यच्च |
| ,, | अन्तिम से४ | (ह्ंसी) | (हंसी) |
| ६१० | १६ | के बराबर लिए | के लिए बराबर |
| ,, | २१ व ३३ | कौश्रॉरेटिव | कोश्रॉपरेटिव |
| ६११ | १७ | चाराने | चराने |
| ६१२ | २१ | सुरक्षा शान्ति | सुरक्षा व शान्ति |
| ६१४ | अन्तिम | कहोंगे | कहेंगे |
| ६१५ | अन्तिमसे७ | की। | की? |
| ६२३ | २४ | वक्तन वक्तन | वक्तन फ. वक्तन |
| ६२४ | ११ | इन्ववारेरी | इन्क्वायरी |
| ६२५ | १३ | गवर्न | गर्व न |
| ६२७ | ८ | इन्स्टूमेन्ट | इन्स्ट्‍मेन्ट |
| ,, | ११ | समभाइस | समभाइश |
| ६२८ | २ | आदमी एक | एक आदमी |

(३)

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ६३७ | ४ | कि पे | किये |
| ६३८ | ७ | लोगा | लोगों |
| ६३६ | शीर्ष | ३६ | ६३६ |
| ६५८ | अन्तिमसे३ | यिनिट | मिनिट |
| ६६१ | ६ | सहामता | सहायता |
| ६६३ | ६ | जाने ाले | जाने वाले |
| ६६५ | ३ | N A M E | NAMES |
| ,, | ४ | PLACE OF POSTING | PLACES OF POSTIN |
| ६६६ | ३ | कोअ्रॉरेटिव | कोऑपरेटिव |
| ६७२ | ४ | पुरामी | पुरानी |
| ६७७ | सीरियल ३, ७ व ८ | कक्लेटर | कलेक्टर |
| ६७३ | सीरियल ३१ के पश्चात् | २ | ३२ |
| ६८५ | १५ | 2. Exhibtion | 2.Exhibition. |